लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
B
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and/ contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14—सोमवार, 21 नवम्बर, 1966/30 कार्तिक, 1888 (शक)

No. *14—Monday, November 21, 1966/Kartika 30, 1888 (Saka)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
391.	रोडेशिया संकट	Rhodesian Crisis	1749—1752
393.	पाकिस्तान में मिजो/नागाओं को प्रशिक्षण	Mizos/Nagas Training in Pakistan	1752—1755
394.	विदेशों में स्थित राजनयिक तथा वाणिज्यिक दूतावासों के खर्च में कमी	Economy in Diplomatic and Trade Missions Abroad	1755-1756
395.	सेनाओं में चुनींदा लोगों की अनिवार्य भर्ती	Selective Conscription to Armed Forces	1756—1762
396.	तारापुर अणु शक्ति केन्द्र	Tarapore Atomic Power Station	1762—1764
397.	पाकिस्तान के लिये अमरीकी पनडुब्बियां	U.S.A. Submarines for Pakistan	1764—1766

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या SHORT NOTICE QUESTION No.

2.	डाउन अवध तिरहुत डाकगाड़ी को उलटने का प्रयत्न	Attempt to Derail I Dn. A.T. Mail	1766—1769

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
392.	भारत में दुर्भिक्ष की स्थिति के बारे में आकाशवाणी से प्रसारण	A.I.R. Broadcasts on Famine Conditions in India	1769
398.	पश्चिम राष्ट्रों द्वारा भारत को शस्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to India by Western Powers	1769

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
399.	ताइवान जाने वाले संसद् सदस्यों को दी गई सुविधायें	Facilities given to M. Ps. who visited Taiwan . .	1770
400.	पारपत्र नियमों में परिवर्तन	Changes in Passport Rules	1770
401.	कामोत्तेजक फिल्में .	Sexy Films .	1770-1771
402.	गाद (सिल्ट) का बहाव	Silt Movements .	1771
403.	छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी जांच समिति .	Enquiry Committee on Small Newspapers	1771
404.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में गुप्त दस्तावेजों की चोरी और गुप्त सूचना का मालूम हो जाना	Leakage of information and theft of secret documents in Ministry of External Affairs	1771-1772
405.	ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश हिन्द महासागर क्षेत्र की स्थापना . .	Setting up of British Indian Ocean Territory by Britain	1772
406.	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी .	Ex-I.N.A. Personnel . .	1773-1774
407.	लोंग्जू तथा बड़ाहोती क्षेत्र पर भारत का दावा	India's Claim over Longju and Barahoti Area . .	1774
408.	रानी गायदेलु .	Rani Guidallo . . .	1774-1775
409.	नेपाल में नौकरी करने वाले भारतीय कर्मचारी	Indian employees serving in Nepal .	1775
410.	अरब देशों द्वारा पाकिस्तान का समर्थन .	Arab Countries support to Pakistan .	1775
411.	रूसी और अमरीकी मानचित्रों में भारतीय राज्य क्षेत्र का गलत चित्रण .	Wrong delineation of Indian territory in Russian and USA Maps . . .	1775-1776
412.	जापानी और भारतीय अधिकारियों की बैठक .	Meeting of Indian and Japanese Officials .	1776-1777
413.	सिंगापुर के प्रधान मंत्री के वक्तव्य	Statements of Singapore Prime Minister .	1777

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
414.	श्री मोहन रानाडे की रिहाई	Release of Shri Mohan Ranade	1777
415.	दक्षिण वियतनाम को सहायता	Help to South Vietnam	1777-1778
416.	पाकिस्तान की सैन्य शक्ति	Army Strength of Pakistan	1778
417.	अमरीकी सहायता से ट्रांसमीटर लगाना	Setting up of Transmitters with US assistance	1778-1779
418.	पाकिस्तान में सिखों के धार्मिक स्थान	Sikh Shrines in Pakistan	1779
419.	छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Cantonment Board Employees	1779-1780
420.	आणविक परीक्षणों पर आंशिक रूप से प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी मास्को सन्धि	Moscow Pantial Test Ban Treaty	1780

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1911.	बारबेडोज के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Barbados	1780
1912.	लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission, London	1780-1781
1913.	खाद्य किरणीयन (इरेडियेशन) तथा परिष्करण प्रयोगशाला	Food Irradiation and Processing Laboratory	1781
1914.	सिक्किम में अर्जित लाभ की राशि को बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध	Ban on taking out of Profits earned in Sikkim	1781-1782
1915.	पाकिस्तान के लिये ट्रान्समिटर	Transmitters for Pakistan	1782
1916.	आयुध कारखाने	Ordnance Factories	1782-1783
1917.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों/मिशनों में प्रचार विभाग	Publicity Units in the Indian Embassies/ Missions Abroad	1783

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1918.	गोआ का ई० एन० जी० जहाज निर्माण कारखाना	ENG Shipyard in Goa . . .	1783-1784
1919.	क्लबों और संस्थाओं के लिये रेडियो .	Radio Sets for Clubs and Organisations .	1784—1785
1920.	जबलपुर में मोटर गाड़ी निर्माण कारखाना	Vehicles Factory at Jabalpur	1785
1921.	जापानी ट्रान्समिटर .	Japanese Transmitter . . .	1786
1922.	पाकिस्तान के लिये चीनी हथियार . .	Chinese Arms for Pakistan	1786
1923.	प्रतिरक्षा विभाग द्वारा टायरों की खरीद	Purchase of Tyres by Defence Dapartment.	1786—1788
1924.	जेनेवा निरस्त्रीकरण समिति में इथोपिया का प्रस्ताव .	Ethiopian proposal in Geneva Disarmament Committee . . .	1788
1925.	तकनीशनों के लिये लिबिया की प्रार्थना	Request from Libya for Technicians	1788
1926.	पाक रक्षा दिवस का मनाया जाना .	Observance of Pak Defence Day	1789
1927.	कलकत्ता के गार्डन रीच वर्कशाप और बम्बई के मजगांव डोक का विस्तार	Expansion of Garden Reach Workshop and Mazagon Dock, Bombay .	1789-1790
1928.	ऐल्यूट हैलीकाप्टर	Alouetie Helicopters	1790-1791
1929.	परम्परागत हथियारों में आत्म निर्भरता	Self-Sufficiency in Conventional Weapons .	1791
1930.	आकाशवाणी के महानिदेशक	Director-General, All India Radio .	1791-1792
1931.	स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes	1792-1793
1932.	प्रतिरक्षा निर्माण कार्यों के लिए आवंटित सीमेंट	Cament Allotted for Defence Works	1793
1933.	पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Peking .	1793—1794

1934. परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने की सन्धि — Non-Proliferation Treaty — 1794

1935. परमाणु अस्त्रों से रहित राष्ट्रों को परमाणु आक्रमण से रक्षा की गारंटी। — Nuclear Guarantee for Non-Nuclear Nations . . — 1794

1936. मानव अधिकारों का उच्चायुक्त — High Commissioner for Human Rights — 1795

1937. चीन में भारतीय दूतावास — Indian Mission in China — 1795

1938. परमाणु उपकरण — Nuclear Instruments — 1795-1796

1939. पटियाला में विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना — Plane crash in Patiala — 1796

1940. वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग — International Control Commission for Vietnam . — 1796-1797

1941. श्रीलंका में भारतीय उद्भव के राष्ट्रीकताहीन व्यक्ति — Stateless People of Indian Origin in Ceylon — 1797

1942. स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के भाषण — Speeches of the late Jawaharlal Nehru — 1797

1943. भारतीय समाचारपत्रों का रजिस्ट्रार — Registrar of Newspapers of India . . — 1798

1944. अखबारी कागज की सप्लाई के लिये राज सहायता — Subsidy for Newsprint Supplies — 1798

1945. फिल्म डिवीजन में समीक्षाकार — Commentators in Films Division . — 1798-1799

1946. सैनिक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते — Pay and Allowances of Defence Service Personnel . . . . — 1799

1947. मानिटेरिंग सर्विस डिवीजन का शिमला से दिल्ली में स्थानान्तरण — Shifting of Monitoring Service Division from Simla to Delhi . . — 1799

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1948.	केन्या में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत विरोधी कार्यवाहियां ।	Anti-Indian Activities by British Officials in Kenya	1800
1949.	बाल फिल्म संस्था	Childrens' Film Society .	1800 .
1950.	मानिटरिंग सर्विस डिवीजन	Monitoring Service Division .	1800-1801
1951.	प्रमुख भारतीयों के विदेशों के दौरे	Foreign Tours of Eminent Indians . .	1801-1802
1952.	नक्शों की जांच	Examination of Maps	1802
1953.	हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के कार्यालय के लिये स्थान	Office Space for H.A.L. . .	1802-1803
1954.	द्वारिका की सुरक्षा	Defence of Dwarka	1803
1955.	आकाशवाणी से दक्षिण भारतीय फिल्मों के गाने	South Indian Films Songs from A.I.R. .	1803-1804
1956.	भारतीय वायु सेना के टैंकर की चोरी	Theft of I.A.F. Tanker .	1804
1957.	गांधी स्मारक निधि	Gandhi Memorial Fund . .	1804-1805
1958.	संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के लिये भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का चुनाव	Selection of Indian Delegation for General Assembly Session	1805
1959.	इन्डोनेशिया को तकनीकी सहायता	Technical Assistance to Indonesia . .	1805
1960.	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	International film Festival .	1805-1806
1961.	बर्मा में भारतीय राष्ट्रजनों के लिए सीमा-निकासी प्रमाण-पत्र (क्लीयरेंस सर्टिफिकेट)	Clearance Certificates for Indian Nationals in Burma	1806
1962.	अवाडी में भारी मोटर गाड़ी निर्माण कारखाना	Heavy Vehicles Factory, Avadi	1805-1807

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1963.	हिन्दी में कार्य	Work in Hindi .	1807
1964.	प्रजा समाजवादी दल, दिल्ली के अध्यक्ष द्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलन	Press Conference held by President of Praja Socialist Party, Delhi	1807-1808
1965.	भूतपूर्व रियासतों के भूतपूर्व सैनिक .	Ex-Servicemen of Princely States .	1808
1966.	संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव	Secretary General of U.N.O. .	1808-1809
1967.	नेपाल में करनाली जल-विद्युत परियोजना	Karnali Hydro-Electric Project in Nepal	1809
1968.	नौसेना के विमान का मर्मागाओ बन्दरगाह के निकट दुर्घटनाग्रस्त होना	Naval Plane Crash near Marmagao Harbour	1809
1969.	कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा स्टेशन	Atomic Power Station Kotah . .	1809-1810
1970.	नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के एक कर्मचारी का लापता हो जाना	Disappearance of an official of Chinese Embassy in New Delhi . . .	1810
1971.	फिजो के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प	UN Resolution on Fiji .	1810-1811
1972.	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund .	1811
1973.	अपराधी पहिचान प्रयोगशाला	Criminal Identification Laboratory . .	1811-1812
1974.	उत्तरी वियतनाम और क्यूबा के साथ भारत का व्यापार	India's Trade with North Vietnam and Cuba	1812
1975.	काठमांडू में विदेशी डाकघर (फारेन पोस्ट आफिस)	Foreign Post Office at Kathmandu . .	1812-1813
1976.	सिक्किम परिषद् .	Sikkim Council	1813
1977.	भूतपूर्व सैनिकों की गणना	Census of Ex-Servicemen	1813

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1978.	रेडियो गोआ तथा रेडियो काश्मीर	Radio Goa and Kashmir	1813
1979.	बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोग	Indian Detenus in Burma	1814
1980.	विशाखापटनम् और कडपा में आकाशवाणी के केन्द्र	AIR Stations at Visakhapatnam and Cuddapah	1814
1981.	हैदराबाद में ट्रांसमिटर	Transmitter at Hyderabad	1815
1982.	रेडियो धर्मी धूल	Radio Activity	1815
1983.	सैनिक कर्मचारियों की पेंशन का पुनरीक्षण	Revision of Pensions of Army Personnel	1815—1817
1984.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक लिमिटेड, कानपुर	Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur	1817
1985.	विनोबा भावे को 'सोसाइटी फार दि फेमिली आफ मैन' पुरस्कार	Society for the Family of Man Award to Vinoba Bhave	1817-1818
1986.	चीन का चौथा परमाणु परीक्षण	China's Fourth Nuclear Test	1818
1987.	संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र में भारतीय सम्वाददाता के साथ दुर्व्यवहार	Indian Correspondent Mishandled in UN International Territory	1818-1819
1988.	पारपत्रों को रोक लेना	Impounding of Passports	1819
1989.	कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा डेस्क गणकों का निर्माण	Manufacture of Desk Calculators by ISI, Calcutta	1819
1990.	तीसरी योजना के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजनाओं के लिये पंजाब को नियत की गयी धनराशि	Funds alllocated to Punjab for Schemes Formulated by I & B Ministry during Third Plan	1819-1820

U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1991.	नेपाल को भारतीय वित्तीय तथा तकनीकी सहायता	Indian Financial and Technical Assistance to Nepal	1820
1992.	काफी ऊंचाई का जवानों (सैनिकों) पर प्रभाव	Effects of High Altitudes on Jawans	1820—1821
1993.	चीनियों के जासूसी गिरोह का सीमा पर सक्रिय होना	Chinese Spy Ring Operating on the Border	1822
1994.	चैकोस्लोवाकिया से करार	Agreement with Czechoslovakia	1822
1995.	नैरोबी में भारतीय विशेषज्ञ पर आक्रमण	Indian Expert attacked in Nairobi	1823
1997.	प्रचार पर व्यय	Publicity Expenditure	1823-24
1998.	उर्स में भाग लेने के लिये पंजाब में आने वाले पाकिस्तानी	Pakistanis Visiting Punjab for Participation in Urs.	1824
1999.	श्री धर्म तेजा की पत्नी के लिये पासपोर्ट	Passport for wife of Shri Dharma Teja	1824
2000.	रूस से टी० यू० 124 विमानों का मंगाया जाना	Acquisition of TU-124 Aircrafts from USSR	1824-25
2001.	लन्दन स्थित इण्डिया हाउस	India House, London	1825
2002.	अमरीका के लिए अफ्रीकी एशियाई शान्ति दल	Afro Asian Peace Corps for USA	1825
2003.	परमाणु हथियारों तथा विदेशी नीति सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Nuclear Weapons and Foreign Policy	1825-26
2004.	चमरावल में भूमि का अर्जन	Acquisition of land in Chamraval	1826
2005.	हिंडन हवाई अड्डे के निकट सड़क	Road Near Hindon Airport	1826-27
2006.	चमरावल गांव में भूमि का अधिग्रहण	Acquisition onl and in Chamraval Village	1827

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2007.	छिपे नागाओं का आपात-कालीन अधिवेशन	Emergency Session of Underground Nagas	1827
2008.	मैसूर में ट्रान्समिटर	Transmitters in Mysore .	1827-28
2009.	भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना	Settlement of Ex-Servicemen .	1828-29
2010.	आकाशवाणी में काम करने वाले ड्राइवरों का वेतनक्रम	Pay Scale of Drivers employed in AIR	1929
2010-क.	तेहरान में बेलन (रोलिंग) मिल	Rolling Mill in Teheran .	1929
2010-ख.	संयुक्त अरब गणराज्य के साथ सहयोग	Collaboration with UAR	1830
2010-ग.	एशिया फाउंडेशन (अमरीका)	Asia Foundation (America)	1830
2010-घ.	दिल्ली–लाहौर "हौट लाइन"	Delhi Lahore Hot Line .	1831
2010-ङ.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्था का सम्मेलन	Conference of International law Association	1831-32
अतारांकित प्रश्न संख्या 5006, दिनांक 9–5–1966 के उत्तर में शुद्धि		Correction of Answer To U.S.Q. 5006 dated 9-5-1966 . . .	1832
सदस्य की गिरफ्तारी तथा उसकी जमानत पर रिहाई		Arrest of Member and his Release on Bail .	1832
श्री राम सेवक यादव		(Shri Ram Sevak Yadav)	1833
सभा पटल पर रखे गये पत्र		. Papers Laid on the Table	1834
प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के बारे में वक्तव्य		Statment Re. Prime Minister's Visit to Nepal	1835
श्री मु० क० चागला		. Shri M.C. Chagla	

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 नवम्बर 1966/30 कार्तिक, 1888 (शक)

Monday, November 21, 1966/Kartika 30, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Speaker in the Chair.]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री मोहित कुमार मैत्र के दुःखद निधन की सूचना देनी है । उनका 18 नवम्बर, 1966 को कलकत्ता में 66 वर्ष की आयु में देहान्त हो गया था ।

श्री मैत्र 1956-57 में पहली लोक-सभा के सदस्य थे ।

हमें इस मित्र के निधन पर बड़ा दुख हुआ है और मुझे विश्वास है कि सभा संतप्त परिवार को संवेदना भेजने के संबंध में, मेरे साथ सहमत होगी ।

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के सभी सदस्य अपना शोक व्यक्त करने के लिये कुछ समय के लिये मौन खड़े हों ।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े हुए ।
The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रोडेशिया संकट

* **391. श्री श्री नारायणदास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रोडेशिया संकट के बारे में औपचारिक बातचीत के लिये कोई संभव तरीका निकालने के लिये रोडेशिया और ब्रिटेन के अधिकारियों के बीच हो रही बातचीत की प्रगति के

बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) हम यह समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार और रोडेशिया की गैर-कानूनी अल्पसंख्यक सरकार के बीच हाल ही में जो बातचीत हुई थी उसका उद्देश्य था सितम्बर, 1966 में हुए राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में सहमत 6 सिद्धान्तों के आधार पर और उन्होंने जो वचन दिये हैं उनके आधार पर समाधान निकालने के बारे में ब्रिटेन के सुझावों को अधिक स्पष्ट शब्दों में रखना।

(ख) इस बातचीत का क्या नतीजा निकला यह तो अभी नहीं मालूम, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने यह कह दिया है कि अगर यह गैर-कानूनी सरकार विद्रोह को समाप्त करने के लिए प्रारम्भिक और अपरिहार्य क़दम उठाने के लिए तैयार नहीं तो यूनाइटेड किंगडम वे सारे प्रस्ताव वापस ले लेगा जो उसने संवैधानिक समाधान के लिए रखे हैं और इस वर्ष के खत्म होने से पहले सुरक्षा परिषद के सामने वह प्रस्ताव रखने वालों के साथ हो जाएगा जिसमें रोडेशिया के खिलाफ़ कारगर और चुनिंदा आदेशात्मक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था होगी।

श्री श्री नारायण दास : ब्रिटेन की सरकार रोडेशिया की विद्रोही सरकार के साथ बातचीत कर रही है और मंत्री महोदय कहते हैं कि बातचीत सिद्धान्तों पर आधारित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटिश सरकार ने रोडेशिया की विद्रोही सरकार के साथ चल रही बातचीत की प्रगति के बारे में राष्ट्रमंडलीय देशों की सरकारों को सूचित कर रखा है और यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम स्थिति क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : ब्रिटेन की सरकार ने सामान्यत: बातचीत के बारे में अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों को जानकारी दी है। लेकिन हमें उनके बीच चल रही बातचीत के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है।

श्री श्रीनारायण दास : उच्चायुक्तों के होने वाले सम्मेलन के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर अपने उच्चायुक्त को रोडेशिया सरकार के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में क्या निदेश दिये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हम पूर्ण बायकाट के पक्ष में हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि श्री ईयान स्मिथ ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि यदि ब्रिटेन ने रोडेशिया के विरूद्ध प्रतिबंध लगाने के लिये सुरक्षा परिषद में कार्यवाही की तो रोडेशिया अपने आपको गणतंत्र राज्य घोषित कर देगा ? यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने ईयान स्मिथ की इस धमकी पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया का पता लगा लिया है और क्या हमारी सरकार ने भी इस धमकी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बना ली है ?

श्री दिनेश सिंह : यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि हम रोडेशिया में अवैध शासन द्वारा की गई किसी भी एक पक्षीय कार्यवाही को मान्यता नहीं देंगे।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार का ध्यान ट्रस्टीशिप कौंसिल द्वारा पारित और बाद में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित दो संकल्पों की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि ब्रिटेन इससे पूर्व ईयान स्मिथ सरकार के साथ कोई समझौता कर रहा है ? राष्ट्रमंडल

सम्मेलन में भी यह आशंका व्यक्त की गई थी कि रोडेशिया के विरुद्ध कुछ आदेशात्मक आर्थिक प्रतिबन्धों का, जिसके बारे में ब्रिटेन इतना शोर कर रहा है, इस समस्या के समाधान के लिये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस बात को देखते हुए सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां। इसीलिये हम पूर्ण बायकाट के पक्ष में हैं। हमें पता है कि राष्ट्र संघ में क्या हो रहा है। माननीय सदस्य ने ही हमारे ही विचार प्रकट करे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रोडेशिया के विरुद्ध लगाये जाने वाले प्रतिबंध क्या हैं और उनकी सीमा के बारे में ब्रिटिश विचारों और भारत और अन्य देशों, विशेषत: अफ्रीकी देशों के विचारों में क्या अन्तर है ?

श्री दिनेश सिंह : मुख्य अन्तर यह है कि ब्रिटेन यह कहता रहा है कि यदि अवैध शासन के साथ बातचीत विफल हो जाती है तो इस वर्ष के अन्त में कुछ आदेशात्मक प्रतिबंध लगाये जायें। हमारी यह राय है कि इस शासन द्वारा किसी उचित सुझाव को मानने की संभावना नहीं है और इस लिये अभी से पूर्ण आदेशात्मक प्रतिबंध लगाये जाये।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को देखते हुए कि अफ्रीकी राष्ट्रों को इस बारे में शंका हो रही है कि बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया यह तरीका विलम्बकारी है, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने इस बात पर क्यों नहीं दिया कि बातचीत की प्रगति से संसार को अवगत कराया जाये ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इस प्रश्न का कई बार उत्तर दे चुका हूं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों का यह मत है और विश्व के कुछ बड़े नेताओं का भी यह विश्वास है कि इन आदेशात्मक प्रतिबंधों से कोई लाभ नहीं होगा और इस समस्या का केवल समाधान सैनिक कार्यवाही है जो ब्रिटेन ने मलयेशिया, कीनिया और अन्य देशों में भी की थी ? यदि हां, तो इस समस्या के इस पहलू के बारे में हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या उसका यह विचार है कि रोडेशिया में बहुमत वाला शासन स्थापित करने के लिये केवल यही एक तरीका है ?

श्री दिनेश सिंह : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बारे में काफी शक हैं क्या इनमें से कोई कार्यवाही सफल होगी और इसीलिये हमने यह कहा है कि इसके समाधान के लिये ब्रिटेन को सभी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये, जिसमें सैनिक कार्यवाही भी शामिल है।

श्री अल्वारेस : सरकार ने ब्रिटेन द्वारा रोडेशिया में और अदन में अपनायी जा रही नीति के अन्तर पर ध्यान दिया होगा। जब राष्ट्र संघ ने शक्ति का इस्तेमाल करने को कहा तो ब्रिटेन ने रोडेशिया के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल करने से इन्कार कर दिया क्योंकि यह एक श्वेत राष्ट्र है जबकि इसको अदन शासन के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल करने से कोई हिचक नहीं हुई। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इसने ब्रिटेन की सरकार को अपनी प्रतिक्रिया बता दी है ?

श्री दिनेश सिंह : इस बारे में हम अपनी प्रतिक्रिया कई बार बता चुके है।

Shri Madhu Limaye: About Aden or Rhodesia?

Mr. Speaker: About Rhodesia.

Shri Ram Sewak Yadav: Are the hon. Minister aware that the British Government want to have some sort of agreement with Smith Government and do not want to solve the problem?

Mr. Speaker: This very question was asked by Shri Bhagwat Jha Azad.

अगला प्रश्न, 392–श्री कछवाय, श्री बड़े–अनुपस्थित।

(प्रश्न संख्या 393 के बारे में)

श्री स० मो० बनर्जी : इसी प्रश्न को पहले तारांकित प्रश्न संख्या 302 के रूप में स्वीकृत किया गया था . . .

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ गलती है। मैं देखूंगा। अगला प्रश्न।

श्री स० मो० बनर्जी : पहला प्रश्न गृह मंत्री से पूछा गया था और यह वैदेशिक कार्य मंत्री से पूछा गया है। क्या वैदेशिक कार्य मंत्री कोई अलग उत्तर दे सकते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो भी हों हमें अब इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री चागला।

पाकिस्तान में मिजो/नागाओं को प्रशिक्षण

\+

*393. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में गड़बड़ पैदा करने के उद्देश्य से विद्रोही मिज़ो तथा नागाओं को प्रशिक्षण देने के लिये पूर्व पाकिस्तान में एक नियमित प्रशिक्षण शिविर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में पाकिस्तान सरकार से बातचीत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) बताया जाता है कि मिज़ो और नागा विद्रोहियों ने छोटे हथियारों और विस्फोटकों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने के लिए तथा छापामार लड़ाई की तरकीबें सिखाने के लिए पूर्व पाकिस्तान में कई कैंप बनाए थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनमें से कुछ कैंप स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). पाकिस्तान द्वारा इन विद्रोहियों के लिए हथियार, साज-सामान और ट्रेनिंग की सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने तथा भारत के खिलाफ तोड़-फोड़ की कारवाइयों के लिए की ज़मीन को अड्डा बनाने के खिलाफ भी पाकिस्तान सरकार से कई बार विरोध प्रकट किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने यह मानने से इन्कार किया है कि उन्होंने नागाओं को अथवा मिज़ो लोगों को कोई सहायता दी है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 250 नागा और मिजो विद्रोही

भारत में घुस आए हैं और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि जो लोग प्रशिक्षण के लिये पाकिस्तान जाते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में न घुसने दिया जाय ?

श्री मु० क० चागला : इस ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है, हम इस बारे में भरसक प्रयत्न करते हैं कि जो लोग वहां जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और फिर यहां इस देश में आने का प्रयत्न करते हैं और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जाय। लेकिन उन को हमेशा रोकना संभव नहीं है। जहां तक हमारी सुरक्षा सेनायें उन्हें रोक सकती हैं, रोकती हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पादरी माइकेल स्काट और श्री फिजो के मार्ग-दर्शन में ये नागा विद्रोही अपने नेताओं के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं और यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल ही में विभाग ने एक सेंसर पत्र पकड़ा था जो माइकेल स्काट द्वारा अपने अनुयायियों को लिखा गया था कि वे इस क्षेत्र में आकर भारत के संविधान के अन्तर्गत नहीं बल्कि एक पृथक नागालैण्ड के लिये आन्दोलन चलाते रहें और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

श्री मु० क० चागला : इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री रंगा : पहले एक अवसर पर हमें बताया गया था कि सैकड़ों नागा पाकिस्तान चले गये हैं, वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर वे वापस आ गये हैं और इस बारे में भरसक प्रयत्न किया गया कि उन्हें वापस आने से रोका जाये। यह दूसरा मौका है। इस दौरान सरकार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ क्यों नहीं कर सकी ताकि और लोगों की सीमा पार करने, वहां जाने और प्रशिक्षण प्राप्त करने और फिर वापस आने से रोका जा सके ?

श्री मु० क० चागला : हमें इस खतरे का पता है। हम कार्यवाही कर रहे हैं। एक तो हमने पाकिस्तान को कड़ा विरोध पत्र भेजा है। दूसरे हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयत्न किया है, तीसरे, हमने इन लोगों को वापस आने से रोकने का प्रयत्न किया है। यह एक लम्बी सीमा है और संकटपूर्ण सीमा है और वहां पर किसी सैनिक अथवा सिपाही को कुछ गजों की दूरी पर नहीं रखा जा सकता। कुछ लोगों को सीमा पार करने से रोकना बहुत मुश्किल है। (**व्यवधान**) हम उनको रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रंगा : और आप हमेशा असफल रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सरकार ने दो बातें मानी हैं। वे काफी समय से पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और हमारी सरकार यह मानती है और पाकिस्तान हमेशा इस बात से इन्कार करता रहा है। ये प्रशिक्षित व्यक्ति शस्त्रास्त्र लेकर कई बार वापस आये हैं। यह बात नागाओं के बारे में थी। अब मिजो लोगों के बारे में भी यही स्थिति है। कल एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि वहां के काफी ग्रामीण मिजो विद्रोहियों के नियंत्रण में हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारा रवैया केवल इन तथ्यों को मानने और असमर्थता प्रकट करने का है जबकि स्थिति और बिगड़ गई है अथवा सरकार इस सभा को और देश को इस बारे में कोई आश्वासन दे सकती है ?

श्री मु० क० चागला : हमारा रवैया न तो समझौता करने का है और न इन तथ्यों को मानने का। मैं बता चुका हूं कि हमने क्या कार्यवाही की है और कर रहे हैं। सीमान्त पर जो भी व्यवस्था सुदृढ़ की जा सकेगी, वह की जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह उत्तर बड़ा व्यापक है । पाकिस्तान हमेशा 'नहीं' कहता रहा है । आप कहते हैं कि ऐसा है । वे लोग यहां आते रहे हैं और समाचारपत्रों के अनुसार मिजो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति खराब हुई है और गांवों पर मिजो विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। इस आश्वासन के अतिरिक्त और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : गांवों पर मिजो विद्रोहियों के कब्जे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जहां तक स्थिति बिगड़ने की बात है यह 'बिगड़ना' शब्द बहुत कड़ा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। इस समय देश में हम जो भी कार्यवाही कर सकते हैं, करते हैं। बाहरी तौर पर और क्या किया जा सकता है। जब हम किसी देश को कहते हैं कि "आपने कोई कार्य गलत किया है" और वह देश कहता है "नहीं" तो क्या किया जा सकता है। हम कड़ा विरोध प्रकट करते हैं। देश में जो भी कार्यवाही हम कर सकते हैं, करेंगे ।

श्री त्यागी : क्या सरकार यह नहीं समझती कि यह पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द समझौते के उल्लंघन का मामला है ? ये नागा किस दल के हैं ? क्या ये नागा विद्रोहियों के उसी दल के हैं जिनके साथ सरकार बातचीत कर रही है अथवा कोई भिन्न दल है ?

श्री मु० क० चागला : इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह ताशकन्द समझौते का घोर उल्लंघन है क्योंकि ताशकन्द समझौते में एक यह मूल सिद्धान्त था कि भारत या पाकिस्तान एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । यह पाकिस्तान द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है। दूसरे नागाओं के किसी दल के बारे में जिनको पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कुछ निश्चित रूप से कहना बड़ा कठिन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ताशकन्द समझौते के अतिरिक्त क्या यह सच नहीं है कि एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के नागरिकों को, उस देश में तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने के लिए अवैध रूप से शस्त्र देना और उन्हें प्रशिक्षण देना राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र और राष्ट्र संघ के कुछ निर्णयों के विपरीत है और यदि हां, तो हमरी सरकार ने पकड़े गये हथियारों के आधार पर जिनके बारे में कई बार यह बताया गया है कि वे या तो पाकिस्तानी हैं या अमरीकी अथवा ब्रिटिश या चीनी, इस मामले को राष्ट्र संघ में क्यों नहीं उठाया है ?

श्री मु० क० चागला : पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, वह केवल राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के विपरीत ही नहीं है बल्कि यह कार्यवाही अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा, अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और अन्तर्राष्ट्रीय आश्वासनों के भी विपरीत है। दूसरे, ताशकन्द समझौते के बाद हमारा इरादा यह था कि दोनों पड़ौसी देशों के बीच बातचीत द्वारा समझौता हो जाये और हमें किसी तीसरे के पास या राष्ट्र संघ के पास न जाना पड़े। इसलिये हमें अब भी यह आशा है कि पाकिस्तान ताशकन्द समझौते का पालन करेगा और वह ताशकन्द भावना का आदर करेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा था कि वे राष्ट्र संघ में क्यों नहीं ये बातें उठाते ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे राष्ट्र संघ में ये बातें उठायें या नहीं, मेरा प्रश्न यह था : जब पाकिस्तान इन्कार कर रहा है तब हमने साक्ष्यों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया । कई बार यह कहा जा चुका है कि विद्रोहियों से पकड़े गये हथियार उन देशों में बने हैं जो केवल पाकिस्तान को हथियार देते हैं ।

सरकार ने इससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या ये शस्त्र चीनी नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

Shri M. L. Verma: Once the Prime Minister had said that no negotiations will be held with Nagas for a separate State unless they agree to solve the problem within the Indian Union. I want to know why negotiations are being held with them?

Mr. Speaker: Shri Dwivedi.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने अभी बताया था कि ताशकन्द समझौते में सामान्य हितों के मामले पर विचार के लिये आपस में बातचीत करने की व्यवस्था है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विरोध-पत्र भेजने के अतिरिक्त पाकिस्तान के साथ किसी विशिष्ट मामले पर बातचीत हुई थी ? क्या सरकर ने इस पर विचार करने के लिये किसी बैठक का सुझाव दिया था ?

श्री मु० क० चागला : हम पाकिस्तान को केवल इसी मामले पर विचार करने के लिये नहीं बल्कि हमारे और पाकिस्तान के बीच अन्य सभी बाकी प्रश्नों पर विचार के लिये बैठक का सुझाव देते रहे हैं। जैसा आपको ज्ञात है मेरे साथी रावलपिंडी गये थे और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। रावलपिंडी में इस बारे में बातचीत हुई थी। हम पाकिस्तान को यह कहते रहे हैं कि हमें एक जगह बैठ कर सभी बाकी प्रश्नों पर बातचीत करनी चाहिये ताकि कोई फैसला हो सके।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : सभी मंत्रियों ने इस बात को माना है कि ये नागा विद्रोही पाकिस्तान गये, वहां प्रशिक्षण प्राप्त किया और वापस भारत आ गये। इतना ही नहीं, हर बार वे वहां जाते हैं और जा रहे हैं। हर बार वे पाकिस्तान से वापस भारत आते हैं और आ रहे हैं। पता नहीं कि उनके जाने और आने पर निगरानी रखने के लिये हम क्या कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने बताया पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिये कई बकाया प्रश्न हैं। क्या पाकिस्तान के साथ इस नागा प्रश्न पर कभी बातचीत नहीं की गयी और क्या यह कभी बाकी नहीं रहा है ?

श्री मु० क० चागला : हमने पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है कि वहां पर शिविर लगाये गये हैं ...

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं कान्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, विरोध-पत्रों की नहीं। क्या कान्फ्रेंस में इस मामले को उठाया गया था ?

श्री मु० क० चागला : रावलपिंडी में यह प्रश्न नहीं उठाया गया था। मैं बता रहा हूं कि ताशकन्द समझौते के बाद क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Shri M. L. Verma: My question has not been answered.

विदेशों में स्थित राजनयिक तथा वाणिज्यिक दूतावासों के खर्च में कमी

+

*394. **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 798 के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित राजनयिक तथा वाणिज्यिक दूतावासों के खर्च में कमी करने सम्बन्धी उपायों के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय कब कर लिया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

विदेश मंत्रालय के बजट अनुदान के अत्यन्त किफायती उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बरते गये उपायों की मोटी रूप-रेखा इस प्रकार है :

(क) विदेश-स्थित मिशनों में अफसरों और कर्मचारियों की जगहें तभी मंजूर की जाती हैं जब कि प्रस्तावों की कार्य अध्ययन के आधार पर पूरी तरह जांच कर ली जाती है और वे विदेश मंत्रालय के इकानमी बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर लिये जाते हैं ।

(ख) गम्भीर विदेशी मुद्रा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तावों की जांच किफायत पर सब से ज्यादा ज़ोर देकर की जाती है लेकिन साथ ही इसका ध्यान रखा जाता है कि कार्यकारी प्रभावकारिता पर आंच न आने पाए ।

(ग) समवर्ती नियुक्ति के तरीके को इसलिए अपनाया गया है कि उससे विदेशी मामलों पर खर्च में कमी की जा सके जो कि ऐसा न करने पर ज्यादा हो जाता है ।

(घ) नए मिशन खोलने के प्रस्तावों पर प्राथमिकता की दृष्टि से धीरे-धीरे अमल किया जाता है ।

(ङ) मिशन प्रमुखों के खर्च करने के अधिकारों की ठीक-ठीक परिभाषा कर दी गई है ।

विदेश स्थित व्यापार मिशनों/प्रदर्शन कक्षों पर व्यय में कमी करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किया है :

(क) विदेश स्थित वाणिज्यिक अनुभागों की कर्मचारी-संख्या का पुनर्विलोकन करना ; और

(ख) नये व्यापार मिशनों का खोला जाना अगले वर्ष के लिये स्थगित करना ।

Shri Yashpal Singh: What is the number of such employees in our Missions abroad who are carrying on their own trade and are making use of Government cars in making money like this?

श्री मु० क० चागला : यह उन अधिकारियों के खिलाफ बहुत गम्भीर आरोप हैं जोकि बहुत ही अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं । यदि माननीय सदस्य को किसी ऐसे मामले का पता हो तो उसका ब्यौरा मेरे पास भेज दें । मैं उसकी जांच करूंगा । सदन में इस तरह की बात कहना उचित नहीं है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने शब्द वापस ले लेंगे ।

Shri Yashpal Singh: Some persons have got themselves posted to some definite countries in order to promote their interests there. Will the hon. Minister place a statement containing details of those persons before the House? Otherwise I should be given an opportunity to place that information before the House.

Mr. Speaker: He has asked the hon. Member to pass on his information to him.

श्री भागवत झा आजाद : क्या जिन मिशनों में खर्च कम करने की बात मंत्री महोदय ने कही है उनमें लन्दन स्थित हमारा उच्च आयोग भी शामिल है जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं ? माननीय मंत्री स्वयं वहां पर उच्च आयुक्त रह चुके हैं। क्या वहां पर भी खर्च में कमी करने का विचार है।

श्री मु० क० चागला : जब मैं वहां पर उच्च आयुक्त था मैंने 200 अथवा 250 कर्मचारी कम कर दिये थे। उसके बाद संख्या में और कमी हुई है। 1955 में उस उच्चायोग में 1325 कर्मचारी थे। पुर्नगठन और पुर्नविलोकन के परिणामस्वरूप उनकी संख्या घटा कर 960 कर दी गई थी। अधिकांश कर्मचारी सप्लाई मिशन में हैं और यह पता लगाने के लिये सारी स्थिति का पुर्नविलोकन किया जा रहा है कि क्या उसमें कर्मचारियों की संख्या और कम की जा सकती है अथवा नहीं। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि अभी भी हम यह महसूस करते हैं कि वहां पर कर्मचारियों की संख्या और अधिक कम की जा सकती है और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या में अधिक से अधिक कमी करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

Shri Yashpal Singh: Is some part of salary being paid in rupees and the rest in foreign exchange to the employees of these missions? If so, what are the details thereof separately?

श्री मु० क० चागला : मैं इस प्रश्न को अच्छी तरह नहीं समझा हूं। हमारे मिशनों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते रुपयों में होते हैं परन्तु उन्हें उसको उस देश की मुद्रा में खर्च करना पड़ता है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि लन्दन स्थित उच्च आयोग का एक भारतीय अधिकारी श्री फिजो से मिला हुआ है और उसकी भारत विरोधी कार्यवाहियों में मदद करता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे भारतीयों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ?

श्री मु० क० चागला : सरकार को इस बात का पता नहीं है। यदि माननीय सदस्य उनका नाम तथा अन्य जानकारी दें तो अवश्य ही उस मामले की जांच की जायेगी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अफ्रीकी देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार ने वहां पर हमारे व्यापार मिशनों की क्षमता बढ़ाने के लिये तथा उन स्थानों पर व्यापार मिशनों में कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिये जैसे लन्दन तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जहां वास्तव में व्यापार कम हो गया है कोई कार्यवाही की है ?

श्री मु० क० चागला : व्यापर मिशनों के बारे में भी विचार हो रहा है और उनका भी पुनर्गठन किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है। कुछ देशों में,

जिनको भारत द्वारा अधिक निर्यात किये जाने की संभावना है, हमें अपने व्यापार मिशनों की क्षमता बढ़ानी होगी। कुछ स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहां व्यापार बहुत कम है परन्तु फिर भी वहां पर हमारे व्यापार मिशन मौजूद हैं। परन्तु मुश्किल यह है कि सदस्यगण एक ओर तो खर्च कम करने के लिये कहते हैं और दूसरी ओर मिशनों की क्षमता बढ़ाने के लिये आग्रह करते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav: This question relates to economy. I want to known to what extent economy has been achieved? This has not been disclosed as yet.

Though the Indian High Commission in London is overstaffed, yet they are not able to meet the requirements of the Indian students there. Our High Commission is not looking after their interests there. May I know whether Government have received complaints to this effect that the Indian students there have to get their requirements fulfilled through the Pakistan High Commission there?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं। जहां तक मुझे पता है हमारे उच्च आयोग का शिक्षा अनुभाग छात्रों के हितों की देखभाल करता है उनके लिये स्थानों का प्रबन्ध करता है और समय समय पर उनसे मिलता रहता है। हमारे उच्च आयोग का शिक्षा अनुभाग वे सब कार्य करता है और उससे वे कार्य करने ही चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav: How much economy has been effected?

श्री मु० क० चागला : वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांग 1963-64 में 587.91 लाख रुपये 1964-65 में 621.03 लाख रुपये तथा 1965-66 में 672.32 लाख रुपये थी और—यह बहुत महत्वपूर्ण है—पिछले बजट में यह केवल 577.82 लाख रुपये थी परन्तु अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इसे बढ़ा कर 810.26 लाख रुपये कर दिया गया था। इसके बावजूद भी हमने अपना व्यय तथा मांग 672 लाख रुपये से घटा कर 577 लाख रुपये कर दी।

Shri Ram Sewak Yadav: May I know whether economy is effected by preparing an economy Budget or it is practised after the Budget has been prepared?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : प्रश्न व्यापार मिशनों तथा दूतावासों में मितव्ययिता के बारे में है, परन्तु माननीय मंत्री ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय के बजट के आंकड़े बता दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मिशनों के बारे में है अथवा समूचे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के बारे में ?

श्री मु० क० चागला : यह सारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के बारे में है परन्तु अधिकतर व्यय मिशनों पर ही होता है।

अध्यक्ष महोदय : मिशनों के बारे में पृथक आंकड़े सभा पटल पर रख दिये जायें।

श्री भागवत झा आजाद : हम इस विशेष मद में की गई मितव्ययिता के आंकड़े जानना चाहते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav: What is the answer to my question?

Mr. Speaker: The hon. Minister will furnish the figures for the missions separately.

Shri Maurya: There is a show-room in Ottawa which has been taken on hire by our Government to promote trade with that country. I do not want to say anything about the expenditure being incurred on that show-room. But the rent that is being paid for that show-room is more than five times the income from trade with that country. May I know whether Government propose to close that show-room or not?

श्री मु० क० चागला : मुझे इसका पता नहीं है परन्तु जैसा मैंने कहा मिशनों के शो-रूमों तथा व्यापार केन्द्रों संबंधी समूची नीति पर विचार हो रहा है और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जो निर्णय किया जायेगा वह देश के सबसे अधिक हित में होगा।

Shri Maurya: I am saying on the basis of my personal information. The hon. Minister may inform me later on.

Mr. Speaker: The hon. Minister will look into that.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को पता है कि मितव्ययिता तथा कर्मचारियों की संख्या कम करने की दिशा में कोई देरी नहीं होगी यदि सरकार यह निर्णय कर ले कि उन कर्मचारियों को उन मिशनों में खपा दिया जायेगा जहां कर्मचारी कम हैं और यदि यह भी निर्णय कर लिया जाये कि किराये पर ली हुई जिन इमारतों के लिये सरकार को बहुत अधिक किराया देना पड़ता है उन्हें या तो खरीद लिया जायेगा या नये भवन बना दिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : ये सब सुझाव हैं।

Shri Sarjoo Pandey: In part (a) of the statement it has been said that posts of officers and staff are sanctioned after proper scrutiny. **May I know** the number of posts that have been reduced alongwith their designations as a measure of economy during this period?

श्री मु० क० चागला : हमने मिशनों के सभी पदों के कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया है और जहां कहीं भी यह देखा गया है कि किसी विशेष अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे या तो अन्य मिशन में नियुक्त कर दिया गया है या भारत वापस भेज दिया गया है ?

सेनाओं में चुनींदा लोगों की अनिवार्य भर्ती

+

***395. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**　　**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती　　**श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 25 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिंडी-पेकिंग गठजोड़ के खतरे के संदर्भ में सेनाओं में चुनींदा लोगों की अनिवार्य भर्ती करने के मामले में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या चीन-पाकिस्तान धुरी की खतरनाक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार सभी युवकों की सेना में आपात के तौर पर अनिवार्य भर्ती करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) योजना अभी विचाराधीन है ?

(ख) सभी व्यवस्कों की सेना में जबरी भर्ती आवश्यक नहीं समझी गई ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : 25 जुलाई, 1966 को एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया था कि इस कार्यक्रम पर विशेषज्ञ स्तर पर विचार हो रहा है । विशेषज्ञ स्तर पर कब से विचार हो रहा है और इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं और क्या इस योजना के बारे में जल्दी ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही कहा है कि यह अभी विचाराधीन है । यह सच है कि विशेषज्ञों ने इस पर राय देनी थी, परन्तु उनकी राय एक जैसी नहीं थी; कुछ ने कहा था कि यह योजना बहुत महंगी पड़ेगी और जो प्रयत्न करने पड़ेंगे, वास्तविक परिणाम उससे कहीं कम होंगे ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : यह कहा गया है कि योजना बहुत महंगी पड़ेगी । क्या इस योजना का कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है और क्या राज्यों को इस बारे में सूचित किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : नहीं, राज्यों को अभी सूचित नहीं किया गया है । जहां तक लागत का सम्बन्ध है, योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिये इसके वित्तीय पहलू का अनुमान बताना संभव नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार यह बताएगी कि उसका किस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि भरती के लिये काफी संख्या में लोग आ रहे हैं । अनिवार्य भरती की बात तो तभी उत्पन्न हो सकती है जब लोग स्वेच्छा से भरती नहीं हो रहे हों । हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देशवासियों की देश भक्ति ऐसी है कि वे स्वयं बड़ी संख्या में भरती होने के लिये आते रहे हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey: Do we have an adequate army to repel the Pindi-Peking threat? Because the hon. Minister has said that Government is not contemplating to resort to conscription at present.

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है । जैसा मैंने पहले कहा है, लोग काफी संख्या में भरती के लिये आते रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि काफी अधिकारियों ने, जिन्हें इमर्जेंसी कमीशन दिये गये थे, यह इच्छा प्रकट की है कि यदि उन्हें उन पदों पर नहीं रखा जाता है जिन पर वे नियुक्त किये गये थे, तो वे निचले पदों पर भी काम करने के लिये तैयार हैं ? यदि इसका उत्तर 'हां' में हो, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि उन्हें पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : चाहे यह परम्परा रही है या इसके पीछे आर्थिक कारण हों, परन्तु सच्चाई यह है कि हमारी सेनाओं में अधिकतम लोग निचले मध्यम वर्ग तथा कृषक वर्ग के हैं और तथाकथित धनी वर्ग तथा ऊंचे मध्यम वर्ग के लोगों की सेवाओं का सेना में उपयोग नहीं हुआ है। क्या इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता के हित में इस असन्तुलन को जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए इस योजना को लागू करना उचित नहीं होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री कपूर सिंह : मंत्री महोदय के उपरोक्त उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार का विचार सेना में अस्थायी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को जारी किये गये नोटिस वापस लेने का है अथवा निलम्बित करने का है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अस्थायी कमीशन के लिए नियुक्ति एक विशेष योजना के अन्तर्गत की गई थी और भरती होने वाले अधिकारियों को पता था कि उन्हें अस्थायी तौर पर लिया जा रहा है। उनमें से कुछ अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिये जाने के बारे में विचार किया जा सकता है परन्तु वह योजना केवल अस्थायी कमीशन से ही सम्बन्ध रखती है। और उसके कुछ पहलू ऐसे हैं जिनमें आसानी से फेरबदल नहीं की जा सकती।

Shri Yashpal Singh: About 4000 young men were given these temporary commissions. They have been given notices. Government is not prepared to absorb them in their previous posts and is even not prepared to give any guarantee that they would be absorbed somewhere. They represent the cream of our country. May I know what Government propose to do for them?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि जिन लोगों ने स्वेच्छा से अपातकालीन अवधि में सेना में काम करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की थीं उन्होंने देश के लिए बलिदान तथा उसकी सेवा करने की भावना से ही वैसा किया था। उनकी सेवाओं का उपयोग किया गया। परन्तु उन्हें किसी निश्चित उद्देश्य से ही लिया गया था। हम उन्हें अन्य नौकरियां दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। उनमें से कुछ लोगों को स्थायी कमीशन मिल जायेगा। हमारी कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में संसद् में समय समय पर ज़िकर किया गया है।

श्री दी० चं० शर्मा: मुझे तो 'चुनींदा लोगों की अनिवार्य भर्ती' शब्द परस्पर विरोधी से लगते हैं। मैं इस बात को माने लेता हूं कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वे विशेषज्ञ कौन हैं जो इस महान समस्या का अध्ययन कर रहे हैं और उनके निर्देश पद क्या हैं और इसके बारे में वे किन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस में कोई भी विरोधी बात नहीं है। चुनींदा लोगों की अनिवार्य भर्ती का अर्थ है सभी बालिग व्यक्तियों की अनिवार्य भर्ती नहीं, अपितु कुछ श्रेणियों के लोगों की अनिवार्य भर्ती। मैं उन सभी विशेषज्ञों के नाम इस समय नहीं बता सकता हूं जो सरकार को इस मामले में सलाह दे रहे हैं। परन्तु मुझे पता है कि डा० कोठारी भी उनमें से एक हैं। उनकी सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए कोई निर्णय करने का प्रश्न अभी उत्पन्न ही नहीं होता।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या मैं जान सकती हूं कि आरक्षित सेना तथा प्रादेशिक सेना का नियमित सेनाओं की तुलना में क्या अनुपात है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पृथक् प्रश्न की सूचना दिये जाने पर मैं अवश्य ही यह जानकारी दे दूंगा ।

Shri Maurya: In times of emergency or otherwise scheduled caste people show greater response for recruitment in the armed services of the country. They possess good physique and get selected, but when they disclose their caste they are told that scheduled castes people are not to be recruited. In the light of the above, do Government propose to stop this old practice, because in this scientific age, the term martial or non-martial communities has no relevance?

श्री स्वर्ण सिंह : सभी भारतीय भरती हो सकते हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों । यदि माननीय सदस्य को इस तरह के किसी मामले का पता हो, तो मैं उसकी जांच करने के लिए तैयार हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav: Have Government received some such complaints?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं । मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

तारापुर अणुशक्ति केन्द्र

+

*396. **डा० म० मो० दास :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० पू० ना० खां : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर अणु शक्ति केन्द्र के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी को भारत द्वारा कितनी धनराशि दी जानी है ; और

(ग) क्या उपरोक्त विदेशी फर्म, जिसे "टर्न-की" आधार पर निर्माण का कार्य सौंपा गया है, इस अणु शक्ति केन्द्र के निर्माण में भारतीय इंजीनियरों की सेवाओं का उपयोग कर रही है ?

प्रधान मंत्री की सभा-सचिव (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) अणु शक्ति केन्द्र का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है ।

(ख) अवमूल्यन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परियोजना का नवीनतम अनुमानित लागत लगभग 64.50 करोड़ रुपए हैं, इसके अतिरिक्त ईंधन के प्रारम्भिक प्रयोग पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे ।

अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी और इंटरनैशनल इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया को 66.03 करोड़ रुपए दिये जाने हैं (जिनमें 40.78 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है) ।

(ग) जी, हां ।

डा० म० मो० दास : इस अणु शक्ति केन्द्र के निर्माण के ठेका अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी को "टर्न-की" के आधार पर दिया गया है । "टर्न-की" आधार में यह नुक्सान है कि हमारे

इंजीनियरों को इसके निर्माण में अनुभव प्राप्त करने की बहुत कम गुंजाइश है। इस नुक्सान को ध्यान में रखते हुए इस ठेके को "टर्न-की" आधार पर देने में क्या लाभ थे।

डा० सरोजिनी महिषी : ठेका तो "टर्न-की" आधार पर है। लेकिन करार में यह व्यवस्था है कि उन्हें भारी संख्या में हमारे इंजीनियरों को नियुक्त करना होगा। भारत में रखे गये 207 इंजीनियरों में से 191 भारतीय हैं।

डा० म० मो० दास : अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करते समय किन बातों को ध्यान में रखना होता है और देश में प्रथम अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए तारापुर को किन कारणों से चुना गया था ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस समय पूछ रहे हैं कि इसे कैसे चुना गया था ?

डा० सरोजिनी महिषी : एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। जिसने सारी बातों पर विचार किया था।

श्री भागवत झा आजाद : जबकि अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी को 60 प्रतिशत कार्य दिया गया है, क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है यद्यपि 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है ?

डा० सरोजिनी महिषी : कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे नहीं है। पिछले वर्ष संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा सामान के रोक लिए जाने के कारण विलम्ब अवश्य हुआ था।

Shri M. L. Dwivedi: May I know the capacity of producing atomic power, in production in different stages and how and where it will be utilised?

डा० सरोजिनी महिषी : इस केन्द्र की कुल क्षमता 380 मेगा वाट होगी और गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य समान रूप से इसका उपयोग करेंगे।

श्री स० चं० सामन्त : हम प्राय: सुनते हैं कि वहां पर कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद है। क्या कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा।

डा० सरोजिनी महिषी: बेंकटैल (इंडिया) लिमिटेड के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। लेकिन उसका कारण कर्मचारियों और कम्पनी के बीच असहमति के कारण हुई थी। सरकार का उससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है। काम में भी कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

श्री सुबोध हंसदा : इस परियोजना का निर्माण एक विदेशी कम्पनी को सौंपा गया है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे इंजीनियर इस कार्य को करने योग्य नहीं हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी: मैं प्रश्न के एक भाग का उत्तर दे चुकी हूं। भारत में काम करने वाले 207 इंजीनियरों में से 191 भारतीय हैं। यहां पर निर्माण-कार्य करने वाले लगभग 4000 तकनीशियन और कारीगर सभी भारतीय हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: Will the **Prime Minister** kindly state whether 30 Indian engineers have resigned because they are paid half of the pay that is drawn by foreign engineers?

डा० सरोजिनी महिषी : इस समय इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि यदि हम आज परमाणु बम बनाने का निर्णय करते हैं तो इसे बनाने में हमें कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह एक अलग प्रश्न है ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, are Government aware that a union affiliated to I.N.T.U.C. was given recognition although it did not enjoy support of the workers, which led to strike resulting in delay in the construction?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस प्रश्न का संसद् के पिछले अधिवेशन में कई बार उत्तर दिया जा चुका है ।

Shri Madhu Limaye: This will not do. Since a question has been put, she should answer it.

Mr. Speaker: Members should also remain up-to-date.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । हड़ताल अथवा सनसनी, ठेकेदार और कर्मचारियों के बीच थी । हम इसमें किसी प्रकार भी नहीं आते ।

पाकिस्तान के लिये अमरीकी पनडुब्बियां

\+

*397. **डा० म० मो० दास :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० पू० ना० खां : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आज़ाद : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को प्रशिक्षण के लिए ऋण के तौर पर दी गई पनडुब्बी कुछ मरम्मत के लिए वापिस अमरीका पहुंच गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका ने पाकिस्तान को प्रशिक्षण के लिए एक दूसरी पनडुब्बी ऋण के तौर पर दी है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीका सरकार के साथ बातचीत की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी नहीं, जहां तक भारत सरकार को मालूम है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० म० मो० दास : क्या प्रशिक्षण के लिए अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी गई इस पनडुब्बी ने गत वर्ष के संघर्ष में इस समय तक सक्रिय भाग लिया था जब तक भारतीय नौसेना के जहाज से एक जल बम छोड़कर इसे बेकार नहीं कर दिया गया ?

श्री मु० क० चागला : इस पनडुब्बी के बारे में हम तो यही समझते हैं कि 1964 में अमरीका ने यह पनडुब्बी पांच वर्ष के लिए ऋण के रूप में इस सामान्य शर्त पर दी थी कि इसको साम्यवादी देशों द्वारा आक्रमण के अतिरिक्त किस अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जायेगी । हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि वास्तव में गत वर्ष के संघर्ष में इसे प्रयोग किया गया था । इसका मुख्य प्रयोजन तो प्रशिक्षण देना था ।

श्रीमती सावित्री निगम : इसे प्रयोग किया गया था । इस सभा में यह स्वीकार किया गया था ।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस सभा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था ।

श्री त्यागी : क्या हम भारत में पनडुब्बी-प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं ?

डा० म० मो० दास : हमें कब तक एक पतडुब्बी मिल जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस सभा में यह स्वीकार किया गया है कि प्रशिक्षण के लिये पाकिस्तान को ऋण के रूप में दी गई यह पनडुब्बी भारत के विरूद्ध संघर्ष में प्रयोग की गई थी । सरकार ने अमरीका को इस पनडुब्बी को वापस लेने के लिये क्या कायवाही की है यदि अभी तक यह वापस नहीं ली गई है ?

श्री मु० क० चागला : सभी सदस्य गण जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध पैटन टैंकों का प्रयोग किया था, वे भी किस विशेष प्रयोजन के लिये दिये गये थे । भारत सरकार ने अमरीका सरकार से विरोध प्रकट किया है और अमरीका सरकार का इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि पाकिस्तान को हथियार आदि देने का अर्थ है दोनों देशों के बीच स्थिति खराब करना और यह पूरा अन्देशा है कि पाकिस्तान को दी गई प्रत्येक चीज़ भारत के विरुद्ध प्रयोग की जायेगी जैसाकि हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष से सिद्ध हो गया है । यदि पनडुब्बी प्रयोग की गई थी, तो वह भी पैटन टैंकों तथा अन्य अमरीकी हथियारों की श्रेणी में आती हैं, जो अमरीका और पाकिस्तान के बीच समझौते के विपरीत भारत के विरूद्ध प्रयोग किये गये थे ।

श्री भागवत झा आजाद : पैटन टैंक और सेवर जैट अन्य प्रयोजनों के लिये दिये गये थे । पनडुब्बी के बारे में करार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह प्रशिक्षण के लिये हैं । इसलिये दोनों में अन्तर है । पनडुब्बी प्रशिक्षण के लिये दी गई थी परन्तु संघर्ष में प्रयोग की गई । पैटन टैंक और सेबर जैट प्रशिक्षण के लिये नहीं दिये गये थे । क्या अमरीका सरकार का ध्यान पनडुब्बी के प्रयोग किये जाने की ओर दिलाया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वे तो वहां पर ही रहने थे जबकि इसे वापस करना था ।

श्री मु० क० चागला : सिद्धान्त रूप से यह पनडुब्बी पांच साल के लिये दी गई थी परन्तु अमरीका को इसे वापस बुलाने का अधिकार है । जहां तक मुझे मालूम है, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमरीका से ऋण अथवा अन्यथा प्राप्त हथियारों के प्रयोग के प्रत्येक मामले की ओर अमरीका का ध्यान दिलाया गया है । इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि इस मामले की ओर अमरीका का ध्यान दिलाया गया था या नहीं ।

Shri M. L. Dwivedi: While giving this submarine to Pakistan it was made clear to Pakistan that it would be recalled by U.S. Government? Now the hon. Minister says that it is still with Pakistan. Is it still in service with Pakistan and has not been recalled by U.S.A. Is the hon. Minister aware that Pakistan is trying to acquire 6 more submarines?

श्री मु० क० चागला : मैं कह चुका हूं कि यह पनडुब्बी अब भी पाकिस्तान के पास है । यह 1964 में पांच वर्ष के लिये ऋण के रूप में प्रशिक्षण देने के लिये दी गई थी । चूंकि पांच वर्ष समाप्त नहीं हुए हैं, अमरीका ने पाकिस्तान से पनडुब्बी वापस करने के लिये नहीं कहा है ।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, मुझे जानकारी नहीं है यदि पाकिस्तान अन्य देशों से अन्य पनडुब्बियां लेने की कोशिश कर रहा है।

श्री प्र० चं० बरुआ : अमरीका द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बियों की सप्लाई के अतिरिक्त क्या पाकिस्तान चीन से भी पनडुब्बियां प्राप्त कर रहा है और क्या हाल में तीन पनडुब्बियों की सप्लाई के लिये एक फ्रांसिसी फर्म के साथ करार किया गया है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने फ्रांसिसी सरकार से लिखा-पढ़ी की है ताकि पाकिस्तान द्वारा शस्त्रास्त्रों के जमा किये जाने से शान्ति को उत्पन्न होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को ये पनडुब्बियां सप्लाई न की जायें ? यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : जैसा मैं पहले बता चुका हूं, यदि पाकिस्तान विश्व में व्यापारिक शर्तों पर पनडुब्बियां तथा अन्य हथियार खरीदता है, तो हमारे लिये कार्यवाही करना बहुत कठिन है। जब हम कर सकते हैं, सम्बन्धित देशों का ध्यान पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सप्लाई करने के परिणामों तथा भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों पर इसके प्रभाव की ओर दिलाते हैं।

Attempt to Derail 1 Dn. A.T. Mail

Short Notice Question No. 2. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hundred of Railway passengers travelling by 1 Dn. A.T. Mail (North Eastern Railway) had providential escape on the 10th November, 1966 between the Badshahnagar and Daliganj Railway Stations where saboteurs tried to derail by placing huge boulders on the track;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps Government have taken against the saboteurs?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). No, Sir. The correct position is that on 9th November, 1966 at about 18.40 hours the engine of 1 Up A.T. Mail dashed against a piece of stone of boundary pillar kept on the track at Km 773/3 between Badshahnagar and Daliganj stations, on North Eastern Railway. There was no damage to permanent way nor any injury was caused to passengers.

(c) Government Railway Police Lucknow has registered a case under section 126 of Indian Railways Act and are investigating into it. Civil Police has been stationed to patrol the area.

Shri Vishwa Nath Pandey: Sir, Badshahnagar and Daliganj stations are under Lucknow, the Capital of U.P. The metre gauge line of N.E. Railway passes through Lucknow and many important trains run on this line, therefore, may I know whether U.P. Government has been informed by the Ministry of Railways about this incident so that they may take suitable measures on this track to avoid such acts of sabotage?

Dr. Ram Subhag Singh: Yes, Sir.

Shri Vishwa Nath Pandey: The N.E. Railway passes through U.P., Bihar, Bengal and Assam and it is a very long track. Apart from this incident, four small bombs were placed at the Nayagaon station on Chhapra line on 13th November, one bomb exploded resulting in death of many persons. What special steps are being taken by the Ministry of Railways to avoid

such acts of sabotage on the railway tracks so that trains may reach their destinations safely?

Dr. Ram Subhag Singh: It is true that four bombs of 6 chhatank each were found near Nayagaon station but no one was killed. Two boys seen at the spot were injured when one of the bombs exploded and they were taken into custody. No one else was effected.

Shri Vishwa Nath Pandey: Sir, what security measures are being taken by the Ministry of Railways to avoid recurrence of such acts of sabotage in future?

Dr. Ram Subhag Singh: The State Government has taken up the matter and they have been asked to intensify patrolling.

Shri Ram Sewak Yadav: Mr. Speaker, as stated by the hon. Minister Daliganj and Badshahnagar stations are well in the Lucknow city and this track runs through a thickly populated area. Since agitation by the employees there the track is being guarded by police and the R.P.F. In view of these facts how this boulder was placed there and whether railway employees or officers are feared to be involved in it?

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister is involved.

Dr. Ram Subhag Singh: Shri Madhu Limaye may be involved in it.

Shri Madhu Limaye: How can I be involved. He should be ashamed that accident occurs while he is in office as Minister.

Dr. Ram Subhag Singh: He should be ashamed, he is involved in it. As Shri Ram Sewak Yadav stated it is correct that no incident occurred there for the last five years and this question is being investigated by Lucknow Police as I stated in reply to the main question. Necessary action will be taken in the light of this investigation.

Shri Ram Sewak Yadav: My question was very specific that this Badshahnagar and Daliganj stations are situated inside the city and R.P.F. had been patrolling there already. In view of this who is responsible for this incident?

Dr. Ram Subhag Singh: It will be known after the investigation is complete.

Shri Ram Sewak Yadav: When no man has been arrested then what is going to be investigated?

Shri A. P. Sharma: May I know whether in view of the fact that such incidents are often in several parts of the country, Government have tried to establish contacts with the important persons of the localities and to entrust them with the responsibility to keep a vigil on the railway track with a view to check the recurrence of such incidents?

Dr. Ram Subhag Singh: This thing has been considered and contracts are also being established with some persons to implement it and as suggested by the hon. Member it will be fully gone into.

Shri Sheo Narain: In view of the fact that the accidents on the metre gauge North-Eastern Railway, which connects Nefa, have become a daily affair, may I know what the Intelligence Department of the Government is doing? What special efforts are being made by the Railway to check this sabotage and to make Railway travelling more safe?

Dr. Ram Subhag Singh: As already stated as a result of the vigil kept by the Intelligence Department 58 bombs have been caught on the North-Eastern Railway track.

Shri Priya Gupta: The hon. Minister stated that patrolling will be arranged. May I know upto what point from Lucknow will it be arranged? It will not be proper to discontinue the patrolling under Economy Drive as it only affects the labourers and the low paid employees. What steps Government contemplate to take in this regard? Do Government propose to introduce constant patrolling in view of the fact that the trains are running round the clock?

Dr. Ram Subhag Singh: The hon. Member asked this question yesterday also and I had stated that we shall take all the necessary steps in that direction. Today an answer to the main question I stated that in that area, i.e. between those two stations Civil Police has been deputed. But so far as the gangmen are concerned, no such thing under economy drive will be done as would adversely affect them.

Shri Priya Gupta: Who will do the patrolling?

Dr. Ram Subhag Singh: The patrolling Daliganj and Badshahnagar near Lucknow has been entrusted to the civil police and at other places to other persons.

श्री हेम बरुआ : चूंकि तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के कारण देश में रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, रेल पटरियों की सुरक्षा और भारतीय लोगों की जाने जिन दुर्घटनाओं में जाती हैं विवशेष रूप से ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : इसी दृष्टि से हमने मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था जिसमें इस बात पर बल दिया गया था। रेलपटरियों की सुरक्षा और अपराधियों का पता लगाने के लिये वे उपयुक्त पूर्वोपाय करने के लिये राजी हो गये थे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की भी एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने इस पहलू पर विचार किया और इस बात पर सहमत हो गया कि रेल पटरियों आदि पर गश्त लगाने के लिये देश भर में सरकार द्वारा उपाय किये जाने चाहियें।

Shri Kashi Ram Gupta: The hon. Minister stated out of the 4 bombs placed there one had exploded. What was the potentiality of all the four bombs and what damage would have possibly resulted if all of them had gone off simultaneously? Secondly, regarding enquiry it is too often repeated here that the report will be placed on the Table of the House. May I know whether this report will be placed before the expiry of this session or not?

Dr. Ram Subhag Singh: As I have already stated all these four bombs found near Nayagaon Railway station weigh 6 chhatanks each. Due to the explosion of bomb two boys aged 18 received injuries and they have been arrested. Neither of the two has died. From this it can be judged that how much dangerous they were. All the four were country-made bombs. This matter is under investigation by the Daliganj police and the report will be placed on the Table as soon it is received.

Shri Bade: In answer to Shri Yadav's question the hon. Minister had stated that R.P.F. was patrolling there. May I know whether they have submitted any report, if so, why precautionary measures were not taken?

Dr. Ram Subhag Singh: The question of Shri Yadav related to the urban area of Lucknow while Nayagaon is near Chhapra in Bihar. R.P.F. was already there, but R.P.F. was not on the track in Bihar near Kanpur. Those four bombs were found placed near the culvert at a distance of five miles from the track. The police went there and guarded that place and arrested both the persons who were present there.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

A.I.R. Broadcasts on Famine Conditions in India

***392. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it was broadcast from the All India Radio and shown on television that a large number of people in India are dying due to famine;

(b) whether it is also a fact that various organisations in foreign countries are sending gifts in the form of money, cloth and foodgrains as a result thereof; and

(c) if so, the reasons due to which the problems of the country which are of lesser magnitude are being demonstrated in magnified form?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) All India Radio has neither broadcast on the radio nor shown on the Television that a large number of people in India are dying due to famine.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा भारत को शस्त्रों की सप्लाई

*** 398. श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी राष्ट्र पाकिस्तान और भारत को शस्त्रों की सप्लाई करने पर लगाये गये नियंत्रण को पूर्णत: हटाने के लिये सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर : और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). यू० एस० ए०, कनेडा और पश्चिमी जर्मनी के सिवाए सभी पश्चिमी देशों द्वारा भारत और पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध शिथिल कर दिया गया है। पश्चिमी जर्मनी की हालत में विशेष किस्मों के हथियारों और गोली बारूद के निर्यात पर प्रतिबन्ध जारी है। यू० एस० ए० और कनेडा द्वारा घातक मदों का विक्रय स्थगित है, तदपि अघातक मदों के विक्रय पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

ताइवान जाने वाले संसद् सदस्यों को दी गई सुविधायें

*399. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सितम्बर में संसद् सदस्यों के एक दल को ताइवान जाने की सुविधाएं दी गई थीं ; और

(ख) क्या इससे चीन साम्यवादी गणराज्य को मान्यता देने तथा ताइवान सरकार को मान्यता न देने के बारे में सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन आने का संकेत मिलता है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विपक्षी पार्टियों के संसद् सदस्यों का एक दल पिछले सितम्बर में फारमोसा गया था, लेकिन सरकार द्वारा इस यात्रा के लिए उन्हें कोई विशेष सुविधाएं देने का प्रश्न नहीं था।

(ख) जी नहीं।

पारपत्र नियमों में परिवर्तन

*400. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पारपत्र नियमों में कुछ परिवर्तन किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान नियमों में क्या मुख्य परिवतन किये गये हैं तथा इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ये परिवर्तन इस कारण किए गए हैं जिससे प्रार्थना पत्रों को जल्दी निपटाया जा सके। सदन की मेज़ पर एक ब्यौरा रख दिया गया है जिसमें ये परिवर्तन बताए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7361/66]**

कामोत्तेजक फिल्में

*401. **श्री ब० कु० दास** :
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने देश में तैयार की गई ऐसी अनेक फिल्मों के कुप्रभाव के बारे में, जिनमें कामोत्तेजक तथा पतित मानवीय भावनाओं की प्रधानता है, केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह प्रार्थना की है कि इस संबंध में फिल्मों का सेंसर अधिक सख्ती से किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

गाद (सिल्ट) का बहाव

*402. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० म० मो० दास : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति संस्थान ने सेतुसमुद्रम् परियोजना के संबंध में पाक स्ट्रेट में रेग (सिल्ट) के बहाव के बारे में जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो यह जांच करने पर कुल कितना खर्च हुआ है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य पर लगभग 56,000 रुपये की राशि खर्च की गयी है। समुद्र-तल पर रेग के बहाव की दिशा जानने के संबंध में रेडियो ट्रेसर द्वारा किये गये प्रयोगों के परिणाम सेतुसमुद्रम् नहर परियोजना के अधिकारियों को भेज दिये गये हैं।

छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी जांच समिति

*403. **श्रीमती विमला देवी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे समाचारपत्रों संबंधी जांच समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया ह ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). छोटे समाचारपत्रों की जांच समिति की सिफारिशें अनेक विषयों पर हैं और विभिन्न पक्षों से संबंधित हैं जैसे राज्य सरकारें, केन्द्रीय मन्त्रालय, समाचारपत्र संस्थाएं आदि। रिपोर्ट पर अभी विचार पूरा नहीं हुआ है क्योंकि कुछ सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से राय नहीं मिली है। जांच पूरी होने पर सदन की मेज़ पर एक विवरण रख दिया जाएगा जिसमें यह सूचना होगी कि विभिन्न सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में गुप्त दस्तावेजों की चोरी और गुप्त सूचना का मालूम हो जाना

*404. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उनके मंत्रालय में गुप्त दस्तावेजों/कागजों के चोरी हो जाने

ग्रौर गुप्त सूचना के मालूम हो जाने के कई मामले हुए हैं ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच पड़ताल की गई थी ग्रौर उसका क्या परिणाम रहा है ; ग्रौर

(ग) उस मंत्रालय में सुरक्षाव्यवस्था को मजबूत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क). विदेश मंत्रालय से कोई दस्तावेज/कागज चोरी नहीं गए हैं। लेकिन ग्रधिकारियों की सामान्य पोस्टिंग/तबादलों से संबद्ध मामलों से तथा, ग्रत्यन्त विशिष्ट व्यक्तियों (वी० ग्राई० पी०) के दौरों से संबद्ध सूचना किसी तरह कुछ भारतीय ग्रखबारों में छपी हैं।

(ख) मंत्रालय में ग्रौर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए ग्रावश्यक जांच-पड़ताल की गई थी, लेकिन किसी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराना सम्भव नहीं हो सका है।

(ग) ग्रधिकारियों ग्रौर कर्मचारियों को समुचित रूप से सावधान कर दिया गया है तथा मंत्रालय में मुख्यालय पर ग्रौर विदेश-स्थित मिशनों/केन्द्रों पर भौतिक, दस्तावेज संबंधी ग्रौर कर्मचारी संबंधी सुरक्षात्मक पहलुग्रों को बेहतर बनाने के लिए ग्रावश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा निश्चित ग्रवधि के बाद सुरक्षा संबंधी जांच की जाती है तथा सुरक्षा की ग्रोर से सतर्क रहने के महत्व के प्रति सभी ग्रधिकारियों/कर्मचारियों को निश्चित समय के बाद निदेश दिए जाते है। ग्रत्यन्त गोपनीय/गोपनीय दस्तावेजों से संबंध रखने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों की ग्रोर पूर्ववृत्त (ऐन्टेसेडैन्ट) की समय समय पर जांच की जाती है।

ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश हिन्द महासागर क्षेत्र की स्थापना

*405. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह जबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की उपनिवेशवाद सम्बन्धी विशेष समिति के एक दल ने ब्रिटेन पर ग्रारोप लगाया है कि उसने ब्रिटिश हिन्द महासागर क्षत्र स्थापित करके महासभा के संकल्प का उल्लंघन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उप-समिति ने बताया है कि ब्रिटेन ने नये क्षेत्र बनाने के लिए मौरिशस तथा सेविलीस से द्वीप को पृथक कर के द्वीप की क्षेत्रीय ग्रखण्डता भंग की है तथा महासभा के संकल्प की शर्तों का उल्लंघन किया है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) ग्रौर (ख). जी हां।

(ग) इस सवाल पर सरकार उप-समिति के विचारों ग्रौर उसकी सिफारिशों का समर्थन करती है।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी

*406. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 1 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के रोक लिये गये वेतन तथा भत्तों का भुगतान करने के प्रश्न पर फिर से विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या उनको, उन्हीं लोगों की भांति जिन्होंने भारत के अन्दर स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था, राजनीतिक पीड़ित माना गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कुल परिणाम क्या होंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) तथा (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों सहित सभी राजनीतिक पीड़ितों को निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध हैं :—

(1) अन्य बातों के समान होने पर, सरकारी सेवा में प्रवेश पाने के लिये राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेना एक अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है ।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्तियों के हेतु संघ लोक सेवा आयोग या अन्य प्राधिकरणों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रवेश-आयु में कुछ छूट दिया जाना । 31 दिसम्बर, 1951 के पश्चात् यह छूट बन्द कर दी गयी ।

(3) ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के प्रश्न पर विचार करते समय उनकी पीड़ाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये ।

(4) ऐसे कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों को वजीफा, पुस्तक अनुदान, छात्रावासों में नि:शुल्क जगह आदि देकर शिक्षा के क्षेत्र में रियायत देना ।

(5) उन्हें और उनके आश्रितों को वित्तीय अनुदान के रूप में अनावर्ती एक मुश्त राशि का दिया जाना ।

2. भूतपूर्व भारतीय सेना के उन कर्मचारियों को, जो आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गये थे, निम्नलिखित रियायतें दी जा रही हैं :

(क) नये सिरे से कमीशन दिये जाने या सेना में पुन: भर्ती किये जाने पर उनका वेतन, वेतन-वृद्धि, उपदान तथा पेंशन निर्धारित करते समय उनकी पहली सेवा के साथ आजाद हिन्द फौज की सेवा को भी गिना गया था ।

(ख) असैनिक पदों पर नियुक्ति के लिये उन्हें छंटनी से प्रभावित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति समझा गया और उन्हें सामान्य "प्राथमिकता" तथा आयु सम्बन्धी छूट दी गयी थी ।

3. भूतपूर्व भारतीय सेना के कर्मचारियों को, जो बाद में आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे, विभिन्न प्रकार की वे सब रियायतें दी जाती हैं जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिये मंजूर की गयी हैं ।

India's claim over Longju and Barahoti Area

***407. Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether, as a result of reduction in the area of India shown in the publications of the Survey of India off and on, India has dropped its claim over certain areas of Longju and Barahoti, which were previously taken to be Indian territory; and

(b) the names of such regions and their respective areas?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). On August 5th, 1966, the Minister of Education had laid on the Table of the House a statement explaining the reasons for variations in the area of India as given in the Survey of India publications. These variations were explained to be the result of various factors including technical ones. There is no question of the Government of India having dropped its claim over Longju and Barahoti. The Government of India considers these areas as integral parts of India and not as something over which it has laid a "claim".

रानी गायदेलु

*408. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड की रानी गायदेलु जुलीयांग-कुकी क्षेत्र के गहरे जंगल में स्थित अपने गुप्त स्थान से बाहर आकर कुछ मास पूर्व कोहिमा में बस गई है ;

(ख) क्या हाल ही में रानी नागालैंड सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने अनुयायियों को लेने जुलीयांग-कुकी क्षेत्र में गई थी, जिनको उसने यह सलाह दी थी कि वे जंगल से बाहर आ जायें और अपने हथियार नागालैंड के अधिकारियों को सौंप दें ; और

(ग) यदि हां, तो रानी गायदेलु की इस सलाह का विद्रोही नागाओं पर यदि कोई प्रभाव पड़ा है तो इसा प्रभाव पड़ा है और उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रानी गयादेलु के 308 अनुयायियों ने 24 सितम्बर को हेनिमा (जिला कोहिमा) में आत्मसमर्पण किया था । इस अवसर पर नागालैंड राज्य के मंत्री, श्री इहेजा सीमा उपस्थित थे । रानी गयादेलु भी उपस्थित थीं ।

(ग) आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तदर्थ आधार पर 50–50 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया था। जिन 308 व्यक्तियों ने समर्पण किया था उन में से 152 को नागालैंड की सशस्त्र पुलिस में ले लिया गया है। उनके पुनर्वास के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। रानी गयादेलु के अनुयायियों के आत्मसमर्पण करने पर छिपे नागाओं की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई।

नेपाल में नौकरी करने वाले भारतीय कर्मचारी

*409. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया यह सच है कि नेपाल में नौकरी करने वाले अनेक भारतीय कर्मचारियों के स्थान पर नैपाली राष्ट्रजन नियुक्त किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को सूचना मिली है कि नेपाल के स्कूलों में काम करने वाले भारतीय शिक्षकों तथा अन्य विदेशियों के स्थान पर धीरे-धीरे नैपाली राष्ट्रिक रखे जा रहे हैं।

(ख) यह "नेपालीकरण" की प्रक्रिया का एक अंग है।

अरब देशों द्वारा पाकिस्तान का समर्थन

*410. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अरब देशों ने हाल में पाकिस्तान सरकार का समर्थन किया है अथवा उसको हथियार और गोलाबारूद भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन देशों से विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) उन देशों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान को किसी अरब देश से हथियार अथवा गोला-बारूद मिला है। इसलिए, विरोध प्रकट करने का कोई मौका नहीं आया, लेकिन सरकार ने दूसरे देशों की तरह अरब देशों का ध्यान भी इस ओर दिलाया है कि पाकिस्तान द्वारा हथियारों का जबर्दस्त भण्डार किया जाना इस उपमहाद्वीप की शान्ति और सुरक्षा के लिए ख़तरनाक है।

रूसी और अमरीकी मानचित्रों में भारतीय राज्य-क्षेत्र का गलत चित्रण

*411. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और अमरीका ने कोई ऐसे राजनीतिक नक्शे प्रकाशित किये हैं, जो भारत

के राजनीतिक नक्शों से मेल नहीं खाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रूस द्वारा प्रकाशित नक्शे में नेफा (उपूसी) को चीनी राज्य क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है और क्या राष्ट्रीय भूगौलिक असोसिएशन ने जो अमरीकी नक्शा प्रकाशित किया है, उसमें काश्मीर को विवादास्पद राज्य-क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है और ये नक्शे सारे विश्व में परिचालित किये जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सम्बद्ध देशों की सरकारों का ध्यान इन नक्शों की ओर आकृष्ट किया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे इन्हें हटा लें ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) से (ग) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की भूगर्भ समिति के भूगणित एवं मानचित्र विभाग ने विश्व राजनीतिक नक्शे प्रकाशित किए हैं जो विभिन्न देशों में वितरित किए और बेचे जा रहे हैं ; ये नक्शे भारत के राजनीतिक नक्शे के अनुरूप इस तरह नहीं हैं कि इनमें नेफा को चीनी प्रदेश के रूप में दिखाया गया है। सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सरकार का ध्यान इस गलती की ओर दिलाया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इसे ठीक कर लें ।

अमरीका में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी समेत विभिन्न प्रकाशकों ने नक्शे प्रकाशित किए हैं जो विभिन्न देशों में वितरित किए और बेचे जा रहे हैं और जो भारत के राजनीतिक नक्शों के अनुरूप नहीं हैं। भारतीय अधिकारियों ने नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी को बताया है कि उनके 1966 के विश्व एटलस में भारत के प्रदेशों और सीमाओं को कई तरह से गलत दिखाया गया है और जम्मू तथा काश्मीर को विवादग्रस्त राज्य बताया है। सोसाइटी के पास सही स्थिति के बारे में पूरा ब्यौरा भेज दिया गया है । उन्होंने इस सामग्री की जांच करने की सहमति तो दी है लेकिन उनका यह कहना है कि उनकी नीति विवादग्रस्त क्षेत्रों और सीमाओं को दिखाने की है । इस मामले की ओर अमरीका सरकार का ध्यान भी दिलाया गया है। दरअसल जब कभी गलत अमरीकी नक्शे भारत सरकार के ध्यान में आए हैं, तभी उनके बारे में प्रकाशकों के साथ और जहां कहीं आवश्यक होता है, अमरीका की सरकार के साथ लिखा-पढ़ी की गई है । अमरीका की सरकार ने भारत की स्थिति को समझा है। लेकिन प्राइवेट प्रकाशकों के बारे में उन्होंने बताया है कि उन्हें कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है । कुछ प्राइवेट प्रकाशकों ने उन तथ्यों के आधार पर शुद्धियां कर ली हैं जो हमने उनके पास भेजे हैं लेकिन औरों ने ऐसा नहीं किया है बल्कि यह दिखाने का अधिकार रखा है कि विपरीत दावे मौजूद हैं अथवा उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । इन मामलों पर लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

जापानी और भारतीय अधिकारियों की बैठक

*412. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांझे हितों के अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर समय समय पर विचार करने के लिए जापान और भारत के बीच हुए समझौते के अनुसरण में क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिये 28 अक्तूबर, 1966 को टोकियो में भारतीय एवं जापानी दूतावासों के अधिकारियों की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो वहां किन किन विषयों पर विचार किया गया और उसका क्या परिणाम रहा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु०क० चागला): (क) और (ख) जी हां । जिन विषयों पर विचार किया गया उनमें थे :— वर्तमान विश्व-स्थिति, विशेषकर एशिया और अफ्रीका की निरस्त्रीकरण करना और परमाणु-अस्त्रों का उत्पादन रोकना तथा भारत और जापान के आपसी संबंध । इस बातचीत से आपसी हित के मामलों पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझने में तथा दोनों देशों के बीच वर्तमान मैत्री-संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायता मिली ।

Statements of Singapore Prime Minister

*413. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the views expressed in the statements made by the Prime Minister of Singapore in India suggesting that India should participate prominently in Asian Affairs;

(b) whether Government have prepared a comprehensive programme to establish contacts with other Asian countries in view thereof; and

(c) if so, its objects and, if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) India is a part of Asian Continent and is specially interested in Asian affairs.

(b) and (c). The Government of India are in favour of concrete regional cooperation among Asian countries in the economic and cultural fields. They are doing this already on a bilateral basis as well as on a multilateral basis through such organizations as ECAFE, Colombo Plan etc.

श्री मोहन रानाडे की रिहाई

*414. **श्री अल्वारेस :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री मोहन रानाडे को पुर्तगाल की जेल से छुड़ाने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयत्न किये गये तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे को रिहा कराने के लिए राजनयिक सूत्रों के ज़रिए हर मुमकिन कोशिश की गई है और की जा रही है । रेड क्रास की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने भी पुर्तगाल की सरकार से यह मामला उठाया था । श्री रानाडे को रिहा कराने के लिए पुर्तगाली अधिकारियों को राजी करने में अभी तक ये कोशिशें नाकामयाब रही हैं ।

दक्षिण वियतनाम को सहायता

*415. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ देशों में परिचालित की जा रही ऐसी पत्रिकाओं की जानकारी है जिन में दक्षिण वियतनाम को सहायता देने वाले लगभग पैंतीस देशों में भारत के नाम क भी उल्लेख किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी सहायता भेजी जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या वस्तुएं भेजी जा रही हैं ; और

(घ) क्या ऐसी ही कोई सहायता वियतनाम लोकतंत्रीय गणराज्य को भी भेजी जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) यह रिपोर्ट ठीक नहीं है । भारत सरकार वियतनाम गणराज्य को अथवा वियतनाम लोक गणराज्य को कोई सहायता नहीं भेज रही है ।

पाकिस्तान की सैन्य शक्ति

*416. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रा० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लन्दन की इंस्टीच्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित "दि मिलिटरी बैलैन्स, 1966-67" नामक वार्षिक प्रतिवेदन के हाल के संस्करण की ओर दिलाया गया है, जिसमें पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान द्वारा तीव्र गति से बढ़ाई गई सशस्त्र सैन्य शक्ति का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या उस इंस्टीच्यूट ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान में द्रुतगति से सैन्य शक्ति बढ़ाये जाने के विपरीत भारत में सेना की शक्ति प्रायः उतनी ही है जितनी पहले थी, अपितु कुछ कम ही हो गई है ; और

(ग) सरकार का अनुमान इस प्रतिवेदन से कहां तक मेल खाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जब कि प्रकाशन ने पाक सशस्त्र सेनाओं और भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जनशक्ति और साजसामान के अंदाज़े दिए हैं, वह पाक और भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तैयारी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, न वह भारत और पाकिस्तान की सशस्त्र जनशक्ति की तुलनात्मक तैयारी का निर्धारण ही करता है । भारतीय सेना के युद्ध-कौशल का स्तर स्थैनिक नहीं रहा है, और न गिरा ही है ।

"मिलिट्री बैलैन्स" 1965-66 और "मिलिट्री बैलेन्स" 1966-67 में दर्शित पाकिस्तानी सेना की शक्ति की तुलना पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं की तैयारी में एक बहुत बड़ी वृद्धि दर्शाती है । यह, इस विषय में हमारी सूचना से बहुत मिलती जुलती है ।

अमरीकी सहायता से ट्रांसमीटर लगाना

*417. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 1 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रत्येक जिले में अमरीकी सहायता से रेडियो ट्रांसमीटर लगाने के विचार को पुनर्जीवित करने के लिए अमरीका या भारत की ओर से कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बातचीत इस समय किस अवस्था में है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या इस परियोजना को छोड़ दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

पाकिस्तान में सिखों के धार्मिक स्थान

*418. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान में स्थित सिखों के सब धार्मिक स्थानों के प्रबंध, पूजा-पाठ और रक्षा के सम्पूर्ण अधिकार पाकिस्तान से अपने हाथों में लेने में सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकार के पास उस पत्र की एक प्रति भेजी जो मुख्य सचिव, पंजाब, के नाम भेजा गया था और जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अथवा उसके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को पाकिस्तान-स्थित गुरुद्वारों तथा उनकी संपत्ति पर नियंत्रण दिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया जाए ।

(ख) भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच इस विषय पर भारत-पाकिस्तान सम्मिलित तीर्थ स्थान समिति के ज़रिये बातचीत हुई है ; और यह समिति 1955 के पंत-मिर्ज़ा करार के बाद स्थापित की गई थी । इस समिति की पहली बैठक जनवरी 1958 में हुई थी । इस समिति की दूसरी बैठक करने पर पाकिस्तान सरकार अभी सहमत नहीं हुई है हालांकि हमने इस पर बार बार ज़ोर दिया है ।

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*419. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या छावनी बोर्डों के कर्मचारियों ने धमकी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई, तो वे देश भर में सीधी कार्यवाही करेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). 1960 के नेशनल इण्डस्ट्रियल ट्रिबुनल अवार्ड की, 2 अप्रैल, 1963 को समाप्ति के बाद से छावनी बोर्ड कर्मचारी एक उजरत बोर्ड या नैशनल

इण्डस्ट्रियल ट्रिबुनल की नियुक्ति की मांग करते रहे हैं। विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात्, सरकार ने हाल ही में इन कर्मचारियों के वेतन नामों, और भत्तों में वांछनीय परिवर्तनों के लिए, सिफारिश करने के लिए, विशिष्ट क्षेत्रों के निमित्त तीन स्पेशल ड्यूटी अफसर नियुक्त करने का निर्णय किया है। उन 3 अफसरों को, प्रभार सम्भालने के 1 मास के अन्दर अन्दर, अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। 9 छावनी बोर्डों के संघों ने इन अफसरों की नियुक्ति का प्रतिरोध किया है, और चार छावनी बोर्डों के संघों ने, हड़ताल या भूख-हड़ताल का संकल्प लेने का संकेत करते हुए नोटिस दिए हैं, अगर उनकी, उजरत बोर्ड या नैशनल इण्डस्ट्रियल ट्रिबुनल की स्थापना के संबंध में, मांग पूरी न की गई।

Moscow Partial Test Ban Treaty

*420. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the signatories to the Moscow Partial Test Ban Treaty are manufacturing atom bombs and are performing underground tests;

(b) if so, the reasons for which Government do not propose to revise their policy to abjure the manufacture of atom bombs; and

(c) whether Government propose to elicit public opinion on this issue?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). Some of the signatories to the Moscow Partial Test Ban Treaty are conducting underground tests and manufacturing nuclear weapons. Government are continuing with the efforts to secure the extension of the Partial Test Ban Treaty to cover underground tests and to halt and reverse the nuclear arms race. Government's policy regarding production of nuclear weapons has been stated by the Minister of External Affairs in the Lok Sabha on the 10th May, 1966. It is not considered necessary to take any separate steps to elicit public opinion on this question.

बारबेडोज़ के साथ राजनयिक सम्बन्ध

1911. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारबेडोज़ जो उत्तर अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडीज द्वीप समुह का एक द्वीप है, पूर्णतः स्वतन्त्र हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस देश के साथ कोई राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) बारबेडोज 30 नवम्बर, 1966 को स्वाधीन हो जाएगा ।

(ख) जी हां। हाई कमिश्नर के स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित किए जायेंगे ।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग

1912. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लन्दन स्थित हमारे उच्चायोग के जूनियर होम-वेस्ड अफसरों के लिये 24 फ्लैट प्राप्त किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कितनी राशि खर्च हुई है तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) कुल खर्च 173,700 पौंड के लगभग था ।

1965 में खरीदी गई संपत्ति का नाम "जवाहर बाग" रखा गया है । इन फ्लैटों में 4 द्वितीय सचिवों, 4 तृतीय सचिवों, 4 सहचारियों / रजिस्ट्रारों और 12 अमल कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है ।

फ्लैटों के अलावा,स्कीम (कम्प्लेक्स) में रहने वालों के लिए गराज,भंडार स्थान और भवनपाल (केयर टेकर) के रहने का मकान शामिल है । बैंक आफ बड़ौदा से समुचित ऋण लेकर ये फ्लैट खरीदे गए थे ।

खाद्य किरणीयन (इर्रेडियेशन) तथा परिष्करण प्रयोगशाला

1913. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने खाद्य किरणीयन तथा परिष्करण प्रयोगशाला के लिये उपकरण, अर्थात् कोबाल्ट 60, इर्रेडिएटर सप्लाई कर दिये हैं ;

(ख) अनाज, फल और मछलियों के किरणीयन के द्वारा इस प्रयोगशाला से क्या लाभ होने की आशा है ;

(ग) इस प्रयोगशाला पर कुल कितना पूंजीगत व्यय होगा ; और

(घ) उस में से कितना व्यय विदेशी मुद्रा में होगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां । कनाडा कोलम्बो प्लान के अधीन दो कोबाल्ट 60 इर्रेडिएटर उपहार स्वरूप दे रहा है ।

(ख) इन इर्रेडिएटरों का प्रयोग मछली, फल, सब्ज़ी के संरक्षण और दूसरे प्रकार के खराब होने वाले भोजन का गम की कम मात्रा से किरणीयन करने तथा अनाज भंडारों में कीटनाशक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्य के लिये किया जायेगा । औषधियों के विसंक्रमण के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक अध्ययन करने के लिये भी इनका उपयोग किया जायेगा ।

(ग) इस परियोजना का अनुमाति पूंजीगति परिव्यय लगभग 90 लाख रुपये है जिसमें कनाडा द्वारा भेजे जाने वाले इर्रेडिएटरों पर खर्च होने वाली 20 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है ।

(घ) इसके अलावा विदेशी मुद्रा की कोई अन्य राशि इस पर खर्च नहीं होगी ।

सिक्किम में अर्जित लाभ की राशि को बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध

1914. **डा० पू० ना० खां :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम दरबार ने हाल में एक अधिसूचना जारी करके सिक्किम सरकार की

अनुज्ञा के बगैर सिक्किम में अर्जित लाभों, पूंजी लाभों तथा अन्य ऐसे ही सहायक लाभों अथवा वहां कमाई गई आय को सिक्किम से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह अधिसूचना जारी करने से पहले सरकार से परामर्श किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां, लेकिन यह अधिसूचना आस्थगित रखी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

Transmitters for Pakistan

1915. Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Pakistan have entered into an agreement with the U.S.S.R. for obtaining high-power transmitters;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Pakistan would get these transmitters before India receives the transmitters from the U.S.S.R. for which Government have entered into an agreement;

(d) the particulars of the scheme formulated to countenance the propaganda by the existing and these high powered transmitters to be installed by Pakistan; and

(e) when it is likely to be implemented?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) According to press reports Pakistan has entered into an agreement with the U.S.S.R. for obtaining high power transmitters.

(b) Government are not aware of the details of the said transmitters.

(c) It is not known when Pakistan would get these transmitters. According to the terms of the contract entered into with the U.S.S.R., India will receive the equipment for one super-power medium wave transmitter by the end of 1967.

(d) and (e). Steps have already been taken to instal a chain of transmitters in border areas to counter hostile propaganda. A number of them are expectd to go on the air within the next 2 or 3 years.

आयुध कारखाने

1916. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषत : चीन और पाकिस्तान द्वारा की जा रही युद्ध की तैयारी को देखते हुए आयुध कारखानों में उत्पादन अधिक करने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा के नये आधुनिक शस्त्रों के निर्माण के लिये और आयुध कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार के होंगे और उनका क्या स्वरूप होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) आयुध कारखानों में पुराने और घिसे पिटे संयंत्रों को बदलने और नवीकरण के लिये 5 वर्षों की अवधि में प्रावस्थित जारी रहने वाला एक कार्य-क्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग). आपात स्थिति की घोषणा से इस प्रकार के शुरू किये गये रक्षा उत्पादन एकक हैं :—

(1) एक स्माल आर्म्ज़ अम्यूनीशन फैक्टरी ।
(2) एक स्माल आर्म्ज़ फैक्टरी ।
(3) एक भारी गाड़ी फैक्टरी ।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों/मिशनों में प्रचार विभाग

1917. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय दूतावासों/मिशनों में एक प्रचार विभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) संबद्ध देश में हमारी प्रचार सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशों में प्रचार एकांश स्थापित करने के सवाल पर सरकार समय समय पर विचार करती रहती है । अगर धन हो तो जहां जरूरी समझा जाता है प्रचार एकांश खोल दिये जाते हैं ।

गोआ का ई० एन० जी० जहाज निर्माण कारखाना

1918. **डा० पू० ना० खां :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० म० मो० दास : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आज़ाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ स्थित ई० एन० जी० जहाज निर्माण कराखाने को अब किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का इस जहाज निर्माण कारखाने के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या नौसेना के पास इस जहाज निर्माण कारखाने और बम्बई में मजगांव गोदी और कलकत्ता स्थित गार्डन रीच वर्कशाप के लिये काफी काम है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) गोआ का इंजीनियरी शिपयार्ड मझागां डाक लि० बम्बई को पट्टे पर दिया गया है और मुख्यतः खाद्य पदार्थ वाहक वार्जों और पोतों की मरम्मत और निर्माण के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) मझागां डाक लि० द्वारा कार्यकलाप में कुछ प्रसार पहले ही किया गया है परन्तु लम्बी अवधि की कोई प्रसार योजना केवल तभी कार्यान्वित की जा सकती है जब इंजीनियरी यार्ड का भविष्य निश्चित किया जाय।

(ग) जी नहीं। तदपि, नौ सेना नौ सेनापोतों की मरम्मत पुनः फिट करने और उत्पादन के लिये यथा आवश्यक इन यार्डों का प्रयोग करती ही है (इंजीनियरी यार्ड को केवल छोटे मोटे कार्यों के लिये)। फालतू क्षमता असैनिक कार्य के लिये इस्तेमाल की जाती है।

क्लबों और संस्थाओं के लिये रेडियो

1919. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्लबों और संस्थाओं को दिये गये सभी रेडियो ठीक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उनकी समय-समय पर जांच की जाती है;

(ग) क्या कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन में से अधिकांश "सैल" न मिलने के कारण और उनकी मरम्मत न होने के कारण काम नहीं कर रहे हैं;

(घ) क्या उन्हें सस्ते दामों पर 'सैल" उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन "सामुदायिक" रेडियो सेटों के लिये सस्ते दामों पर सैल उपलब्ध कराने का कोई कोटा निश्चित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) यदि प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पंचायती रेडियो योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों को दिये जाने वाले पंचायती रेडियो सेटों के बारे में है तो रिपोर्टों से यह मालूम होता है कि बैटरियां बदली न जाने के कारण कुछ सेट काम नहीं कर रहे हैं।

(ख) पंचायती रेडियो सेटों के वितरण और उनके लगाने और देख-रेख करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों की है। फिर भी इन सेटों की देख रेख की नमूने की एक योजना बनाई गई थी और मार्गदर्शन के सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई थी। इस योजना में समय समय पर पंचायती सेटों की जांच करने की व्यवस्था है। अनेक राज्यों ने देख रेख संगठन कायम कर लिये हैं।

(ग) पर्याप्त मात्रा में बैटरियां मिलने और पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद उनकी मांग अचानक बढ़ जाने के कारण पंचायती सेटों को चालू रखने में कुछ कठिनाई हो गई थी। स्थिति अब

काफी सुधर गई है। स्थिति को सुधारने के लिए ये कदम उठाए गए हैं:—

1. बैटरी बनाने वाली फर्मों को, अधिक बैटरियां बनाने को राजी किया गया ;

2. उद्योग मंत्रालय और टैकनीकी विकास विभाग ने निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। जिन दूसरे फर्मों को बैटरी बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, उनके शीघ्र काम शुरू करने के लिए भी उन्होंने कदम उठाए हैं ; और

3. सप्लाई और निपटान महानिदेशालय, निर्माताओं के साथ ऐसा करार करने पर विचार कर रहा है, जिससे बैटरियां नियमित रूप से मिलती रहें।

(घ) जी, हां। सप्लाई और निपटान महानिदेशालय ने जो करार किया है उससे बैटरियां मुनासिब दामों पर मिलती हैं। राज्य सरकारें सीधी मांग वाले अधिकारियों की सूची पर हैं।

(ड़) सप्लाई और निपटान महानिदेशालय, राज्यों द्वारा दिए गए आर्डरों के आधार पर फर्म उत्पादन क्षमता के अनुसार, पंचायती सेटों के लिए बैटरियों की सप्लाई की व्यवस्था करता है।

जबलपुर में मोटर गाड़ी निर्माण कारखाना

1920. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में मोटर गाड़ी निर्माण कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई प्रगति की गई है ;

(ख) इस कारखाने पर कुल व्यय का अनुमान क्या है तथा इसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए देश में बनी चीजों का प्रयोग करने के बारे में कोई प्रयत्न किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) असैनिक निर्माण कार्यों में से अधिकतर के लिए प्रशासनिक अनुमतियां जारी कर दी गई हैं। स्थान साफ करने का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है और असैनिक कार्य प्रगतिशीलता से किए जा रहे हैं। संयंत्र और मशीनों के लिए आर्डर देने का कार्य आरम्भ हो चुका है।

(ख) कुल अनुमानित लागत लगभग 32 करोड़ रुपये है, जिसमें से विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 9 करोड़ रुपये है।

(ग) यह निश्चित कर लेने के पश्चात् ही कि उपयुक्त मशीनें देशीय साधनों से प्राप्य नहीं हैं, संयंत्र और मशीनों का आयात हस्तगत किया जा रहा है।

जापानी ट्रान्समीटर

1921. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन और पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार को रोकने के लिए वर्तमान 5 किलोवाट के ट्रान्समीटर के स्थान पर 100 किलोवाट का जापानी ट्रान्समीटर स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) यह कब स्थापित हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पाकिस्तान के लिये चीनी हथियार

1922. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 8 अगस्त, 1966 के अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा चीन से प्राप्त किए गए "आई एल 28" बमवर्षक विमानों की संख्या का पता सरकार ने इस बीच लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह संख्या कितनी है ;

(ग) क्या चीन ने कैनबेरा बम वर्षक विमानों का एक दूसरा दस्ता भी पाकिस्तान को दिया है ; और

(घ) सरकारी जानकारी के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को कितने और किस किस्म के टैंकों तथा तोपखाने का सामान दिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने चीन द्वारा प्रदत्त विमानों की सहायता से आई० एल० -28 बमवर्षकों का एक स्क्वाड्रन खड़ा कर लिया है। रिपोर्ट है कि चीन ने एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन के लिए और विमान देने का वचन दिया है। तोपखाना गोलीबारूद और फालतू पुरजों समेत अन्य फुटकर सप्लाइयों सहित लगभग 250 टी-59 और टी- 34 टैंकों के संबंध में भी रिपोर्ट है ।

प्रतिरक्षा विभाग द्वारा टायरों की खरीद

1923. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमीचन्द प्यारेलाल ग्रुप की फर्मों ने 1961 से आगे की अवधि

में रुपये वाले क्षेत्रों के पूर्व यूरोपीय देशों से टायरों का आयात किया था ;

(ख) क्या ये टायर अथवा कम से कम इनमें से कुछ टायर घटिया किस्म के थे जिन्हें पंजाब सरकार ने अस्वीकार कर दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा विभाग ने आयात किये गये इन टायरों में से घटिया किस्म के टायर खरीदे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन द्वारा किए गए प्रबन्धों के अन्तर्गत निम्न फर्मों की मार्फत 1961 में आयात किए गए टायरों की कान्ज़ाइन्मेंट्स की मंगाई गई थीं :—

1. सर्वश्री रामकृष्ण कुलवन्तराय
2. सर्वश्री इण्डस्ट्रियल स्टोर्ज़ सप्लाईयिंग कम्पनी
3. सर्वश्री क्षमका एण्ड कम्पनी
4. सर्वश्री कान्सलिडेटिड इक्विपमेंट

(ख) सप्लाई और टेकनीकल डिवेलपमेंट विभाग ने बताया है कि असैनिक इण्डेण्टरों से नवम्बर, 1963 और उसके पश्चात् से ही शिकायतें प्राप्त हुई थीं और कि सरकारी विभागों द्वारा खरीदे गए 18631 टायरों में से केवल 627 के खराब होने की रिपोर्ट मिली है। इस मन्त्रालय को यह मालूम नहीं कि टायर घटिया किस्म के होने के कारण पंजाब सरकार द्वारा अस्वीकृत किए गए थे।

(ग) तथा (घ). डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा सर्वश्री रामकृष्ण कुलवन्तराय, सर्वश्री जनरल इण्डस्ट्रियल स्टोर्ज़ सप्लाइयिंग कम्पनी और सर्वश्री क्षेमका एण्ड कम्पनी के साथ मुकाबले के दरों पर ठेके तय किए गए थे। इन दरों के ठेकों के अनुसार नवम्बर 1962 से मार्च 1963 की अवधि में रक्षा इण्डटरों द्वारा 7400 टायरों के लिए सर्वश्री रामकृष्ण कुलवन्तराय और सर्वश्री जनरल इण्डस्ट्रियल स्टोर्ज सप्लाईयिंग कम्पनी को सीधे सप्लाई आर्डर भेजे थे। इन सप्लाई आर्डरों के विरुद्ध फर्मों ने 6782 टायर सप्लाई किए थे। इसके अतिरिक्त सेना अधिकरणों द्वारा भेजे गए इण्डेंट के विरुद्ध डी०जी०एस० एण्ड डी० ने टी० एच० आर० यूनिवर्सल ट्रैक ग्रिप किस्म के 7100 टायरों के लिए सर्वश्री रामकृष्ण कुलवन्तराय को 12 जून, 1963 को एक आर्डर भेजा। चूंकि टायर ऐसी क्वालिटी के नहीं थे कि अग्रिम क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकें, डी०जी०एस० एण्ड डी० को अगस्त 1963 में प्रार्थना की गई थी कि उपरोक्त फर्म से न खरीदे जाए। तदनुसार डी० जी० एस० एण्ड डी० ने 1196 शेष टायरों के लिए आर्डर निरसित कर दिया। अप्रैल 1966 में रक्षा तकनीकी अधिकरण ने डी० जी० एस० एण्ड डी० को बताया कि उपरोक्त फर्म द्वारा सप्लाई किए गए टायरों के संबंध में जांच से पता चला था कि वह बहुत हलके और अभिकल्पना में कमजोर थे, और इसलिए 12 "पी०आर०" सी०सी० टाईप के स्थान जैसे कि सर्व प्रथम मांग की गई थी, उनके 10 "पी०आर" "एस०टी०" टाईप के लिए वर्गीकरण की सिफारिश की गई थी। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की एक सब-कमेटी ने इसी मामले में सितम्बर, 1966 में इंक्वायरी की थी, और उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

जेनेवा निरस्त्रीकरण समिति में इथोपिया का प्रस्ताव

1924. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेनेवा निरस्त्रीकरण समिति की अन्तिम बैठक में संसार के परमाणु अस्त्रों से रहित उन देशों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये, जो अपने राज्य-क्षेत्रों में परमाणु अस्त्र न रखने के लिये सहमत हैं, एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करने के सम्बन्ध में इथोपिया के प्रतिनिधि ने एक नया प्रस्ताव रखा था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसके बारे में परमाणु अस्त्रों वाले राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 22 अगस्त, 1966 को इथोपिया के प्रतिनिधिमंडल ने 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति को "अणु हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अनुभति के प्रति रुख, अफ्रीका की आण्विक प्रभाव से मुक्ति और विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन" के बारे में एक ज्ञापन दिया।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति सलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7362/66]**

(ग) जो अणु देश 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति के सदस्य हैं, उन्होंने ज्ञापन में निहित प्रस्तावों के प्रति विस्तारपूर्वक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं जाहिर की है ।

तकनीशनों के लिये लिबिया की प्रार्थना

1925. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिबिया ने भारत से अपनी विकास परियोजनाओं के लिये बड़ी सख्या में इंजीनियर और तकनीशनों की सहायता के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिबिया की क्या मांग है ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). लिबिया की सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना की विभिन्न इंजीनियरिंग प्रायोजनाओं के डिज़ाइन तैयार करने, उनका निर्माण करने और देखरेख रखने के लिए सिविल इजीनियरिंग, आर्किटेक्चर तथा इलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियरों की सेवाएं मांगी थीं। जो इंजीनियर इस नियुक्ति के इच्छुक थे उनके नामों की एक सूची लिबिया सरकार को भेजी गई थी और अंतिम चुनाव उसी ने किया था। 20 से अधिक इंजीनियरों ने लिबिया में कार्य संभाल लिया है और कुछ और भी जल्दी ही वहां जाने वाले हैं।

'पाक रक्षा दिवस' का मनाया जाना

1926. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त 1966 के अन्तिम भाग में भारत ने पाकिस्तान को 6 सितम्बर, 1966 को तथाकथित "पाक रक्षा दिवस" न मनाने के लिये कहा था, क्योंकि ऐसा करना ताशकन्द समझौते की भावना के विरुद्ध होता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अगस्त में जब यह खबर मिली कि हो सकता है कि पाकिस्तान में 6 सितम्बर, 1966 का दिन सितम्बर, 1965 के संघर्ष के सिलसिले में एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाए तो पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर ने स्थिति का सुनिश्चय करने के लिए और यह बात साफ़ करने के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत की कि भारत-विरोधी प्रकृति का कोई भी समारोह ताशकंद घोषणा की मान और भाषा के प्रतिकूल होगा तथा इससे पाकिस्तान में भारत-विरोधी भावना ही पैदा होगी और भारत-पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य को धक्का लगेगा। बाद में, पाकिस्तान सरकार को अच्छी तरह यह समझाने की कोशिश करेने के लिए राजनयिक कार्रवाई की गई कि भारत-विरोधी प्रकृति के किसी समारोह की अवांछनीय प्रतिक्रियाएं संभव हैं।

(ख) हमारे बार-बार विरोध प्रदर्शन करने पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने अंततः हमें यह बताया कि 6 सितबर को पाकिस्तान रक्षा दिवस के रूप में मुख्यतः उन लोगों की याद में मनाने का प्रस्ताव है जो पिछले संघर्ष में शहीद हुए थे, और यह भी कि इस अवसर पर ऐसी प्रार्थनाएं वगैरह ही की जाएंगीं जो ऐसे मौकों पर सामान्यतः की जाती हैं। उन्होंने बताया कि इस उत्सव का उद्देश्य भारत-विरोधी प्रदर्शन करना नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में और पश्चिम पाकिस्तान के अन्य प्रमुख नगरों में 6 सितम्बर को कुछ ऐहतियाती उपाय भी बरते थे तथा इस अवसर पर कोई भारत-विरोधी प्रदर्शन होने की खबर नहीं मिली। लेकिन, पाकिस्तान के अखबारों ने और लोक प्रचार के अन्य माध्यमों ने अमैत्रीपूर्ण प्रचार के लिए इस अवसर का प्रयोग किया।

कलकत्ता के गार्डन रीच वर्कशाप और बम्बई के मजगांव डाक का विस्तार

1927. **श्री ब० कु० दास :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थिप गार्डन रीच वर्कशाप और बम्बई का मजगांव डाक अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कोई दूसरा काम न होने के कारण इनमें क्रेनों, सड़क कूटने वाले इंजनों और एयर कम्प्रेशरों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ग) क्या उनके विस्तार का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या इस कार्य के लिये कोई धनराशि निश्चित कर दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) क्रेन, सड़क कूट इंजन, और वायु संपीडक इस समय केवल गार्डन रीच वर्कशाप्स लि० में ही निर्मित किए जा रहे हैं। डीज़ल इजन मझगां डाक लि० बम्बई में निर्माण किए जाते हैं। अवाप्ति के समय गार्डन रीच वर्कशाप्स लि० में सामान्य इंजीनियरी निर्माण के लिए क्षमता थी, जिसका और पूरी तरह प्रयोग किया जा रहा है । पोतों की मरम्मत और पोतों का निर्माण कार्य हस्तगत करने के लिए यार्ड को गढ़ाई, मशीनें बनाने, ढलाई, गढ़ने संबंधी संयुक्त सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिएं । शिपयार्ड के कार्यकलाप के स्वरूप और उसमें प्राप्त सुविधाओं के कारण कुछ फालतू क्षमता सदा ही बनी रहती है । इसलिए सामान्य इंजीनियरी निर्माण कार्य में प्राप्त क्षमता का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सहारा मिल ही जाता है ।

(ग) पोतों की मरम्मत और पोत निर्माण के बढ़े चढ़े काम के लिए विस्तार, तथा फ्रिगेटों के निर्माण के लिए सुविधाएं पैदा करने के लिए प्रसार की एक योजना मझगां डाक लि० बम्बई में कार्यान्वित की जा रही है। 1200 टन तक वज़न ले जाने वाले पोतों का निर्माण हस्तगत करने के लिए गार्डन रीच वर्कशाप्स लि० की सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना तैयार की जा रही है ।

(घ) 1966-67 के दौरान मझागां डाक लि० के प्रसार की योजना के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति विद्यमान है । गार्डन रीच वर्कशाप्स लि० के प्रसार के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

ऐल्यूट हैलीकाप्टर

1928. **श्री ब० कु० दास :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की मैसर्स सूद ऐवियेशन कम्पनी ने एक लाइसेंस के अन्तर्गत भारत को ऐल्यूट हैलीकोप्टरों के फ्रेम और इंजनों के निर्माण की अनुमति दे दी है ;

(ख) भारत में एक ऐल्यूट हैलीकोप्टर के निर्माण की औसत लागत क्या है और स्वामित्व या लाइसेंस शुल्क के रूप में फ्रांसीसी कम्पनी की लागत का कितने प्रतिशत देना पड़ता है ; और

(ग) क्या हैलीकोप्टर के विभिन्न पुर्जों को फ्रांस से आयात करके भारत में जोड़ा जाता है या उन्हें भारत में ही बनाया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सर्वश्री सूद एविएशन से लाइसेंस करार अलौटी हैलिकाप्टर के निर्माण से संबंधित है । अलौटी हैलिकाप्टर में लगाए गए इंजन के निर्माण के लिए सर्वश्री फ्रांस के टारबोमेका से एक अलग लाइसेंस करार तय पाया है।

(ख) आई०ए०एफ० की हेलिकाप्टर का विक्रय मूल्य (अवमूल्यन के पश्चात्) लगभग 11.50 लाख रुपये अनुमानित है। फ्रांस की फर्मों को अदा की गई लाइसेंस की फीस/रायलटी के विस्तारों का प्रकटीकरण साधारण वाणिज्य प्रथा के प्रतिकूल होगा।

(ग) निर्माण के प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार पहले कई हेलिकाप्टर बृहद संयोजकों से समंजित किए जा रहे हैं, और फ्रांस से आयात डिटेल पार्ट्स से। इसलिए प्रोप्रायटरी साज़सामान के सिवाए, हैलिकाप्टर के संघटक खाम पदार्थों से निर्माण किए जाएंगे।

परम्परागत हथियारों में आत्म-निर्भरता

1929. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री रा० बल्आ :**
श्री लीलाधर कटकी : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **प्रतिरक्षा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत हथियारों के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो भारत इस मामले में किस हद तक विदेशों पर निर्भर है ; और

(ग) इस मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). अपने कारखानों में रूढ़ हथियारों के लिए एक आत्म-निर्भर उत्पादन बेस स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है और इस ओर पर्याप्त पग उठाए जा रहे हैं। तदपि, इतना तो मानना होगा कि हथियारों का उत्पादन एक निरन्तर प्रस्तुत रहने वाली प्रक्रिया है।

आकाशवाणी के महानिदेशक

1930. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री दाजी : **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर आकाशवाणी के वर्तमान महानिदेशक की पुनर्नियुक्ति महानिदेशक के रूप में कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें पहले दो बार इस पद के लिए नहीं चुना था ; और

(ग) यदि हां, तो अब उन्हें महानिदेशक के तब पद पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) संघ लोक-सेवा आयोग ने उनको नामजूर नहीं किया था। विभागीय पदोन्नति समिति ने उनको एक बार, न कि दो बार, उपयुक्त नहीं समझा ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग ने अखबारों में बाकायदा विज्ञापन देने तथा इंटरव्यू लेने बाद उनको चुना है।

स्टाफ़ आर्टिस्ट

1931. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टाफ़ आर्टिस्टों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उन के वेतनों और सेवा की शर्तों पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा-शर्तों में सुधार करने के लिए 5 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 723, 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 287 और 28 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तरों में बताए गए कदमों के अतिरिक्त और क्या कदम उठाये गये हैं।

(ख) तथा (ग). आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की फीस की दरों और अन्य सेवा-शर्तों पर हाल में ही एक विभागीय समिति ने पुनर्विचार किया था और उसकी सिफारिशों के आधार पर स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा-शर्तों में पहले ही काफी सुधार किया जा चुका है। अतः इस बारे में ध्वनि प्रसारण में काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में दूसरी समिति नियुक्त करना जरूरी नहीं समझा गया है। सेवा-शर्तों में सम्भव सुधार करने के लिए समय समय पर उनके प्रतिनिधियों से उनकी शिकायतों और अन्य सेवा-शर्तों के बारे में भी विचार किया जाता है। टेलीविजन में काम करने वाले आर्टिस्टों की फ़ीस की दरें विचाराधीन हैं।

विवरण

(1) यात्रा भत्ते के लिये वर्गीकरण	आकाशवाणी के उन स्टाफ आर्टिस्टों को, जो सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क-मानों के अनुसार शुल्क प्राप्त कर रहे हैं, यात्रा भत्ता के लिये अनुपूरक नियम 17 के उपबन्धों के अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा और उन्हें वह यात्रा भत्ता मिलेगा जो 20 अगस्त, 1966 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है।
(2) अन्तिम छुट्टी (टर्मीनल लीव)	आकाशवाणी के पूर्णकालिक स्टाफ आर्टिस्टों को अन्तिम छुट्टी उसी प्रकार और उन्हीं शर्तों पर दी जायेगी जिन शर्तों पर एक वर्ष से अधिक ठेके पर काम करने वाले

सरकारी अधिकारियों को दी जाती है जैसा कि एफ० आर० के० पी० एण्ड टी० कम्पीलेशन के संलग्न 10–बी और एस० आर० वोल्यूम 2 में दिया गया है जो 21 सितम्बर, 1966 से क्रियान्वित हुआ।

प्रतिरक्षा निर्माण कार्यों के लिए आवंटित सीमेंट

1932. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1966 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिए आवंटित 550 सीमेंट के बोरों को 22 रुपये प्रति बोरे की दर से काले बाजार में बेच दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या अधिकारियों, ठेकेदारों तथा ट्रक चालकों पर सांठ-गांठ का आरोप लगाया गया है अथवा उनके बीच सांठ-गांठ का पता लगा लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी० ई० आदमपुर द्वारा सर्वश्री मित्तल एण्ड कम्पनी ठेकेदार को रक्षा कार्य के निष्पादन के लिए 550 बोरी सीमेंट 12 सितम्बर, 1966 को जारी किया गया था। ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने आदमपुर से उची बस्ती सीमेंट ले जाने वाले दो ट्रकों के साथ अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। चूंकि ट्रक उंची बस्ती नहीं पहुंचे ठेकेदार ने 14 सितम्बर, 1966 को आदमपुर पोलीस थाना में अनुभाग 406 आई० पी० सी० के अन्तर्गत एक रिपोर्ट एफ० आई० आर० संख्या 168 दर्ज कराई। रिपोर्ट है कि पोलीस ने 150 बोरी सीमेंट बरामद कर लिया जो ठेकेदार को लौटा दिया गया है। पता चला है कि ठेकेदार का प्रतिनिधि जो ट्रकों के साथ गया, और दोनों ट्रक चालक लापता हैं।

(ग) मामला अभी पोलीस की जांच अधीन है।

पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास

1933. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेकिंग स्थित हमारे दूतावास में इस समय कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ;

(ख) दूतावास में ऐसे कितने भारतीय कर्मचारी हैं, जो चीनी भाषा में दक्ष हैं ;

(ग) क्या पेकिंग स्थित हमारे दूतावास के कर्मचारियों के स्तर में, विशेषरूप से उनके चीनी भाषा के ज्ञान के सम्बन्ध में, सुधार करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारतीय कर्मचारियों की कुल संख्या––25; अधिकारी––8 और अन्य––17।

(ख) भारतीय राजदूतावास के चार सदस्य, जिनमें प्रथम सचिव, दो द्वितीय सचिव और सैन्य सहचारी सम्मिलित हैं, चीनी भाषा को अच्छी तरह जानते हैं।

(ग) चूंकि सरकार की यह नीति है कि हांगकांग में प्रशिक्षित चीनी जानने वाले व्यक्तियों को अधिकारी वर्ग में रखा जाए, इसलिए भारतीय राजदूतावास को इस दृष्टि से मजबूत समझा जा सकता है। इसके अलावा, उक्त राजदूतावास में एक शिक्षक इसलिए नियुक्त है कि वह चीनी भाषा जानने वाले अधिकारियों का भाषा ज्ञान का स्तर ऊंचा रख सके और अमला वर्ग के अन्य सदस्यों को भाषा का काम चलाऊ ज्ञान करा सके।

परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने की सन्धि

1934. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री हेम बरुआ :
श्री अल्वारेस :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिये कोई समझौता करने के बारे में यदि कोई प्रगति हुई है तो क्या ;

(ख) इस प्रश्न पर प्रमुख राष्ट्रों के इस समय क्या विचार हैं ; और

(ग) परमाणु अस्त्र बनाने के बारे में इस समय भारत के क्या विचार हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). एटमी हथियारों के फलाव को रोकने के लिए जल्दी उपाय बरतने के संबंध में व्यापक रूप से समर्थन प्राप्त है, लेकिन, अनुत्पादन संधि पर सहमति होने में अधिक प्रगति नहीं हुई है। यह इसलिए हुआ है कि यरोप में अणु साझेदारी की समस्या और इस प्रकार की संधि के अन्तर्गत अणु हथियार वाले देशों की जिम्मेदारी के बारे में मतभेद तय नहीं हो पाए हैं ;

(ग) सरकार केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति का उपयोग करने की अपनी नीति का बराबर अनुसरण कर रही है।

परमाणु अस्त्रों से रहित राष्ट्रों को परमाणु आक्रमण से रक्षा की गारंटी

1935. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई संकेत मिले हैं कि यदि चीन अपने पड़ोसी देशों के विरुद्ध जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करता है तो परमाणु अस्त्रों वाले देश सामूहिक रूप से उनकी रक्षा करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो संकेत क्या मिले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). चीन द्वारा एटमी हमला करने की सूरत में एटमी हथियार वाले देशों द्वारा गैर-एटमी हथियार वाले देशों को बहु-पक्षीय अणु सुरक्षा प्रदान करने के कोई ठोस प्रस्ताव नहीं हैं।

मानव अधिकारों का उच्चायुक्त

1936. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग के मार्च-अप्रैल, 1966 में न्यूयार्क में हुए बाईसवें सत्र में स्वीकृत मानव अधिकारों के उच्चायुक्त की स्थापना के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने प्रस्ताव के ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। कार्यकारी दल की बैठक सिर्फ एक बार पिछली गर्मियों में हुई थी और उसके बाद दल ने जनवरी, 1967 तक के लिए अपना विचार-विमर्श स्थगित कर दिया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीन में भारतीय दूतावास

1937. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा सुझाव दिया गया है कि चीन स्थित भारतीय दूतावास में कर्मचारियों की संख्य अधिक होनी चाहिये और वहां पर अधिक कारगर ढंग से कार्य किया जाना चाहिए और क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क), (ख) और (ग). कुछ गैर-सरकारी क्षेत्रों में इसके बारे में सुझाव दिए गए हैं। पीकिंग स्थित भारतीय राजदूतावास का प्रमुख आजकल एक कार्यनायक (चार्ज डि अफैयर्स) है जो कि एक अनुभवी वरिष्ठ राजनयिक है और उसे योग्य अधिकारी वर्ग की सहायता प्राप्त है। इस मिशन में एक राजदूत नियुक्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

परमाणु-उपकरण

1938. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति संस्थान ने कुछ ऐसे सूक्ष्म परमाणु-उपकरणों का डिजाइन बनाया है तथा उनका निर्माण किया है जिनका विदेशों को निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उपकरण किस प्रकार के हैं और किन देशों को उनका निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) प्रत्येक उपकरण में कितने आयातित पुर्जे लगाये गये हैं और उनकी कीमत क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). ट्राम्बे के अणु शक्ति संस्थान ने स्वयं संस्थान और देश में विद्यमान विश्वविद्यालयों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा चिकित्सालयों की आवश्यकतापूर्ति के लिये अनेक प्रकार के परमाणु तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का डिजाइन बनाया है और उनका निर्माण किया है। परमाणु पर किये जाने वाले अनुसंधान में प्रयोग आने वाला एक न्यूट्रोन डिफ्रेक्शन स्पेक्ट्रोमीटर नामक सूक्ष्म यंत्र का थाईलैंड को निर्यात किया गया था, जिसके लिये 8,000 डालर प्राप्त किये थे। इसके अतिरिक्त इन्टरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेन्सी को 19,500 रुपये के मूल्य के रेडिएशन सर्वे मीटर और कन्टेमीनेशन मॉनीटर उपकरण उपहार स्वरूप दिये गये थे और कुछ का निर्यात वियाना को किया गया था।

(ग) स्पेक्ट्रोमीटर पर विदेशी मुद्रा का कोई खर्च नहीं आता है। रेडिएशन मीटर और मॉनीटर में लगाये जाने वाले 75 आयातित पुर्जों का मूल्य 2295 रुपये है।

Plane Crash in Patiala

1939. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3608 on the 29th August, 1966 and state:

(a) whether an enquiry into the Plane crash in Patiala has since been completed;

(b) if so, the findings thereof;

(c) if not, the time likely to be taken; and

(d) the extent of damage caused by the said crash?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The Court of Inquiry came to the following conclusions:—

(i) The Pilot of the aircraft was fully competent to carry out the flight.

(ii) The aircraft was fully serviceable and had been correctly loaded.

(iii) The flight was correctly authorised and briefed.

(iv) The accident occurred due to engine failure.

(v) No one is directly or indirectly responsible for the accident.

(c) Does not arise.

(d) Rs. 13,50,000.

वियतनाम संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

1940. श्रीमती विमला देवी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 25 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द-चीन (इन्डो-चायना) सम्बन्धी जैनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्षों ने इस बीच वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की वित्तीय-कठिनाइयों को हल करने के लिये कोई सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण नियंत्रण आयोग के काम पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीलंका में भारतीय उद्भव के राष्ट्रिक्ताहीन व्यक्ति

1941. श्री महेश्वर नायक : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्भव के ऐसे राष्ट्रिक्ताहीन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो अभी तक श्रीलंका में रह रहे हैं तथा जिन्हें न तो भारत ने और न ही श्रीलंका ने अपने नागरिक माना है ; और

(ख) भारतीय कहे जाने वाले उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें उस सूची में रखा गया है जिसमें वे भारत के नागरिक मान लिये गये हैं तथा ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें उस सूची में नहीं रखा गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). ताजा आंकड़े सुलभ नहीं हैं। 1964 के भारत–श्रीलंका करार में भारतीय मूल के राज्यहीन लोगों की संख्या 9,75,000 बताई गई है। भारत ने 15 वर्ष में इनमें से 5,25,000 को नागरिकता प्रदान करना स्वीकार कर लिया है, 30 सितंबर, 1966 तक ऐसे 6,639 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी थी।

स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के भाषण

1942. श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 29 अगस्त, 1966 के जवाहरलाल नेहरू के भाषणों से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या 3555 के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस विषय पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). पूरा प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि अन्तिम निर्णय करने में लगभग 3 महीने लग जायेंगे।

2383(Ai) LS—4.

भारतीय समाचारपत्रों का रजिस्ट्रार

1943. श्री रामसेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के बारे में 29 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3661 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्बन्धित अधिकारी के तबादले के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) .प्रशासनिक सुविधा होते ही अधिकारी की किसी और काम पर बदली की प्रार्थना को स्वीकार करने का प्रस्ताव है।

अखबारी कागज की सप्लाई के लिए राज-सहायता

1944. श्री रामसेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री अखबारी कागज की सप्लाई के लिए राज-सहायता के बारे में 29 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 727 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष समस्याओं के बारे में, जिन पर सरकार अन्तिम रूप से विचार कर रही थी, इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय कब तक हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) .समाचार-पत्र उद्योग की इस प्रार्थना को कि रबड़ के कम्बल, जिंकप्लेट, सिलनेवाली तार, आदि पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया जाए, मन्जूर करना सम्भव नहीं हो सका है। देशी अखबारी कागज पर उत्पादन शुल्क तथा आयातित अखबारी कागज और स्टीरियोफ्लोंगज पर प्रतिशुल्क समाप्त करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। आशा है इस पर जल्दी ही निर्णय हो जायेगा।

फिल्म डिवीजन में समीक्षाकार

1945. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन म समीक्षाकारों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे

में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

सैनिक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

1946. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के बारे में 29 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). सेवाओं के सैनिवर्ग के वेतनों और सेवा की शर्तों के संबंध में विभिन्न महत्वों के प्रस्ताव भिन्न प्रावस्थाओं में विचाराधीन हैं । प्रस्तावों की वित्तीय और अन्य समस्याओं को सामने रखते हुए इस समय अनुमान से कहना संभव नहीं कि, उन्हें अन्तिम रूप कब दिया जाएगा ।

मानिटरिंग सर्विस डिवीजन का शिमला से दिल्ली में स्थानान्तरण

1947. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानिटरिंग सर्विस डिवीजन को शिमला से बदल कर दिल्ली लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). मानिटरिंग सर्विस को शिमला से दिल्ली लाने के प्रश्न पर कई बार विचार किया गया परन्तु राजधानी में स्थान की कमी आर्थिक दिक्कत आदि कारणों में ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका । चौथी पंच-वर्षीय योजना में, जिसकी अभी मन्जूरी होनी है, मानिटरिंग सर्विस को शिमला से दिल्ली के पास लाने की व्यवस्था की गई है । इसी बीच कार्यालय के लिए एक स्थान चुन लिया गया है और अन्य संबद्ध बातों पर विचार किया जा रहा है ।

केन्या में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत विरोधी कार्यवाहियां

1948. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्या में कुछ ब्रिटिश अधिकारी भारत-विरोधी कार्यवाहियां कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) ब्रिटेन के कर्मचारियों द्वारा भारत विरोधी कार्रवाइयां करने के संदेह की शिकायतें समय-समय पर कीनिया में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से मिली हैं। हालांकि स्पष्ट कारणों से इन शिकायतों की पुष्टि में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया है।

(ख) जब कभी इस तरह की शिकायत मिली है हमारे हाई कमिश्नर द्वारा मामले पर समुचित रूप से गौर किया गया है ।

बाल फिल्म संस्था

1949. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल फिल्म संस्था की निधि के गबन सम्बन्धी मामले पर निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). बाल फिल्म संस्था के भूतपूर्व महामंत्री से 1000 डालर वसूल करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में दीवानी मुकदमा चल रहा है। उन अधिकारियों और अन्य लोगों, जिन पर निधि के दुरुपयोग या गबन करने का शक है, के विरुद्ध आगे कार्यवाही शुरू करने के प्रश्न पर उनकी सहभागिता की सीमा और प्राप्त गवाहियों के आधार पर, विचार किया जा रहा है।

मानिटरिंग सर्विस डिवीजन

1950. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **सूचना** और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानिटरिंग सर्विस डिवीजन के बहुत से अधिकारियों ने अपने पदों को इसलिए त्याग दिया है क्योंकि उनकी अर्हताओं को देखते हुए उन के वेतन कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रमुख भारतीयों के विदेशों के दौरे

1951. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 29 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3656 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1964 से उन के मंत्रालय तथा अन्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा जिन प्रमुख भारतीय लोगों के विदेशों के दौरों के बारे में खबरें जारी की गई, उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या विदेशों में हमारे दूतावासों द्वारा गैर-कांग्रेसी लोगों का भी उतना ही स्वागत किया जाता हैं जितना कि कांग्रेस के अध्यक्ष का किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इसके साथ एक वक्तव्य लगा हुआ है जिसमें अधिकारी वर्ग से इतर उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

विवरण

उन प्रसिद्ध भारतीयों के नाम, जिनकी विदेश यात्राओं की खबर विदेश मंत्रालय तथा अन्य सरकारी एजेंसियों ने 1 जनवरी, 1964 के बाद जारी की।

नाम

1. श्री तेनसिंग नोर्के
2. श्री विमल राय
3. दीवान चमन लाल
4. श्री के० डी० मालवीय
5. श्री एच० सी०हेडा
6. श्री ए० वी० वाजपेयी
7. श्री हेम बरुआ
8. श्री स्वेदना बुरहानुद्दीन
9. डा० सुनीति कुमार चटर्जी
10. पंडित रवि शंकर
11. श्री अल्ला रखा
12. श्री एस० ए० डांगे
13. श्री जगन्नाथ आजाद
14. श्री मिहिर सेन
15. श्रीमती सुब्बालक्ष्मी

(ख) हमारे मिशन पार्टी के सम्बन्धों की अथवा विशिष्ट यात्री होने की परवाह न करके यथोचित शिष्टाचार बरतते हैं। प्रैस विज्ञप्तियां यात्री के महत्व को, यात्रा के उद्देश्य को तथा इस यात्रा में लोगों की सम्भावित दिलचस्पी को ध्यान में रखकर जारी की जाती हैं। ऐसे मामलों में दलगत अंतर नहीं किए जाते। कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रधान हैं—उनकी विदेश यात्रा से देश-विदेश में पर्याप्त रुचि जागना स्वाभाविक ही है।

नक्शों की जांच

1952. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री नक्शों की जांच के बारे में 29 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3665 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में सरकार की गलतियां ठीक करने में सफलता मिली है ;

(ख) कितने मामलों में सरकार को असफलता मिली है ; और

(ग) कितने मामलों में सरकार अग्रेत्तर कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) .हम विदेशी सरकारों तथा गैर सरकारी नक्शा प्रकाशकों के स्तर पर इस बात का सुनिश्चय करने के लिए बराबर कोशिश करते रहे हैं कि वे अपने यहां से प्रकाशित नक्शों में भारत-चीन सीमा को ठीक रूप में दिखाएं। हमारे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कुछ मामलों में गलतियां ठीक कर दी गई हैं ; अन्य मामलों में ये गलतियां आंशिक रूप से ठीक कर दी गई हैं। चूंकि ये नाजुक मामले हैं और राजनयिक स्तर पर उठाए जा रहे हैं, इसलिए इस समय इस संबंध में देशों का वर्गीकरण करना अथवा कोई और ब्यौरा देना इन कोशिशों की सफलता की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के कार्यालय के लिए स्थान

1953. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 12 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 420 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बम्बई, ने अपने कार्यालय के लिये स्थान स्टीलक्रीट हाउस बम्बई, में बहुत ही अलाभदायक शर्तों पर लिया है ;

(ख) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है और ऐसी शर्तें करने के कारण क्या हैं ; और

(ग) बम्बई के स्टौलक्रीट हाऊस का मालिक कौन है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). फरवरी, 1965 में हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटिड ने सर्वश्री स्टील क्रीट प्राइवेट लिमिटिड से अपने मुख्य कार्यालय के लिए स्टीलक्रीट हाऊस बम्बई में 3.50 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 4800 वर्ग फुट, पूर्णतः वायु अनुकूलित कार्यालय भवन, 3 वर्ष की अवधि के लिए, पटटे की अवधि के लिए पेशगी किराए की अदायगी के उपबन्ध सहित किराय पर लिए थे। 3.50 रुपये प्रति वर्गफुट की दर महाराष्ट्र सरकार से सलाह मशविरे के पश्चात स्वीकार की गई थी। सयुक्त विमान कार्पोरेशन की रचना के साथ मुख्यालय बम्बई में निर्धारित किए गए थे, और इसलिए तीन वर्षों के लिए पटटे पर लेने के लिए युक्तिसंगत माने गए थे। सर्वश्री स्टीलक्रीट प्राईवेट लिमिटिड स्टीलक्रीट हाऊस के मालिक हैं। मुख्यालय बम्बई से गलौर स्थानान्तरित करने के सरकार के निर्णय के पश्चात, 1–9–66 के पश्चात अवधि के संबंध में दिया गया पेशगी किराया लौटाने के उपबन्ध के साथ पटटा 1–9–1966 से समाप्त कर दिया गया है।

Defence of Dwarka

1954. Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri Subodh Hansda:
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether any arrangement for the defence of Dwarka, which was bombarded by the Pakistani Navy during the last Indo-Pakistan conflict has been made by Government; and

(b) if not ,the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b). Certain measures for strengthening the defence of the area including Dwarka are under the consideration of the Government.

आकाशवाणी से दक्षिण भारतीय फिल्मों के गाने

1955. श्री यशपाल सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से सुबह और दोपहर को प्रसारित होने वाले दक्षिण भारतीय फिल्मों के गानों का प्रसारण बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 28–10–62 से विविध भारती सेवा के अन्तर्गत दक्षिण भारतीय फिल्मों के गानों का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जो "कर्णप्रिय" के नाम से सुबह 9 बजे से 9–15 बजे तक प्रसारित होता था। यह कार्यक्रम पहले से ही होने वाली कर्नाटक संगीत सभा के अतिरिक्त था, जो दोपहर में होती हैं और जिसमें दक्षिण भारतीय फिल्मों के गाने भी होते हैं। बाद में सुबह की 15 मिनट की अवधि बढ़ा कर 30 मिनट कर दी गई थी और 2–10–63 से इसका समय

12 बजे दोपहर कर दिया गया। सितम्बर, 1965 में भारत-पाक युद्ध के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय आपात्काल सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम शामिल करने के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करना पड़ा और इस सिलसिले में विविध भारती सेवा में भी कुछ परिवर्तन करने पड़े, जिससे दोपहर वाला आध घंटे का कार्यक्रम बन्द हो गया। किन्तु दोपहर की कर्नाटक संगीत सभा जिसकी अवधि 1 घंटे 15 मिनट (दोपहर 3–45 से 5–30 बजे तक) है, पहले की भांति चलती है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, एक घंटे के दक्षिण भारतीय फिल्मों के गाने भी होते हैं।

प्रसारण जैसी गतिविधि में, बदलती हुई जरूरतों और प्रसारण सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय आदि में समय समय पर परिवर्तन होना अनिवार्य है।

भारतीय वायु सेना के टैंकर की चोरी

1956. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी:
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की है कि हिण्डन से वायु सेना का एक टैंकर चुराया गया था और नई दिल्ली में मोतिया खान में लाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। 27 अगस्त, 1966 को लगभग तीन बज कर 35 मिनट पर सांय, वायुसेना स्टेशन हिण्डन से एक रिफिलर गुम पाया गया था। मामले की असैनिक पोलीस को रिपोर्ट की गई थी, और रिफिलर 27 अगस्त, 1966 को 11 बजकर 30 मिनट पर मोतिया खान में पाया गया था।

(ख) अब हुई जांच के आधार पर 6 वैमानिकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है, और 5–11–1966 को उन्हें सेवा से अलग कर देने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। असैनिक पोलीस मामले की जांच कर रही है। एक वायु सेना कोर्ट आफ इन्क्वायरी भी प्रगतिशील है।

Gandhi Memorial Fund

1957. Shri Vishram Prasad:
Shri Dhuleshwar Meena
Shri Ramapathi Rao:
Shri Daljit Singh:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government machinery was utilised for collecting subscription for Gandhi Memorial Fund;

(b) if so, whether Government exercise any control over the expenditure made from the collections of the Fund; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का चुनाव

1958. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कुछ संसद सदस्यों को सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका आधार क्या है तथा उन्हें किस प्रकार चुना गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशनों के लिए भारतीय प्रतिनिधि-मंडलों के सदस्यों का चुनाव प्रधान मंत्री की अनुमति से करते हैं। वह अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के रूप में उनका क्या अनुभव है और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कितनी क्षमता है।

इंडोनेशिया को तकनीकी सहायता

1959. श्री विश्वनाथ राय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये इंडोनेशिया की सरकार ने कोई इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). हाल ही में नई दिल्ली में इंडोनेशिया के एक प्रतिनिधिमंडल और एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई थी ; इंडोनेशिया का प्रतिनिधिमंडल वहां के प्रधानमंडल के आर्थिक और वित्तीय मामलों के मंत्री, महामान्य, श्री सुलतान हेमेंगकु बुवोनो नवम के नेतत्व में आया था और भारतीय प्रति-निधिमंडल का नेतत्व वाणिज्य मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने किया था। अन्य बातों के अलावा इस बात पर भी सहमति हुई कि आपसी लाभ के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग की बड़ी गुंजाइश है। प्रथम चरण के रूप में हमारा रिजर्व बैंक इंयोनेशिया के स्टेट बैंक के कुछ अधिकारियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करेगा । दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की कितनी गुंजाइश है, इस बात का सविस्तार पता लगाने का विचार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

1960. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिंगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 1 अगस्त 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 878

के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). 1967 में अगला अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह करने का प्रश्न विचाराधीन है।

बर्मा में भारतीय राष्ट्रजनों के लिए सीमा-निकासी प्रमाण पत्र (क्लीयरेंस सर्टिफिकेट)

1961. **श्री उमानाथ :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी अथवा अस्थाई रूप से बर्मा छोड़ने से पहले केवल भारतीय राष्ट्रजनों को ही वर्मा सरकार के स्क्रीनिंग बोर्ड के प्रव्रजन विभाग के माध्यम से एक अन्तिम निकासी प्रमाणपत्र लेना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कार्यवाही का कोई सम्बन्ध उस सोने तथा जवाहरातों से है जो मई, 1964 में थोड़े से भारतीयों ने भारतीय दूतावास में जमा किये थे ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने सोना जमा करवाने के बारे में अनुदेश दिये थे।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बर्मा के अधिकारी बर्मा से आने वाले सभी भारतीयों के नाम शायद उन भारतीयों की सूची से मिलाकर पड़ताल करना चाहते हैं जिन्होंने मई 1964 में अपने जवाहिरात भारतीय राजदूतावास में जमा करा दिए थे।

(घ) कोई उपाय बरतना आवश्यक नहीं समझा गया।

अवाड़ी में भारी मोटर गाड़ी निर्माण कारखाना

1962. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात की कमी के कारण अवाड़ी में भारी मोटर गाड़ी निर्माण कारखाने में उत्पादन को भारी धक्का पहुंचा है ;

(ख) कितने प्रतिशत पुर्जे भारत में ही तैयार किये जाते हैं ;

(ग) आयात किये जाने ' वाले पुर्जों को भारत में ही बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या पुर्जों का आयात बन्द करना सम्भव हो सकता है, और यदि हां, तो कब तक ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) आयात मदों की सप्लाई में कुछ विलम्ब हुआ है, जिसका आवड़ी में उत्पादन शेड्यूल पर प्रभाव पड़ा है। तदपि, किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप, जैसे आयोजित किया गया था, पहला टैंक फैक्टरी से 29 दिसम्बर, 1965 को बाहर निकला, और उसके पश्चात् उत्पादन सन्तोषजनक ढंग से हो रहा है।

(ख) हमारा अनुमान है कि पहले 100 टैंकों के लिए देशीय अंश लगभग 40 प्रतिशत होगा, जो पहले प्लान से बेहतर है।

(ग) यथासंभव जितना हो सके संयोजनों और संघटकों के लिए और अधिक देशीय क्षमता स्थापित करने के लिये भारी प्रयत्न किए जा रहे हैं। कुछ मदों का सफलता-पूर्वक विकास किया गया है।

(घ) वर्तमान आयोजना के अनुसार, तीन वर्षों में आयात अंश के लगभग 20 प्रतिशत प्रगतिशीलता से कम होने की आशा है।

Work in Hindi

1963. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of Government employees who have been asked to work in Hindi in his Ministry after having received training in Hindi Training Classes conducted by the Ministry of Home Affairs;

(b) whether Government are taking any step to refresh their knowledge of Hindi; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) The work in this Ministry is still mainly done in English. However, all communications received in Hindi are replied in Hindi.

(b) and (c). Hindi trained employees do get opportunities of doing work in Hindi of some kind or the other. The proposal to start a refresher course for Hindi knowing employees would be considered only after the amending Bill to amend the Official Languages Act is introduced and passed by the Parliament.

Press Conference held by President of Praja Socialist Party, Delhi

1964. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-

item published in the 'Nav Bharat Times' of the 13th September, 1966 regarding Press Conference held by the President of the Praja Socialist Party, Delhi;

(b) if so. whether Government are aware that India is projected as a helpless country and picture of disastrous famine in India is presented to the people through the London Times and other papers in the foreign countries;

(c) whether it is a fact that incriminating cartoons are published in newspapers of foreign countries; and

(d) if so, the steps taken by Government to remedy this situation?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The 'Times' of London dated May 18 carried an advertisement to canvass donations for famine relief in India. Other newspapers have also carried similar advertisements. These advertisements were inserted by charitable organisations like "OXFAM" and "SAVE THE CHILDREN FUND".

(c) Government have not come across incriminating cartoons about the food situation in India.

(d) Our High Commission in London, as our Missions elsewhere, have regularly disseminated information about the actual situation in India through their bulletins, news briefings, etc.

Ex-Servicemen of Princely States

1965. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Defence be pleased to State:

(a) whether it is a fact that Government have decided to extend similar facilities to the ex-servicemen of the erstwhile Princely States as are available to other ex-servicemen; and

(b) if so, the number of such servicemen to be benefited by this decision?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) It has been clarified recently that ex-Indian State Forces personnel are included in the definition of ex-servicemen and are thus entitled to all the facilities admissible to other ex-servicemen.

(b) No statistics are available of the number of such personnel.

संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव

1966. श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, श्री ऊ-थांत अपना पद छोड़ने का विचार कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका और अन्य देश उन्हें इस पद पर बने रहने के लिये राजी करेने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा उन्हें इस पद पर बने रहने के लिये राजी करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). सरदार स्वर्ण सिंह ने महासभा में अपने भाषण में हमारी यह आशा व्यक्त की थी कि ऊ-थांत महासचिव के रूप में दूसरे कार्यकाल में कार्य करने को सहमत हो जाएंगे। प्रधान मंत्री ने भी ऊ-थांत को एक निजी पत्र भेजा।

Karnali Hydro-Electric Project in Nepal

1967. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to give assistance for the Karnali Hydro-electric project in Nepal; and

(b) if so, the amount of assistance proposed to be given and the terms thereof?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) The Government of India have not yet taken any decision in regard to the projected Karnali Hydro-Electric Project in Nepal. So far there is no precise project in view as a U.N. Team has only recently made a survey of the feasibility and its Report forwarded to the Government of India by the Government of Nepal, is under study.

(b) Does not arise.

नौसेना के विमान का मर्मागाओ बन्दरगाह के निकट दुर्घटनाग्रस्त होना

1968. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 सितम्बर, 1966 को मर्मागाओ बन्दरगाह के समीप नौसेना का एक विमान, जो प्रशिक्षण उड़ान पर था, टूट कर समुद्र में गिर गया ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दुर्घटना एक प्रशिक्षण उड़ान पर विरचना में उड़ते समय दो विमानों के अन्तरिक्ष में टकरा जाने के फलस्वरूप हुई। दुर्घटना के कारण की जांच के लिए एक बोर्ड आफ इन्क्वायरी आयोजित किया गया है।

Atomic Power Station, Kotah

1969. Shri Onkar Lal Berwa: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of persons at work in the Atomic Power Station under construction in Kotah, Rajasthan;

(b) whether it is a fact that no local person has been engaged there; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). The number of persons directly employed by the Project at the site of the Rajasthan Atomic Power Station as on October 31, 1966 was 1212. Out of these 257 belong to the region.

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के एक कर्मचारी का लापता हो जाना

1970. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नाथ पाई :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री तुलाराम :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भारत सरकार के पास शिकायत की है कि 29 सितम्बर, 1966 से उनका एक चीनी युवक, जो उनके दूतावास के सूचना अनुभाग में काम करता था लापता है ;

(ख) क्या वह युवक ढूंढ लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह कहां और कैसे लापता हो गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी नहीं, वह अभी नहीं ढूंढा जा सका है। अभी पूछताछ की जा रही है। चीनी राजदूतावास का सहयोग नहीं मिल रहा है और इससे पूछताछ में रुकावट आई है।

फिजी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प

1971. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिजी को स्वतन्त्रता देने के बारे में कोई संकल्प पारित किया ;

(ख) फिजी को स्वतन्त्रता देने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प पर ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। उपनिवेशों को समाप्त करने के संबंद्ध संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति ने 7 सितम्बर, 1966 को एक प्रस्ताव पास करके यूनाइटेड किंगडम से कहा था कि वह इस प्रदेश में आम चुनाव कराने, प्रतिनिधि सरकार बनाने तथा इस प्रदेश की स्वाधीनता की शीघ्र कोई तारीख़ निश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि इस प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र का एक निरीक्षक मिशन नियुक्त किया जाए।

(ख) फिजी की स्वतंत्रता की अभी कोई तारीख़ निश्चित नहीं की गई है। हालांकि इस प्रदेश में ताजा संवैधानिक सुधारों के अंतर्गत हाल ही में चुनाव हुए थे।

(ग) ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव के दो प्रमुख तत्वों को स्वीकार नहीं किया है, जो ये हैं: बिना किसी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत पर आधारित मतदाता सूची का प्रचलन और इस प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र मिशन का दौरा।

National Defence Fund

1972. Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri R. S. Tiwary:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the total amount contributed towards the National Defence Fund uptil 31st October, 1966;

(b) the total amount received from abroad;

(c) the total amount received through various States; and

(d) the total amount spent so far out of this Fund?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House. [*Placed in Library, See No. LT-* 7363/66].

(d) Grants totalling Rs. 33.16 crores have so far been sanctioned from the Fund for the purchase of defence equipment welfare of the Armed Forces and others engaged in the defence of the country and their families, and relief work among the civilian population affected by the conflict with Pakistan.

अपराधी पहिचान प्रयोगशाला

1973. श्री वी० चं० शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे स्थित अणु ऊर्जा संस्थान में अपराधियों को पहिचानने के एक नये तरीके, 'ऐक्टीवेशन अनैलिसिस' के लिये भारत की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इसमें कब तक कार्य आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। कलकत्ते की सेन्ट्रल फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी के सहयोग से ट्राम्बे के अणु ऊर्जा संस्थान में एक एकक स्थापित किया जा रहा है।

(ख) इस तकनीकी की मुख्य विशेषताएं संवेदन शीलता और चयन-क्षमता है। यह न्यूट्रोन किरणीयन द्वारा रेडियोसक्रिय बनाये गये निर्जीव तत्वों के नमूनों के लक्षणवर्णन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अनुकूल मामलों में तो विश्लेषण के दौरान नमूनों को नष्ट भी नहीं होने दिया जाता ।

(ग) विदेशी मुद्रा के परिव्यय को कम करने के लिये अपेक्षित उपकरणों को ट्राम्बे में बनाया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि यह प्रयोगशाला 1967 के मध्य तक कार्य शुरू कर देगी।

उत्तरी वियतनाम और क्यूबा के साथ भारत का व्यापार

1974. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को कहा है कि यदि भारत शांति के लिये खाद्य, कार्यक्रम के अंतर्गत उससे अनाज मंगवाना जारी रखना चाहता है, तो उसे उत्तरी वियतनाम और क्यूबा के साथ अपना व्यापार बन्द कर देना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). अमरीकी सरकार ने अपने 'फूड फार पीस ऐक्ट' की व्यवस्थाओं से भारत सरकार को सूचित किया है जिनके अनुसार ऐसा कोई भी राष्ट्र इसका फायदा नहीं उठा सकता तो वियतनाम को कुछ बेचें, भेजे अथवा अपने हवाई जहाजों या जहाजों को कोई चीज़ उत्तर वियतनाम ले जाने लाने की इजाजत दे; क्यूबा के बारे में भी ऐसी ही व्यवस्था है लेकिन उसमें थोड़ा फर्क कर दिया गया है जिससे कि क्यूबा के साथ कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाले किसी देश पर बुरा असर न पड़े। उन्होंने भारत से व्यापार बंद कर देने के लिए नहीं कहा है और भारत सरकार कोई प्रतिक्रिया बताने अथवा कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती किसी भी राज्य के साथ व्यापार करना अथवा अन्य प्रकार के संबंध रखने का हमारा प्रभुसत्तात्मक अधिकार है।

Foreign Post Office at Kathmandu

1975. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a Foreign Post Office at Kathmandu at a cost of nearly Rs. 10 lakhs;

(b) if so, whether Nepalese Government would correspond with various foreign countries through this Post Office; and

(c) if so, the extent of obligations of the Nepalese Government for this service?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Under our programme of Economic Cooperation with Nepal, we have undertaken to construct an Foreign Post Office building in Kathmandu for His Majesty's Government of Nepal. The estimated expenditure on its construction is Rs. 8.70 lakhs.

(b) and (c). We are responsible only for the construction of the building

which when completed will be handed over to the Government of Nepal. The post office organisation which will be housed in the building will presumably cater in the normal way for the requirements of all people in Nepal, including the Government of Nepal. There are no conditions or obligations attached to our aid.

सिक्किम परिषद्

1976. **श्री दिगे :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अमरीका में काम करने वाली एशिया सोसाइटी ने अमरीका में 'सिक्किम परिषद्' स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों की गणना

1977. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 1 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 818 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भूतपूर्व सैनिकों की गणना करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) क्या अगली जनगणना के साथ इस कार्य को करने के लिये जनगणना समिति की सहायता ली जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) भूतपूर्व सैनिकों और उनके कुटुम्बों के ठीक ठीक रिकार्ड रख सकने के लिए विस्तृत गणना हस्तगत करने में कई प्रशासनिक समस्याएं अन्तर्ग्रस्त हैं। प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

रेडियो गोआ तथा रेडियो काश्मीर

1978. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'रेडियो गोआ' का हाल में नाम बदल कर उसे "आल इण्डिया रेडियो पंजीम" और "आकाशवाणी, पंजीम" का नाम दिया गया है ;

(ख) क्या 'रेडियो काश्मीर' का नाम भी बदल दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका नाम कब बदलने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोग

1979. **श्री विगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोगों के बारे में 8 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में नजरबन्द भारतीय लोगों की रिहाई के प्रश्न पर, जो बर्मा सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा है, विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां।

(ख) 8 अगस्त, 1966 से 5 और भारतीय, जो अर्थ संबंधी अपराधों के लिए रोक लिए गए थे, रिहा कर दिए गए हैं ?

विशाखापटनम् और कड़पा में आकाशवाणी के केन्द्र

1980. **श्री मि० सू० मूर्त्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम् तथा कड़पा रिलेइंग केन्द्र केवल संध्या को ही कार्यक्रम प्रसारित (रिले) कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के रायल सीमा श्रीकाकुलम और विशाखापटनम् जैसे दूर-दूर के जिलों के सुनने वाले सुबह के समाचारों तथा अन्य कार्यक्रमों को अच्छी तरह नहीं सुन पाते हैं क्योंकि विजयवाड़ा तथा हैदराबाद में इस समय लगे हुए ट्रांसमीटर बहुत ही कम शक्ति वाले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) साधनों की कमी।

(ग) और (घ) जी, हां। हैदराबाद में उच्च शक्ति का एक मीडियम वैव ट्रांसमीटर शीघ्र ही चालू होने वाला है। इससे रायलसीमा के उत्तरी भागों में प्रसारण और अच्छे सुनाई देंगे। चौथी योजना में भी, जो अभी मंजूर होनी है, कड़पा और विशाखापटनम् के सहायक केन्द्रों को आंशिक रूप से, प्रतिदिन सुबह दोपहर और शाम को मूल कार्यक्रम

प्रसारित करने वाले केन्द्रों में बदलने की व्यवस्था है ताकि विशाखापटनम जिले और रायल-सीमा जिले के अधिकांश भाग में कार्यक्रम संतोषजनक रूप से सुने जा सकें।

हैदराबाद में ट्रांसमीटर

1981. **श्री मि० सू० मूर्त्ति :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में लगाया गया 50 किलोवाट का ट्रांसमीटर अभी तक चालू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) ट्रांसमीटर की जांच पूरी हो गई है और जल्दी ही यह चालू हो जायेगा।

रेडियो धर्मी धूल

1982. **श्री दिगे :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय।

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चीन द्वारा परमाणु बम के तीसरे विस्फोट के कारण भारत के कुछ क्षेत्रों में और विशेषतया केरल के वायु मण्डल में रेडियो धर्मी धूल के तेज़ी से बढ़ जाने का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी बढ़ी है ; और

(ग) इसके कारण मानव जीवन को कितना और किस प्रकार का खतरा है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) श्रीनगर, गुलमर्ग और नैनीताल में स्थित नमूना एकत्र करने वाले स्टेशनों से यह मालूम हुआ है कि चीन द्वारा परमाणु बम के तीसरे विस्फोट के 14 दिन बाद भू-तल पर रेडियोधर्मी धूल की मात्रा में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है। तथापि यह वृद्धि इतनी कम है कि इससे स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। इससे केरल प्रभावित नहीं हुआ है।

सैनिक कर्मचारियों की पेंशन का पुनरीक्षण

1983. **डा० सारादीश राय :**
श्री उमानाथ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948 से लेकर अब तक नियमित सैनिक पेंशनरों की पेंशन का कितनी बार

पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) इसी अवधि में सैनिक रिज़र्व पेंशनरों की पेंशन का कितनी बार पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नियमित सैनिक-अधिकारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद मिलने वाली पेन्शन की दरों में 1948 से निम्नलिखित फेर-बदल की गयी है :

(1) कमीशन प्राप्त अधिकारियों, कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जवानों और न लड़ने वाले कर्मचारियों की पेंन्शनों को 1 जून, 1953 से परिशोधित किया गया था ।

(2) कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों जवानों और न लड़ने वाले कर्मचारियों की पेंशन 1 अप्रैल, 1961 से और कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पेन्शनें 1 अक्टूबर, 1961 से परिशोधित की गयीं थीं।

(3) पेन्शन पाने वाले ऐसे व्यक्तियों की पेन्शन में 5 रुपये से 10 रुपये तक की तदर्थ वृद्धि की गयी थी जिनकी पेंशन इस तदर्थ वृद्धि समेत 200 रुपये प्रति मास (थोड़े बहुत समायोजन के बाद 210 रुपये प्रतिमास से अधिक न हो)। इसके अतिरिक्त 1964 में ऐसे आदेश दिये गये थे जिनमें यह व्यवस्था थी कि उन सब की पेन्शन 1 जनवरी, 1964 से 25 रुपये हो जायगी जिनकी वर्तमान पेन्शन 25 रुपये प्रति मास से कम थी।

(ख) जो कमीशन प्राप्त और कनिष्ठ कमिशन प्राप्त अधिकारी गण उपदान या पेन्शन के अधिकारी के रूप में सेवा निवृत्ति पाते हैं, उनमें से कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये एक रक्षित दायिता जब तक रहती है जब तक कि वे एक निश्चित आयु सीमा तक पहुंचते हैं तथा कनिष्ठ कमिशन प्राप्त अधिकारियों के लिये यह 5 वर्ष या उस समय तक जब तक, उनकी आयु 50 वर्ष हो, इनमें से जो भी पहले हो। जवान कुछ समय तक कलर में सेवा करते हैं और इसके बाद रिजर्व में जैसा कि उनकी सेवा की शर्तों में प्रतिपादित होता है। जो कलर सर्विस के 15 वर्ष पूरे कर लेते हैं वे सर्विस पेन्शन सहित सेवा निवृत्त होते हैं। रिजर्व सेवा में रहते हुये उन्हें रिजर्व नौकरी की फीस के साथ साथ सर्विस पेन्शन भी दी जाती है। अधिकारी वर्ग तथा कनिष्ठ कमिशन प्राप्त अधिकारियों को कोई रिजर्व सेवा में रखने की फीस नहीं दी जाती। रिजर्व सेवा में रहने वाले सैनिकों की पेंशन 1 जून, 1953 से परिशोधित की गयी थीं। 1 अक्टूबर 1963 से उन्हें पेन्शन में 5 रुपये से 10 रुपये तक की तदर्थ वृद्धि भी दी गयी थी।

(ग) कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों के वेतन-मानों में वृद्धि हो जाने के बाद कमीशन प्राप्त अधिकारियों, कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जवानों न लड़ने वाले कर्मचारियों और रिजर्व सेवा में रहने वाले सैनिकों की पेंन्शनें भी 1 जून, 1953 से परिशोधित कर दी गयी थीं। कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जवानों और न लड़ने वाले कर्मचारियों की पेन्शनों में 1 अप्रैल, 1961 से तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पेन्शनों में 1 अक्टूबर, 1961 से दुबारा वृद्धि की गयी जो उनकी वेतन मानों के परिशोधित होते ही लागू कर दी गयी थी।

कम पेन्शन पाने वालों को राहत देने के उद्देश्य से पेन्शन पाने वाले नियमित सैनिकों और रिजर्व सेवा में रहने वाले सैनिकों को 1 अक्तूबर, 1963 से तदर्थ वृद्धि उन्हीं दरों पर दे दी गयी थी।

हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक लिमिटेड, कानपुर

1984. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक लिमिटेड, कानपुर के प्रबन्ध निदेशक ने हाल में कहा था कि कानपुर एकक का भविष्य धुंधला है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख) एच० ए० एल० के कानपुर विभाग में 10–9–1966 के 9–10–1966 तक तालाबन्दी रही। तालाबन्दी समाप्त हो जाने के पश्चात भी कुछ कार्मिकों का आन्दोलन जारी रहा और उन्होंने काम करने को रजामन्द कार्मिकों को ड्यूटी पर लौटने से रोकने का प्रयास किया। इस संबंध में मैनेजिंग डायरेक्टर ने कर्मचारियों को अनुशासितपूर्वक ढंग से आचरण के लिए अपील की, क्योंकि अन्यथा कानपुर फैक्टरी के प्रास्पेक्ट्स अंधकारमय थे।

(ग) मैनेजिग डायरेक्टर को उनके 20–10–1966 के कानपुर भ्रमण के दौरान, असंतुष्ट कार्मिकों द्वारा शिष्ट आचरण का वचन दिया गया। तब से आन्दोलन वापस ले लिया गया है, और कानपुर विभाग ने फिर से साधारण रूप से काम करना शुरू कर दिया है।

विनोबा भावे को 'सोसाइटी फार दि फेमिली आफ मैन' पुरस्कार

1985. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की "दि सोसायटी फार दी फेमिली आफ मैन" की ओर से विनोबा भावे को 5000 डालर का वार्षिक पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) इस संस्था के क्या कृत्य हैं ; और

(ग) यह पुरस्कार किस प्रयोजन तथा किन शर्तों पर दिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) 'दि सोसाइटी फार दि फैमिली आफ मैन" एक ऐसी सोसाइटी बताई गई है जिसे सिटी आफ न्यूयार्क की प्रोटेस्टेन्ट काउंसिल ने एक ऐसे साधन के रूप में स्थापित किया है जिससे संबद्ध व्यक्ति और संगठन उन कार्यक्रमों को आरम्भ कर सकते हैं, उनमें भाग ले सकते हैं और उन पर आचरण कर सकते हैं जो हमारे समय की महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हों। यह सोसाइटी

एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक और लाभ अर्जित करने का नहीं है। इस सोसाइटी का कहना है कि यह किसी विशेष धार्मिक केष्टिकोण का प्रचार नहीं करती, लेकिन उसका कार्य इस प्रमुख सत्य पर केन्द्रित है कि समग्र मानव जाति ईश्वर के अधीन एक परिवार है। उसका व्यक्त उद्देश्य इस सत्य को संबद्ध, सामाजिक और सांस्कृतिक शब्दों में समझाने के साधन खोजना है।

यह सोसाइटी हर साल एक स्वर्ण पदक ऐसे व्यक्ति को देती है जिसके कार्यों से समग्र मानव जाति लाभान्वित होती है। प्राप्तकर्ता को पदक की कांस्य प्रतिकृति और 5000 अमरीकी डालर का अनुदान दिया जाता है। अमरीका के स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी तथा पूर्व राष्ट्रपति आइज़नहोवर और कनाडा के प्रधान मंत्री पियरसन को पहले यह पुरस्कार दिए जाने के बाद इस सोसाइटी ने इस वर्ष अपना चौथा पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को शांति के प्रति निस्वार्थ समर्पण और अपने देशवासियों के निमित्त व्यक्तिगत त्याग के लिए दिया है।

चीन का चौथा परमाणु परीक्षण

1986. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचारपत्रों में प्रकाशित, इस समाचार की जानकारी है कि चीन चौथे परमाणु-परीक्षण के लिये अग्रिम तैयारी कर रहा है ; और

(ख) यदि हां तो भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीन पहले ही एक नियन्त्रित मिजाईल, जिसके साथ कि एक न्यष्टिवारहेड फिट किया गया था 27 अक्तूबर, 1966 को दाग चुका है। चीन द्वारा विस्फोटित, वह चौथी न्यष्टि युक्ति थी।

(ख) चीन द्वारा न्यष्टि-हथियारों के विकास के संबंध में, भारत के रक्षा प्रबन्धों का पुनरीक्षण, बलाभिकर्णिक कमेटी द्वारा अध्ययन अधीन है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र में भारतीय सम्वाददाता के साथ दुर्व्यवहार

1987. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र में अमरीकी गुप्त सेवा के एजेण्टों ने "रिपोर्टरों" को वहां से बाहर धकेल दिया और प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया के एक सम्वाददाता को धक्का मार कर गिरा दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया से कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि इस संवाददाता ने और संयुक्त राष्ट्र संवादाता ऐसोसियेशन ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की घटना के खिलाफ़ विरोध प्रकट किया है, सरकार घटनाओं पर निगाह रख रही है।

पारपत्रों को रोक लेना

1988. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों के पारपत्रों को रोक लिया गया है या उन्हें विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कारण 1963 से 1966 के मध्य पारपत्र सुविधाएं नहीं दी गयीं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) पूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा डेस्क गणकों का निर्माण

1989. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्था के वर्कशॉप ने डेस्कगणक तथा आंकड़े सारणीबद्ध करने वाले उपकरणों के निर्माण के लिए पूर्णतः भीतरी संसाधनों पर आधारित एक परियोजना तैयार की थी;

(ख) क्या उक्त परियोजना के फलस्वरूप इन उपकरणों के आयात करने के लिए अब तक अपेक्षित विदेशी मुद्रा की काफी बचत होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। एक परियोजना तैयार की गयी थी, परन्तु यह पूर्णतः देशी संसाधनों पर आधारित नहीं थी।

(ख) इस प्रकार के उपकरण अब भारत में ही बनाये जा रहे हैं।

(ग) इस संस्था ने यह परियोजना त्याग दी थी, क्योंकि वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह सफलतापूर्वक नहीं चलायी जा सकती थी।

तीसरी योजना के दौरान सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई योजनाओं के लिए पंजाब को नियत की गई धनराशि

1990. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के हेतु तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब को कितनी धनराशि नियत की गई ; और

(ख) विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा उन योजनाओं के नाम क्या हैं; उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा उनके कार्य के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). पंजाब राज्य के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

	आवंटित राशि	खर्च हुई राशि
	(रुपये—लाखों में)	(रुपये लाखों में)
1. प्रसारण का विकास (चंडीगढ़, जलंधर और अमृतसर में ट्रांसमीटर लगाकर और कार्यक्रमों के लिए वैकल्पिक लाइट चैनलों की व्यवस्था कर प्रसारण क्षेत्र बढ़ाना) . . .	7.46	4.80
2. पंचायती रेडियो के लिए सहायता (4,300 रेडियो सैटों के लिए सहायता)	5.38	5.38
योग	12.84	10.18

नेपाल को भारतीय वित्तीय तथा तकनीकी सहायता

1991. श्री कृ० चं० पन्त :
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन योजनाओं में भारतीय वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से नेपाल में कितने विकास कार्य आरम्भ किये गये ।

(ख) उनमें से कितने विकास कार्य पूरे हो गये हैं; और

(ग) अनुदान तथा ऋण के रूप में पृथक्-पृथक् कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 144 ।

(ख) 111 ।

(ग) 1951 से 1961 तक अनुदान के रूप में करीब 31 करोड़ रुपये इसमें 1 करोड़ रुपये का वह ऋण शामिल नहीं है जो नेपाल के उद्योगों के लिए था और पिछली योजना को अवधि में काम में नहीं लाया गया था ।

काफी ऊंचाई पर जवानों (सैनिकों) पर प्रभाव

1992. श्री कृ० चं० पन्त : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जवान के लिए हिमालय-सीमा पर जाने से पहले कम से कम तीन साल तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहना जरूरी समझा जाता है ;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि काफी ऊंचाई पर ठहरने वाले जवानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कोई अनुसंधान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). यह सच नहीं है कि यदि किसी जवान को हिमालय की सीमा पर तैनात किया जाता है तो वहां उसे एक बार में कम-से कम तीन वर्ष तक बहुत उच्च स्थान पर रहना पड़ता है । एक जवान के लिये किसी हिमावरुद्ध क्षेत्र में सेवा करने की अधिकतम अवधि केवल 2 वर्ष है। इस अवधि में भी, लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात जवानों को, जो वहां छः महीनों से एक वर्ष के बीच तक सेवा कर चुके होते हैं, छः महीनों के लिए कम ऊंची जगहों पर लाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो दो वर्ष की अवधि पूरी करने के लिये उन्हें पुनः हिमावरुद्ध क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है । ऐसे क्षेत्रों में, जो अनिवार्यतः हिमावरुद्ध क्षेत्र अथवा उच्च स्थान नहीं होते हैं, जवानों के सेवा-काल की कुल अवधि तीन वर्ष है और इस तीन वर्ष की अवधि में हिमावरुद्ध क्षेत्र में 2 वर्ष का सेवा-काल भी शामिल है ।

2. उच्च स्थानों पर तैनात सैनिकों को पेश आने वाली सभी समस्याओं अर्थात् ठण्ड के प्रभावों, उच्च स्थानों के प्रभावों तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि की संतोषजनक रूप से जांच की गई है अथवा यह जांच तब तक की जाती रहेगी जब तक संतोषजनक निष्कर्ष नहीं निकल आते । जांच से निकले परिणाम संक्षेपतः निम्नलिखित बताये जाते हैं ।

(एक) आक्सीजन के अभाव के कारण स्वयं उच्च स्थान के प्रभाव

समय-समय पर किये गये अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप सैनिकों को जलवायु-अभ्यास की एक नियमित प्रक्रिया द्वारा अर्थात् उन्हें क्रमिक अवस्थाओं में उच्च स्थानों पर रहने के लिये आदि बनाकर उच्च स्थान की खराब दशाओं में रहने का अभ्यास कराया जाता है। इस के बावजूद थोड़े प्रतिशत सैनिकों के फेफड़ों में, जो अपने आप को उच्च स्थानों के अनुकल नहीं बना सकते हैं, रुधिर का जमाव होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को तुरन्त कम ऊंचाई वाली जगहों पर लाया जाता है जहां उन्हें उपयुक्त उपचार से स्वास्थ्यलाभ होता है ।

(दो) ठण्ड के प्रभाव

सैनिकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया गया है कि वे ठण्ड के प्रभावों का कैसे मुकाबला करें। उन्हें उच्च स्थानों के लिये उपयुक्त विशेष कपड़े और अतिरिक्त गर्मी देने वाली अधिक कॅलारी का भोजन दिया जाता है । इस समय इस बात का पता लगाने के लिये अनुसन्धान किया जा रहा है कि क्या किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिये नियमित रूप से ठण्ड में रहने देने से ठंड का अभ्यास कराया जा सकता है जैसा कि उन्हें उच्च स्थानों पर रहने के लिये अभ्यास कराया जाता है ।

(तीन) उबड़-खाबड़ भूमि के प्रभाव

सैनिकों के लिये पर्याप्त मनोरंजन की सुविधाओं के साथ-साथ उच्च स्थानों पर उनके एकरस और अलग-थलग जीवन में विभिन्नता लाने के लिये उच्च स्थान पर उनकी रिहायिश के दौरान नियमित डाक सेवा की सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। उन की वहां पर रहने के काल को भी यथासम्भव अवधियों के लिए सीमित किया गया है । सैनिकों को विशेष मात्रा

में राशन दिया जाता है जिसके से उच्च स्थानों पर ऊबड़खाबड़ भूमि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक शक्ति प्राप्त होती है ।

(चार) स्वास्थ्य पर उच्च स्थान के प्रभाव

उच्च स्थानों के वातावरण से उन सैनिकों पर, जिन को समय-समय पर इन क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यापक अनुसन्धान कार्यक्रम के फलस्वरूप, जिसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए उपाय ढूढने के लिये चालू किया गया है, उपयुक्त निवारक उपायों को अपना कर और सैनिकों की नियमित अदला-बदली द्वारा इन प्रभावों को दूर किया गया है। पहले किये गये अनुसन्धान के फलस्वरूप उच्च स्थानों पर पदासीन चिकित्सा-सेविवर्ग के मार्ग-दर्शन के लिये निम्नलिखित विषयों पर आदेश दिये गये हैं :—

(एक) उच्च स्थान और ठण्ड से प्रभाव ।

(दो) हाई आल्टीच्यूड पल्मोनरी ओएडमा ।

(तीन) तुषारधात ।

(चार) उच्च स्थान की चिकित्सीय समस्यायें ।

(पांच) पल्मोनरी हाइपरटेंशन ।

कथित विभिन्न उपायों के फलस्वरूप श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी रोगों को छोड़ कर उच्च स्थानों पर तैनात सैनिकों में रोगग्रस्तता के आंकड़ों की सेना में रोगग्रस्तता के आंकड़ों से अनुकल तुलना की जा सकती है। श्वास-प्रश्वास के रोगों के अधिक होने का कारण अत्याधिक ठण्ड है और इस समस्या से निबटने की हर कोशिश की जा रही है ।

चीनियों के जासूसी गिरोह का सीमा पर सक्रिय होना

1993. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट भारत-तिब्बत सीमा पर 25 अक्तूबर, 1966 को बहुत से तिब्बती लोगों तथा एक भारतीय महिला को, जो सीमा पर एक कथित चीनीस जासूसी गिरोह के सदस्यों के रूप में सक्रिय थे, गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उनके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत नेपाल सीमा के पास नौतनवा (उ० प्र०) में 16 अक्तूबर, 1966 को दो तिब्बती और एक भारतीय महिला पकड़ी गई थी ।

(ख) ये तिब्बती संदेहास्पद परिस्थितियों में पाए गए थे और भारतीय महिला उनके साथ थी।

(ग) इन लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा जांच-पड़ताल जारी है ।

चैकोस्लोवाकिया से करार

1994. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु शक्ति का शांति कार्यों के लिये उपयोग करने के हेतु भारत और चेकोस्लावाकिया के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां। इस करार की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

नैरोबी में भारतीय विशेषज्ञ पर आक्रमण

1995. श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैरोबी (केनिया) में नगर के मध्य में तीन अफ़्रीकियों की एक टोली ने एक भारतीय खाद्य और कृषि विशेषज्ञ, जो एफ्रेशियन ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (एफ्रो-एशियन रूरल रीकंस्ट्रक्शन आरगेनाइजेशन) के महासचिव हैं, पर हाल ही में आक्रमण किया और उसे लूट लिया ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां। अफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के महामंत्री, श्री कृष्ण चंद पर हमला किया गया था तथा उनके पास जो रकम और यात्री (ट्रेवलर्स) चैक थे, वे लूट लिए गए थे; उनकी हाथ घड़ी भी छीन ली गई थी। यह कांड 14 अक्तूबर की शाम को यूनाइटेड केनिया क्लब के बाहर हुआ था और तीन अज्ञात अफ्रीकियों ने किया था।

(ख) इस वारदात की फौरन ही पुलिस में रिपोर्ट कराई गई थी और बाद में हमारे हाई कमिश्नर ने विदेश कार्यालय में स्थायी सचिव को व्यक्तिगत रूप से इस वारदात के बारे में बताया और अफ्रो-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन के अध्यक्ष को भी। अभी तक पुलिस अपराधियों का पता नहीं लगा पाई है ।

प्रचार पर व्यय

1997. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से खरीदे गये ट्रांसमीटरों की रुपयों में लागत देश के प्रचार व्यय को बहुत बढ़ा देगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या, बड़े पैमाने पर आयातित माल के स्थान पर काम आने वाले माल की व्यवस्था करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अवमूल्यन के कारण ट्रांसमीटरों की रुपयों में जो लागत बढ़ गई है, उसे संतुलित करने के लिए चौथी योजना में आकाशवाणी की योजनाओं की मुनासिब काटा-छांटी की गई है ।

(ख) विदेशी मुद्रा की बचत करने के उद्देश्य से आयातित माल के स्थान पर देशी माल की व्यवस्था करने के लिए आकाशवाणी ने अवमूल्यन से पहले ही कदम उठा लिए थे ।

Pakistanis visiting Punjab for participation in Urs

1998. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Muslims had come from Pakistan to Punjab to take part in the Urs held in October, 1966;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the facilities provided to them by Government?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). A party of 94 Muslim pilgrims from West Pakistan visited the shrine of Hazrat Khwaja Muhammad Diwan Chishti in district Hoshiarpur, Punjab, on pilgrimage from 24th September to 2nd October, 1966.

(c) During their visit to Punjab the local authorities made necessary arrangements for provision of food, accommodation and facilities for travel of the pilgrims.

Passport for Wife of Shri Dharma Teja

1999. Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that wife of Shri Dharma Teja has obtained a passport for going abroad; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Smt. Ranjit Teja, wife of Dr. Jayanti Dharma Teja was given an International passport in April, 1959 by the Regional Passport Officer, Delhi in her maiden name—Kumari Ranjit Kaur for higher studies abroad. The passport was replaced by new booklets from time to time due to loss, change of marital status, change of signature and non-availability of blank pages. The passport is due to expire in April, 1967.

(b) The passport has been cancelled and necessary orders for its impounding have been issued.

रूस से टी० यू०-124 विमानों का मंगाया जाना

2000. श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से कोई टी० यू०-124 विमान मिल चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने विमान मिल चुके हैं तथा शेष कब तक आने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यू० एस० एस० आर० को आर्डर भेजे गये तीनों टी० यू० —124 विमान प्राप्त हो चुके हैं।

लंदन स्थित इण्डिया हाउस

2001. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि लंदन स्थित हमारे उच्चायो की इमारत इण्डिया हाउस पर नागरी लिपि के बड़े अक्षरों में "हिन्दुस्थान" शब्द अंकित है ; और

(ख) यदि हां, तो उस शब्द का प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं, जब कि हमारे संविधान में "इण्डिया" का पर्यायवाची शब्द "भारत" है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) "इण्डिया हाउस" 1930 में जब बना था तभी उसके प्रमुख द्वार के ऊपर संगमरमर पर खोद कर नागरी, रोमन और उर्दू भाषा में "हिन्दुस्थान" लिखा गया था। ऐसा विचार किया जा रहा है कि जब भी इस इमारत के बाहरी हिस्से की मरम्मत हो उस समय "हिन्दुस्तान" के स्थान पर "भारत" लिख दिया जाए और अन्य अप्रचलित अभिलेखों को हटा दिया जाए।

अमरीका के लिए अफ्रीकी-एशियाई शांति दल

2002. श्री राम हरख यादव : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित अमरीकी राजदूत ने इस आशय की इच्छा व्यक्त की है कि एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को अमरीका की कठिनाइयों का हल निकालने के उद्देश्य से अमरीका भेजने के लिए अपना एक शांति दल स्थापित करना चाहिए ;

(ख) किस प्रकार का शांति दल स्थापित किये जाने की इच्छा व्यक्त की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). अमरीकी राजदूतावास के एक प्रकाशन, "अमेरिकन रिपोर्टर" के 9—11—66 के अंक में भारत में संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत ने लिखा था : चूंकि शांति दल दोनों के लिए ही लाभदायक सिद्ध हुआ है इसलिए तथा-कथित "प्रतिवर्ती शांति-दल" की दिलचस्प सम्भावना पैदा हो गई है जिसके अंतर्गत एशिया और अफ्रीका से युवा लोग हमारी कुछ कठिनाइयों को निपटाने में हमारा हाथ बटाने के लिए अमरीका आएंगे।"

यह एक साधारण कथन था और कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है और इसलिए भारत सरकार को कोई प्रतिक्रिया बताने की आवश्यकता नहीं।

परमाणु हथियारों तथा विदेशी नीति सम्बन्धी गोष्ठी

2003. श्री राम हरख यादव : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में परमाणु हथियारों तथा विदेशी नीति सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में किन बातों पर विचार किया गया ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) उद्घाटन सत्र को छोड़ कर संगोष्ठी के अन्य सत्र जनता तथा प्रेस के लिए बन्द थे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Acquisition of Land in Chamraval

2004. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government propose to give any compensation for land to be acquisitioned and requisitioned in Chamraval Village of Meerut District for which a period of more than 6 months has been allowed as given in the notice of requisition;

(b) if not, the time required for the payment of compensation;

(c) whether it is also a fact that the compensation for land acquired of the said village has been given at half the market rate; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) About 180 acres of land from Chamraval village were requisitioned on 18th November, 1964 and acquired on 28th March, 1965. As the persons interested were allowed to tend and harvest the crops, the Competent Authority has not assessed any rent for the short period of 4 months during which the land was held under requisition. The acquisition cost for the land, houses, wells and trees etc. has been assessed by the Competent Authority at Rs. 3.63 lakhs. Out of this amount, a sum of Rs. 2.97 lakhs has already been disbursed to the persons interested. As the remaining persons entitled have not yet come forward, the balance of the amount has not so far been paid.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. The acquisition cost has been assessed on the basis of the market value prevailing on the date of acquisition.

(d) Does not arise.

Road near Hindon Airport

2005. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the construction of Hindon Airport, the road to Farukh Nagar came within the area of the aerodrome and no alternative road to Farukh Nagar has been constructed so far;

(b) whether it is also a fact that the land covered by the Kuccha road from Nistuli to Farukh Nagar is also being included in the airport area and the residents of Farukh Nagar will be deprived of this facility after some time; and

(c) if so, when this road to the said town will be constructed and the reasons for the delay?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir. However, pending construction of a pucca road, a kuccha road has been provided.

(b) The Kaccha road from Nistoli to Farukh Nagar is not included in the airport area.

(c) The work on the construction of the road to Farukh Nagar was started on 14th April, 1966, but was abandoned due to resistance offered by the villagers in regard to the alignment of the road. The work is now in progress and is expected to be completed by the end of February, 1967.

Acquisition of Land in Chamraval Village

2006. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a part of land acquired in Chamraval village in District Meerut was released for agricultural purposes;

(b) if so, the reasons for which this land was given to a contractor belonging to another village instead of the residents of the said village; and

(c) whether Government are making arrangements to give land to the uprooted farmers or their cooperative societies in future as was done in the case of the land requisitioned for Murad Nagar Ordnance Factory?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No portion of the land acquired for the project is available for being leased out. As the full market value is being paid to the land-owners for the lands acquired, the question of grant of alternative lands does not arise.

छिपे नागाओं का आपातकालीन अधिवेशन

2007. **श्री बूजबासी लाल :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम स्वरूप :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छिपे नागाओं की तथाकथित "संसद्" के हाल में हुए तीन दिन के आपातकालीन अधिवेशन की कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को क्या जानकारी है तथा इस सम्बन्ध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कोई अधिकारिक रिपोर्ट सुलभ नहीं है। लेकिन सरकार ने अखबारों की ख़बरें देखी हैं ।

(ख) नागालैंड के बारे में सरकार के विचार सर्वविदित हैं ।

मैसूर में ट्रांसमीटर

2008. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर को दिये गये वर्तमान आकाशवाणी ट्रांसमीटर कमजोर हैं तथा कुछ स्थानों पर रेडियो श्रोताओं को समाचार तथा रेडियो के अन्य कार्यक्रम सुनने में कठिनाई

अनुभव होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में कमजोर ट्रांसमीटरों के स्थान पर शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तथा उनकी लागत क्या होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मैसूर राज्य में निम्नलिखित ट्रांसमीटर हैं :—

1. बंगलोर

1. उच्च शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर ।

2. विविध भारती सेवा के लिए अल्प शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर।

2. धारवाड़

1. मध्यम शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर ।

2. विविध भारती के लिए अल्प शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर।

3. **भद्रावती**—मध्यम शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर ।

4. **गुलवर्गा**—मध्यम शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर ।

इन ट्रांसमीटररों से राज्य की 60 प्रतिशत से ऊपर जन-संख्या और क्षेत्र में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं ।

(ख) और (ग). चौथी योजना के मसौदे में जो अभी मंजूर होनी है, इस राज्य के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त ट्रांसमीटरों की व्यवस्था है :—

1. **मंगलौर**—स्टूडियो और श्रवण केन्द्र की सुविधाओं सहित मध्यम शक्ति का एक मीडिम वेव ट्रांसमीटर। इस पर 33 लाख रुपये खर्च का अनुमान है ।

2. **मरकारा**—स्टुडियो और श्रवण सुविधाओं सहित अल्प शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर । इस पर 13 लाख रुपये खर्च का अनुमान है।

इन योजनाओं को पूरा हो जाने के बाद विजयपुर रायचुर, और वैलरी जिलों के कुछ ही ऐसे क्षेत्र रहेंगे जिनमें कार्यक्रम अच्छी तरह सुनाई नहीं देंगे ।

भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना

2009. श्री बृजबासी लाल :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री राम स्वरूप :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व सैनिकों को त्रिपुरा तथा नेफा में बसाने के लिये दो योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत आवासियों को दी जाने वाली मुख्य सुविधाएं हैं :—

(1) उनके निज के लिए तथा कुटुम्ब के लिए वास्य स्थान से आवास स्थान तक निश्शुल्क परिवहन ।

(2) कृषि, रिहाइश और रसोई उपवन के लिए निश्शुल्क भूमि प्रदान किया जाना ।

(3) आरम्भिक प्रवस्था में निश्शुल्क वास्य स्थान ।

(4) आवास क्षेत्रों में बेसिक सुविधाओं जैसे कि सड़कों, जल-सम्भरण, स्वास्थ्य रक्षा, चिकित्सालय, स्कूलों इत्यादि का निश्शुल्क उपबन्ध ।

(5) निश्शुल्क उपदानों और ऋणों के रूप में मकान बनाने, अपने और कुटुम्ब के लिए पहले वर्षों में पालन पोषण, और घरेलू सामान, कृषि यन्त्रों, पशुओं, बीजों खाद इत्यादि की उपलब्धि के लिए वित्तीय सहायता ।

Pay Scale of Drivers employed in A.I.R.

2010. Shri P. L. Barupal:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the pay scale of the drivers employed in A.I.R. is less than that of the drivers working in other Government Departments;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action Government propose to take in this regard?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) The scales of pay of Motor Drivers in the Subordinate Offices of All India Radio (*viz.*, Rs. 110-139) and of Staff Car Drivers in the Directorate General, All India Radio (*viz.*, Rs. 110-180) are the same as for other comparable organisations of the Government of India.

(b) and (c) Do not arise.

तेहरान में बेलन (रोलिंग) मिल

2010-क. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेहरान में बेलन (रोलिंग) मिल स्थापित करने में उस देश की सहायता करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). जी नहीं। सरकार से सरकार के स्तर पर सहयोग की बात सोची गई है। लेकिन, ईरान में एक इस्पात री-रोलिंग मिल खोलने के बारे में एक फर्म ईरान से बातचीत कर रही है।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ सहयोग

2010-ख. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत-संयुक्त अरब गणराज्य आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग स्थापित करने और औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम आरम्भ करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए सहमत हो गई है; और

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). दिल्ली में त्रिपक्षीय सम्मेलन के बाद, संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान हमारे प्रधान मंत्री की उनसे जो बातचीत हुई थी उसके अनुसार भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के आर्थिक मामलों के मंत्रियों की बैठक दिसम्बर के शुरु में होगी जिसमें वे आर्थिक और तकनीकी सहयोग के विषय पर बातचीत करेंगे तथा उद्योग और टैक्नोलोजी के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की सम्भावनाओं का पता लगाएंगे ।

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

Asia Foundation (America)

2010-C. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) when permission was accorded to Asia Foundation (America) to open its branch in India;

(b) the purpose for which the permission was given;

(c) whether Government examine the annual accounts of income and expenditure of this Foundation;

(d) whether it is a fact that the Foundation was also working in India earlier and Government had forbidden it to function in India; and

(e) if so, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) In 1961.

(b) To facilitate the grant and execution of assistance rendered by the Asia Foundation.

(c) No, Sir. Grants and assistance, however, cannot be offered by the Foundation without the prior consent of Government.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

दिल्ली-लाहौर "हौट लाइन"

2010-घ. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री फिरोडिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था करने के उद्देश्य से दिल्ली तथा लाहौर के बीच एक "हौट लाइन" स्थापित करने का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आया है ; और

(ग) पाकिस्तान उस खर्च में कितनी राशि देगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वण सिंह) :(क) 13/14 सितम्बर 1966 को नई दिल्ली में हुई, भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के दर्मियान बातचीत में टेलीफोन/रेडियाई संचार स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था, ताकि दोनों ओर से किसी प्रकार की गलत-फहमी को दूर करने के लिए, दोनों सेनाध्यक्षों के बीच सम्पर्क सुविधाएं पैदा की जा सकें । भारतीय और इस पर समझौते का उद्देश्य एक तरफ तो दिल्ली और अमृतसर के दर्मियान और तदनु सीमा तक, पी० एंड टी० लाइन के स्पीच सर्कटों का प्रयोग करने से पूरा हो रहा है, और दूसरी तरफ आवश्यकता पड़ने पर रावलपिंडी के साथ सम्पर्क के लिए, स्टेण्डवाई रेडियो-टेलीफोनी सुविधाएं बनाते हुए ।

(ख) जहां तक भारत का सम्बन्ध है किसी प्रकार के संस्थापन के तौर पर, कोई विशेष खर्च अन्तर्ग्रस्त नहीं है, क्योंकि विद्यमान लाइनें और साज़सामान ही इस्तेमाल किया जाएगा ।

(ग) सूचना भारत सरकार के पास प्राप्य नहीं है, और केवल पाकिस्तान सरकार को ही ज्ञात होगी ।

Conference of International Law Association

2010-E. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Dr. M. M. Das:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the subject of 'Sovereignty in air-space' was discussed at the meeting of the International Law Association held recently in Finland;

(b) if so, the opinion of the Indian representative on the subject; and

(c) the conclusions arrived at in the Conference?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) to (c) According to the information available at present it appears that the question of sovereignty in air space was not discussed at the Helsinki Conference of the International Law Association. The full report of the Conference is awaited. As far as could be ascertained, the representatives of the Indian Branch of the International Law Association have not expressed any opinion on the question of sovereignty in air space as the matter was not discussed. According to the information available at present it appears that no conclusion was reached on any topic relating to Air Law. The subject has been referred back to the Committee for further study.

अतारांकित प्रश्न संख्या 5006 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 5006

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): 9 मई, 1966 को लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5006 का उत्तर देते हुए, मैंने सभा-पटल पर एक विवरण रखा था। मैंने विवरण के भाग (ग) में निम्नलिखित बताया था :—

"**3(ग) एम्यूनीशन फैक्टरी कोआप्रेटिव सोसाइटी**

स्वर्गीय पहलो एम्यूनीशन फैक्टरी कोआप्रेटिव सोसाइटी लिमिटेड के एक सदस्य थे और मृत्यु-एवं उपकारी निधि तथा परिवार सहायता निधि के अन्तर्गत उनका परिवार इन निधियों से क्रमश: 500 रुपये तथा 150 रुपये पाने का अधिकारी है । वैध दायाद प्रमाणपत्र के अभाव के कारण इस रकम का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ।"

2. चूंकि इस बीच कुछ और जानकारी प्राप्त हुई है कि अग्रेतर छानबीन करने पर पहले प्रस्तुत किया गया विवरण जो एम्यूनीशन फैक्टरी कोआप्रेटिव सोसाइटी द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था, सही नहीं पाया गया है । स्वर्गीय श्री पहलो एम्यूनीशन फैक्टरी कोआप्रेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य नहीं थे और इसलिये उनका परिवार सोसाइटी की मृत्यु-एवं उपकारी निधि योजना तथा परिवार सहायता निधि के अन्तर्गत किसी भुगतान के लिए पात्र नहीं हैं।

सदस्य की गिरफ्तारी तथा उसकी जमानत पर रिहाई

ARREST OF MEMBER AND HIS RELEASE ON BAIL

अध्यक्ष महोदय : 17 नवम्बर, 1966 को मैंने लोक-सभा के सदस्य, श्री राम सेवक यादव की गिरफ्तारी के बारे में बाराबंकी पुलिस के उप-अधीक्षक का एक तार सभा में पढ़ कर सुनाया था । तदुपरान्त उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुझे बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक से दिनांक 17 नवम्बर, 1966 का एक औपचारिक विस्तृत सन्देश प्राप्त हुआ है । मुझे बाराबंकी के जिला मैजिस्ट्रेट से भी एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें सूचना दी गई है कि उक्त सदस्य को जमानत पर रिहा कर दिया गया है । इन दोनों सन्देशों को आज के लोक-सभा बुलेटिन में प्रकाशित कर दिया जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): Mr. Speaker.....

An hon. Member: How he has come here?

Shri Ram Sewak Yadav: I have been released on parole.

Mr. Speaker, I beg to submit that though the words "Satya Mav Jayatie" have been inscribed on our State emblem, the Government is working just contrary to this motto and that is why there is wide spread unrest. I want to know the reasons of my arrest. I have neither committed a dacoity, nor murder nor any other crime, yet I was arrested by police under Sections 107 and 117 and put in jail. I used to go 13 miles to attend meeting and come back by bus. I was arrested under Section 151 while travelling in a bus. Democracy is being slaughtered in this way and we are being deprived of the service of this House.

Mr. Speaker: You can sue the Government in a court of law. What can I do in this matter?

Shri Madhu Limaye: You can do a great deal, if you so desire.

Shri Ram Sewak Yadav: This House is like a family and if any member of this House does not commit any crime, he should not be arrested. I have got the right to represent my constituency here. I want your protection. If you will not protect me, then who will protect me? Many other Members have also been arrested like me. I want to know how our democracy will function under such circumstances.

Mr. Speaker: Shri Madhu Limaye has stated that I could do, if I so desired. The question is that if the arrest was unjustified then I would impress upon the Home Minister that so far as Members of Parliament are concerned, enough care should be taken in advance so that no injustice is done and no arrest is made unnecessarily.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचन संचालन (संशोधन), नियम 1966 की एक प्रति जो दिनांक 10 नवम्बर 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3450 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7359/66]**

निवारक निरोध अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में सांख्यिकीय सूचना

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं 30 सितम्बर, 1965 से 30 सितम्बर 1966 तक की अवधि के दौरान निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के प्रवर्तन के बारे में सांख्यिकीय सूचना की एक प्रति पुस्तकालय में रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7360/66]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा सभा पटल पर रखे गये दस्तावेजों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

श्री करूर सिंह (लुधियाना) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बहुत देर से आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहले मेरी बात सुनी जानी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय उप-मंत्री ने अभी उन व्यक्तियों की सूची सभा पटल पर रखी है, जिन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। कार्य सूची के अनुसार हम आज लगभग 2·00 अथवा 2·30 बजे निवारक निरोध (जारी रहना) अधिनियम पर विचार करेंगे, परन्तु यह सूची हमें कल प्राप्त होगी। इस विधेयक पर चर्चा आज की जा रही है, तो सूची के कल प्राप्त होने से क्या लाभ होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार कार्य करके सरकार उचित वाद-विवाद से बचना चाहती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : साधारणतया यह विवरण आय-व्ययक सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा जाता है। परन्तु इस वर्ष चूंकि निवारक निरोध (जारी रखना) अधिनियम पर विचार कर रहे हैं, यह विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि सदस्य इसे पढ़ सकें।

अध्यक्ष महोदय : आय-व्ययक सत्र के दौरान सभा-पटल पर रखे जाने वाले विवरण की और बात है। यह विवरण तो सभा-पटल पर इसलिये रखा गया है, क्योंकि इसके सम्बन्ध में एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है मेरा विचार है कि सरकार सदस्यों को आवश्यक जानकारी इसलिए दे रही है, ताकि सदस्य इसका हवाला दे सकें। शिकायत यह है कि जो विवरण आज सभा-पटल पर रखा गया है, उसे कल परिचालित किया जायेगा, जब विधेयक पर आज ही विचार किया जायेगा, तो इसको दो अथवा तीन दिन पहले सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया ताकि सदस्यों को इसे पढ़ने का समय मिल जाता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद भी इस की छपाई पहले नहीं हो सकी। यदि आपकी इच्छा हो तो इस विधेयक को कल ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या हल की प्रतियां अब तैयार हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसकी प्रतियां दोपहर बाद उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसकी प्रतियां अभी उपलब्ध कराई जाती हैं, तो हम दो घण्टे बाद इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम प्रतियां उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे।

प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के बारे नें वक्तव्य

STATEMENT *RE.* PRIME MINISTER'S VISIT TO NEPAL

अध्यक्ष महोदय : श्री चागला वक्तव्य पढ़ें?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : प्रधान मंत्री उपस्थित हैं। वैदेशिक-कार्य मंत्री वक्तव्य

क्यों दे रहे हैं। अब तक यह प्रक्रिया रही है कि जब प्रधान मंत्री किसी देश की यात्रा करते हैं, तो वह स्वयं यहां वक्तव्य देते हैं। अब इस परम्परा को क्यों तोड़ा जा रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मेरे विचार में इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वक्तव्य मैं पढ़ूं अथवा स्वयं प्रधान मंत्री पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, जिन्हें विशेषतया प्रधान मंत्री से पूछा जाये।

सभा नेता (श्री सत्य नारायण सिंह): प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रधान मंत्री उपस्थित हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह वक्तव्य प्रधान मंत्री का है, अतः इसे उन्हें ही पढ़ना चाहिये। यदि वैदेशिक कार्य मंत्री इसे प्रधान मंत्री की ओर से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इस बात को स्पष्ट करना चाहिये। क्या वह इस लिये पढ़ रहे हैं कि प्रधान मंत्री को बोलने में कुछ कठिनाई हो रही है अथवा वह चाहती हैं कि वक्तव्य को वैदेशिक-कार्य मंत्री पढ़े और वह केवल प्रश्नों का उत्तर देंगी। इस बात का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये अथवा क्या कारण है कि इस परम्परा को तोड़ा जा रहा है ?

श्री मु० क० चागला : प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी तथा इसका प्रभुत्व अवश्य ही वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कार्य पर पड़ा है। इसलिये यदि मैं वैदेशिक कार्य मंत्री के रूप में वक्तव्य देता हूं तो यह अनुचित नहीं होगा। वह यात्रा सरकारी थी तथा निजी नहीं थी, इसलिये मेरा वक्तव्य देना न्योचित है। इस वक्तव्य में जहां तक प्रधान मंत्री से सम्बन्धित व्यक्तिगत बातों का सम्बन्ध है, वह उत्तर देने को उपस्थित हैं। नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज के निमंत्रण पर प्रधान मंत्री ने 4 से 7 अक्तूबर 1966 तक काठमांडू की यात्रा की। इस अवसर पर नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज, मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष तथा नेपाल के अन्य प्रमुख व्यक्तियों से विचार-विनिमय करके प्रधान मंत्री को बड़ी प्रसन्नता हुई।

नेपाल यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री का जो हार्दिक स्वागत सत्कार किया उससे प्रधान मंत्री अत्यधिक प्रभावित हुईं; यह वस्तुतः नेपाल के लोगों की भारत और भारत के लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति थी।

भारत और नेपाल के बीच दूर तक फैली सीमा है जो दोनों देशों के लोगों के आवागमन के लिए खुली है, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। हमारे दोनों देशों के वासियों की समान दाय है तथा इतिहास ने और भौलोगिक परिस्थितियों ने और समान संस्कृति एवं परम्पराओं ने हमें दृढ़ सूत्र में बांध रखा है। विगत में जब ऐसे निकट संबंध रहे हों तो हमारे लिए यह स्वाभाविक ही है कि हम अपने बहुत-से समान हितों के लिए अच्छी तरह मिलकर काम करें।

13 वर्ष पहले प्रधान मंत्री जब काठमांडू गई थीं तब से अब तक की अवधि में हुई प्रगति के जो प्रकट और बहुविधचिह्न उन्होंने देखे अथवा जिनके विषय में उन्हें बताया गया उनसे वे अत्यधिक प्रभावित हुईं। हमें इस बात की खुशी है कि भारत इस प्रगति को आगे बढ़ाने में कुछ सहायता दे सका है। महामहिम महाराजाधिराज ने भी प्रधान मंत्री के सम्मुख इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि हाल के वर्षों में भारत की सहायता से चलाई जाने वाली प्रायोजनाओं में तेजी से प्रगति हुई है। प्रधान मंत्री ने इस तरह की एक प्रायोजना का उद्घाटन भी किया था जिसमें हमने दिया है। इस प्रायोजना का नाम है—सुंदरी जल सम्भरण योजना जिससे कि काठमांडू नगर को पानी सप्लाई किया जाता है। हमने नेपाल की जो कुछ भी सहायता की है वह पड़ोसियों के बीच मित्रतापूर्ण सहयोग

की भावना से ही की है। इसी भावना के अनुरूप हमने भारतीय सहायता मिशन का नाम बदल कर भारतीय सहयोग मिशन कर दिया है। हालांकि हमारी अपनी आर्थिक कठिनाइयां है फिर भी, हमने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नेपाल को करीब 40 करोड़ रुपये की सहायता देना निश्चित किया है जो पहले से दुगनी है; हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना नेपाल की वर्तमान पंचवर्षीय योजना के प्राय: साथ-साथ ही चलती है। नेपाल के बहुत से विद्यार्थी और प्रशिक्षार्थी हमारे विश्वविद्यालयों में और तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे हैं। हम इनका और अन्य संपर्कों का स्वागत करते हैं और यह चाहते हैं कि यह दोनों ही ओर से बड़े और सुदृढ़ बनें।

मुझे विश्वास है कि सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि पश्चिमी कोसी नहर और पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर समझौता हो गया है। संबद्ध समझौतों पर हस्ताक्षर करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और आशा है इन्हीं सर्दियों में काम शुरू हो जायेगा।

प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर महाराजाधिराज महेन्द्र और अध्यक्ष थापा के साथ खुल कर और सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल सरकार के अन्य मंत्रियों और अधिकारियों से भी बातचीत की। यह बातचीत अत्यधिक लाभदायक रही और इसके परिणामस्वरूप हमारे दोनों देशों ने एक-दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझा है। हमारी बातचीत से एक बार फिर यह बात स्पष्ट हुई कि अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर हमारे दृष्टिकोण निरंतर समान बने हुए हैं जो कि गुटों से अलग रहने तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित हैं दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता समृद्धि और सामान्य कल्याण में अपनी अभिरुचि की पुन: पुष्टि की। हम खास तौर से इस बात पर सहमत हुए कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से तय किया जाना चाहिए।

व्यापार संबंधी कुछ मसलों पर भी प्रारम्भिक बातचीत हुई। इस बात पर सहमति हुई कि इन मामलों पर बाद में संबद्ध अधिकारियों द्वारा अधिक विस्तार के साथ बातचीत होनी चाहिए। तदनुसार एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही काठमंडू जाने वाला है और मुझे इसमें संदेह नहीं कि इन मामलों पर वे लोग अधिक विस्तार के साथ विचार-विनिमय करेंगे और संतोषजनक ढंग से उनका समाधान निकालें।

काठमांडू के नागरिकों ने प्रधान मंत्री का बड़ा भव्य नागरिक अभिनन्दन किया और प्रधान मंत्री ने नेपाल भारत मैत्री संघ तथा नेपाल के महिला संगठन के समक्ष भाषण किया तथा उनके सदस्यों से भेंट की। काठमांडू के पास में स्थित भक्तपुर की यात्रा के दौरान उन्हें नेपाल की अद्भुत सांस्कृतिक परम्परा देखने का भी सुअवसर मिला जो कि हमारी अपनी परम्पराओं में बिलकुल घुल मिल गई है।

प्रधान मंत्री ने नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज और महामहिम महारानी को भारत आने का निमंत्रण दिया जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।

अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं सदन की मेज पर उस सम्मिलित विज्ञप्ति की एक प्रति रखना चाहूंगा जो कि प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के अंत में जारी की गई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7364/66].

श्री हेम बरुआ (गौहाटी): नेपाल हमारा मित्र देश है और प्रधान मंत्री हमारी बधाई की पात्र हैं कि वह भारत-नेपाल मित्रता को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नेपाल की यात्रा पर गई थीं। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने नेपाल के नेताओं के साथ चीन द्वारा भूतान पर किये

सैनिक जमाव तथा चीन की गतिविधियों के कारण भारत को उत्पन्न हुए खतरे के बारे में बातचीत की थी और यदि हां, तो क्या नेपाल के नेताओं ने उन्हें बताया था कि उनके विचार में चीन भारत पर पुनः हमला नहीं करेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था तथा चीन और पाकिस्तान के गठबन्धन तथा चीनी सैनिक जमाव पर हमने गहरी चिन्ता प्रकट की थी। जहां तक मुझे स्मरण है नेपाली नेताओं ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री हेम बरुआ: मुझे उत्तर का पिछला भाग सुनाई नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री कहती हैं कि जहां तक उन्हें स्मरण है नेपाली सरकार ने ऐसा कोई वक्तव्य जारी नहीं किया, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री हेम बरुआ: उन्होंने ऐसा वक्तव्य जारी नहीं किया है। परन्तु मुझे इस बात की जानकारी है कि नेपाल के राज्य नेताओं ने प्रधान मंत्री से कहा है कि उन का विचार है कि चीन भारत पर पुनः हमला नहीं करे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: उनमें से एक ने अवश्य इस प्रकार की बात कही थी कि नहीं समझते कि निकट भविष्य में भारत पर हमला किया जायेगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी: (मंदसौर) प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के तुरन्त बाद यह समाचार छपा था कि नेपाल और चीन के सम्बन्ध अधिक मित्रतापूर्ण होने जा रहे हैं। क्या बातचीत के दौरान नेपाली नेताओं ने कहा था कि उनके चीन के साथ इतने ही मित्रतापूर्ण संबंध हैं, जितने भारत के साथ ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी: यह तुलना करना कठिन है कि उस के दोनों देशों के साथ कैसे सम्बन्ध है। चीन नेपाल का पड़ोसी देश है और यह स्वाभाविक है कि नेपाल चीन के साथ मित्रता रखना चाहेगा, परन्तु इस से नेपाल के साथ हमारी गहरी मित्रता तथा सांस्कृतिक एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): May I know whether the Prime Minister is aware that a road with bridges etc. has been constructed with Chinese collaboration to connect Tibet and Nepal on which tanks may move and if so, whether she raised this point with Nepal Government that the construction of this road has posed a danger to Nepal as well as to India and if so the reactions of Nepal's Government in this regard?

Shrimati Indira Gandhi: It is not possible for me to give detailed information about our talks here. But as I have already stated we raised all points about Chinese or Pakistan's danger and frank talks were held regarding them.

Shri Madhu Limaye: I am concerned with the construction of that road and not with other talks.

Shrimati Indira Gandhi: It is within our knowledge that a road has been constructed. But we have no information about the nature of that road. The hon. Member has stated that it is tankable.

श्री वासुदवन नायर : (अम्बलपुजा) चूंकि नेपाल के चीन के साथ बहुत मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मत्री ने नेपाली नेताओं से यह जानने का प्रयत्न किया था कि भारत-चीन विवादों के शांतिपूर्ण हल के बारे में अब चीनी नेताओं का क्या रवैया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रश्न का पहला भाग क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : नेपाली नेताओं के अनुमानुसार चीन सरकार का अब क्या रवैया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : चीन के रवैये का हमारी बातचीत में जिक्र नहीं किया गया ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): May I know whether the Prime Minister has felt during her visit to Nepal that the people and Government of Nepal are more anxious to have closer cultural ties than economical and political relations and if so, the new steps, if any, she has taken to see that the cultural relations between India and Nepal are strengthened still further?

Shrimati Indira Gandhi: We are trying to strengthen our relations in all matters. I agree with the hon. Member that our cultural relations should be strengthened still further and we are thinking over this matter.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): Long ago some such families of Bhutan had gone to Nepal, and settled there whose attitude towards Bhutan and India was unfriendly. May I know that in view of our special relations with Bhutan and very close relations with Nepal, the Prime Minister has requested Nepalese Government not to allow such persons to stay there?

Shrimati Indira Gandhi: We cannot interfere in such matters.

उद्योग पर अवमूल्यन के प्रभाव के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* EFFECTS OF DEVALUATION ON INDUSTRY

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है रुपये के अवमूल्यन का एक परिणाम यह हुआ है कि जहां किसी उद्योग ने विलम्बित अदायगी की शर्तों पर 6 जून 1966 से पहले विदेश से पूंजीगत संयंत्र (प्लांट) और मशीनरी का आयात किया था और ऐसी परि-सम्पत्ति की कुल या आंशिक लागत की अदायगी इस तारीख को या इस के बाद की जानी है वहां इस उद्योग को अपनी देयता (लायबिलिटी) की पूर्ति के हेतु, आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए रुपयों के रूप में अतिरिक्त रकम प्राप्त करनी होगी। यही स्थिति उस मामले में भी है जहां "कोई संयंत्र और मशीनरी किसी ऐसे विदेशी ऋण की सहायता से खरीदी गयी है जो 6 जून, 1966 को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बकाया था । आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार उद्योग को, इस अधिनियम के अन्तर्गत, मूल्य ह्रास (डेप्रिसिएशन) और पूंजीगत छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत में, अतिरिक्त रुपया-देयता (रुपयों के रूप में अतिरिक्त देयता) की रकम के बराबर वृद्धि करने की अनुमति नहीं है । मौजूदा कानून के अनुसार, उद्योग को, अपनी कर योग्य आय की संगणना (कम्प्यूटेशन) में अतिरिक्त रुपया-देयता की रकम को घटाने का भी अधिकार नहीं है । इस स्थिति से पैदा होने वाली कठिनाई से उद्योग को राहत देने के लिए सरकार कुछ उपायों के सम्बन्ध में विचार करती रही है । इस कठिनाई को दूर करने का तर्कसंगत और न्यायपूर्ण मार्ग यही होगा कि उद्योग को ऐसी परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत में उतनी रकम बढ़ाने की अनुमति दी जाय

जितनी अतिरिक्त रुपया-देयता में बढ़ी हो, ताकि उद्योग परिसम्पत्ति के उपयोग-काल में ऐसी देयता की कुल राशि को, मूल्यह्रास संबंधी छूट के रूप में पूरा कर सके। तदनुसार, सरकार ने, इस प्रयोजन के लिए अगले उपयुक्त अवसर पर आयकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन पेश करने का निश्चय किया है ।

सरकार के पास इस आशय के अभ्यावेदन आये हैं कि मूल्यह्रास छूट के अलावा, ऐसी परिसम्पत्ति के सम्बन्ध में, पूंजीगत लागत में अतिरिक्त रुपया-देयता की रकम की वृद्धि के हिसाब से विकास सम्बन्धी छूट के लिए भी कटौती की स्वीकृति दी जानी चाहिए। सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर ध्यान से विचार किया है, पर वह अतिरिक्त रुपया-देयता के हिसाब से विकास सम्बन्धी छूट दिये जाने के औचित्य से आश्वस्त नहीं है। इस का कारण यह है कि विकास छूट ऐसी कटौती है जो मौजूदा कानून के अनुसार, उसी साल के लिए अन्तिम रूप से दी जाती है जिस साल परिसम्पत्ति खड़ी की गयी हो या पहले पहल उपयोग में लायी गयी हो; और यह करदाता द्वारा उस साल की परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत के आधार पर दी जाती है न कि अतिरिक्त लागत के आधार पर, जो उसे बाद में, अवमूल्यन जैसी कुछ घटनाओं के कारण देनी पड़ी हो। सरकार को इस सिद्धान्त का त्याग और करने परिसम्पत्ति की बढ़ी हुई लागत पर विकास-छूट देने का कोई औचित्य दिखायी नहीं देता।

ऐसे भी उदाहरण हैं जहां संयंत्र और मशीनरी के अलावा पूंजीगत परिसम्पत्तियां, जैसे कि वैज्ञानिक शोध या परिवार-नियोजन सम्बन्धी उपकरण, पेटेण्ट सम्बन्धी अधिकार और कापी राइट आदि विलम्बित अदायगी की शर्तों के आधार पर या विदेशी ऋणों के रूप में अवमूल्यन की तारीख से पहले विदेशों से प्राप्त की गयीं। आयकर अधिनियम में ऐसी परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास-छूट देने की व्यवस्था नहीं है, पर इस बात की अनुमति है कि इन परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत का परिशोधन, कुछ वर्षों की उल्लिखित अवधि में, लाभ की रकमों से कर दिया जाय। ऐसे मामलों में भी, ऋण-परिशोधन के उद्देश्य से मूल पूंजीगत लागत में, अतिरिक्त रुपया देयता की रकम के अनुसार, वृद्धि करने की अनुमति देने का विचार है।

जिस मामले में किसी करदाता द्वारा कोई पूंजीगत परिसम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेची या अन्तरित की जाती है, वहां उससे होने वाले पूंजीगत लाभ या हानि की संगणना आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिसम्पत्ति के लिए करदाता द्वारा दी गयी मूल पूंजीगत लागत को देखते हुए की जाती है। ऐसे मामलों में, पूंजीगत लाभों अथवा हानियों की संगणना के उद्देश्य से परिसम्पत्ति की मूल लागत में, अतिरिक्त रुपया-देयता की रकम के बराबर—जो अवमूल्यन के कारण करदाता को खर्च करनी पड़ी हो—वृद्धि करने की अनुमति देने का विचार है।

सरकार जो विधान पेश करना चाहती है उस में ये सभी बातें आ जायेंगी।

मुझे आशा है कि जिन उपायों की रूपरेखा मैंने सदन के सामने रखी है उन से उद्योग के उस बोझ को बहुत-कुछ कम किया जा सकेगा, जो अवमूल्यन के कारण रुपयों के रूप में इसकी देयता में वृद्धि हो जाने के कारण इस पर आ पड़ा है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा अनुरोध है कि जब पूर्व सूचना के बिना ऐसे वक्तव्य दिये जायें, तो उनकी प्रतियां हम उपलब्ध कराई जानी चाहियें।

श्री रंगा (चित्तू) : ताकि हम कल प्रश्न पूछ सकें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : इसे परिचालित किया जायेगा, ताकि सदस्य इसे पढ़ सकें।

सभा की कार्यवाही तथा सदस्य के निलम्बन के बारे में

RE. PROCEEDINGS OF THE HOUSE AND SUSPENSION OF MEMBER

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : महोदय, मैं 18 नवम्बर की कार्यवाही के संबंध में एक अथवा दो बातें कहना चाहता हूं।

आपको याद होगा तथा सभा को याद होगा कि आपने एक सदस्य को नाम ले कर पुकारा था और उसके संबंध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये खड़ा हुआ था, परन्तु मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर सभा नेता खड़े हुए तथा उन्होंने उस सदस्य को सभा की सेवाओं से निलम्बन करने का प्रस्ताव रखा। मैं पुन: व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये खड़ा हुआ किन्तु मेरी ओर ध्यान नहीं दिया गया। फिर जब आपने प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा तो मैं उस समय पुन: खड़ा हुआ और मैंने कहा कि सभा की कार्यवाही नियमों के विरुद्ध की जा रही है। इस पर आपने कहा "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता" फिर मैंने इस बात का विरोध किया कि यह एक अनहोनी बात है जो कि कहा जा रहा है कि सभा के नियमों का सभा की कार्यवाही में कोई महत्व नहीं है। फिर आपने उस बात से इंकार कर दिया कि आपने ये शब्द कहे थे। तदुपरान्त कई माननीय सदस्यों ने मेरी बात की पुष्टि की तथा श्री हीरेन मुकर्जी और प्रोफसर रंगा ने मेरी सहायता की। इसके बाद आपने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी परन्तु मैं देखता हूं कि वह सब कार्यवाही सभा की प्रकाशित तथा साइक्लोस्टाइल कार्यवाही में शामिल नहीं है।

जहां तक मुझ स्मरण है इस प्रकार का सम्पादन पहली बार नहीं हुआ है। मुझे किसी ऐसे नियम अथवा जिस किसी अन्य प्राधिकार की जानकारी नहीं है जिस के अन्तर्गत इस प्रकार का सम्पादन किया जाता है।

दूसरी बात मेरे व्यवस्था के प्रश्न से सम्बन्धित है। मैंने यह प्रश्न उठाया था कि इस सभा के सदस्य के निलम्बन संबंधी कार्यवाही अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है तथा हाउस ऑफ कामन्स में भी ऐसी ही परम्परा है। मैंने यह भी कहा था कि सदस्यों के निलम्बन संबंधी प्रक्रिया का नियम संख्या 374 वैसा ही जैसा कि हाउस ऑफ कामन्स में लागू है।

इस बीच मैंने उस नियम को देख लिया है। उसमें दिया हुआ है कि प्रस्ताव रखे जाने के पश्चात् बहस की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही उस प्रस्ताव में कोई संशोधन करने की अनुमति दी जायेगी। उसी के आधार पर आपने मेरे व्यवस्था प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है। परन्तु मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि किसी सदस्य को सभा से निलम्बित करने से पहले अर्ध-न्यायिक कार्यवाही होनी चाहिये और हाउस ऑफ कामन्स में न केवल ऐसी प्रथा ही है अपितु हाउस ऑफ कामन्स के अध्यक्ष ने उस नियम की वैसी परिभाषा की हुई है।

मेरे सामने एक प्रमाण है। यह हाउस ऑफ कामन्स के वर्तमान अध्यक्ष राइट आनरेनेल होरेस किंग का एक लेख है जो अप्रैल 1966 के "पार्लियामेंटेरियन" में प्रकाशित हुआ है। पृष्ठ 130, कालम 2 पर उन के द्वारा इस नियम, नियम 374 की व्याख्या की गई है।

इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि नियम 374 की इस अधिकृत व्याख्या को दृष्टि में रखते हुए न केवल सदस्यों को सभा से तुरन्त निलम्बित करने अपितु उन्हें उनकी अनुपस्थिति में निलम्बित करने तथा ऐसे आरोप लगाकर जिनका नियम 374 से कोई सम्बन्ध नहीं है निलम्बित करने, और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर तक भी न देने की जो प्रथाएं इस सभा में

स्थापित हो गई हैं उन्हें अब, जबकि तीसरी लोक-सभा की अवधि समाप्त होने जा रही है, बन्द कर दिया जाये। मेरा आपसे निवेदन है कि आप 18 नवम्बर के अपने विनिर्णय में परिवर्तन कर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने इन बातों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया—उन्होंने मुझे लिख कर भी भेजा है—हालांकि, मुझे खेद है कि इसके लिये यह उपयुक्त समय नहीं था। जब सभा एक निर्णय ले लेती है, उस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये और यह नहीं कहा जाना चाहिये कि वह गलत निर्णय था और हमें उसे बदलना चाहिये।

उन्होंने मुझे लिखकर भी भेजा है और अभी यहां पर भी पढ़ा है कि हाउस ऑफ कामन्स के वर्तमान अध्यक्ष ने कहा है कि यह एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। परन्तु कौन सा न्यायालय वह कार्यवाही कर सकता है ? हमारा नियम बिलकुल स्पष्ट है। अध्यक्ष ने ही इस सब पर विचार करना है। इस पर बहस नहीं की जा सकती। क्योंकि हमारा नियम इसकी अनुमति नहीं देता। हमारा नियम हाउस ऑफ कामन्स के नियम से नहीं मिलता। हाउस ऑफ कामन्स का नियम तो और भी अधिक व्यापक है। उसमें यह साफ साफ दिया हुआ है कि कोई संशोधन स्थगन प्रस्ताव अथवा वाद-विवाद नहीं होगा। ऐसा ही मैंने किया है। इसलिये मुझे उस प्रथा का इस समय पालन न करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता जो यहां पर चली आ रही है और जो यहां के तथा हाउस ऑफ कामन्स के नियम में दी हुई स्पष्ट परिभाषा के अनुरूप है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि उनकी उपेक्षा की गई है और उन्होंने जो शब्द कहे थे वे कार्यवाही में शामिल नहीं किये गये हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि कोई संपादन नहीं किया जाता है। मुझे पता नहीं था कि कुछ शब्द कार्यवाही में नहीं थे। इसीलिये उन्होंने शिकायत की है कि उनकी उपेक्षा की गई है। उस समय मतदान के लिये घन्टी बजाई जा रही थी और वे जिद्द कर रहे थे कि उन्हें सुना जाये। मैं उनसे निवेदन कर रहा था कि घण्टी बज रही है और कोई बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जा रही है। फिर भी वे अड़े रहे और उन्होंने कुछ शब्द कहे। जब घण्टी बज रही होती है, उस समय कोई बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जाती है। इसीलिये वे शब्द कार्यवाही में शामिल नहीं किये गये।

हालांकि श्री कपूर सिंह को मुझ से शिकायत है परन्तु मुझे खेद है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरी राय में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उन्हें शिकायत का मौका मिले।

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALL ATTENTION NOTICES (QUERY)

Shri Bade (Khargone): Just for guidance I want to elicit your opinion. When I was a Member of the Legislative Assembly, an odjournment motion used to be read out in the House there. Since yesterday, all over the country fasts are being observed, Jagatguru Sankaracharya is fasting. . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस पर किसी और तरह से चर्चा करवा सकते हैं और मैं उनकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। परन्तु वे इस तरह यह विषय नहीं उठा सकते।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने ध्यान दिलाने वाली सूचना को अस्वीकार कर दिया है। परन्तु मेरा निवेदन है कि आपको कम से कम उच्च न्यायालय का निर्णय तो पढ़कर सुना ही देना चाहिये था.

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं इस तरह से इन बातों को उठाने की अनुमति दे दूं तो इनका कभी अन्त नहीं होगा।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना भेजी है और आपको एक पत्र भी लिखकर भेजा है। धारा 107 तथा 117 शक्ति बाह्य घोषित कर दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने गलत बयानी की है। वे शक्ति बाह्य घोषित नहीं किये गये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय स्वयं ही एक वक्तव्य दे दें।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): The High Court here has observed that Sections 107, 117 and 151 are being misused. The National March of students on the 18th November was also stalled, though it was not in any way related to that. Under these circumstances, I want to know why persons are being kept under detention under these sections?

Mr. Speaker: It cannot be raised in this manner. Kindly sit down.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Two people have died in my constituency according to the news published in the *"Indian Nation"*.... *(Interruptions)*. Kindly hear me for a minute. You allow others to speak.

Mr. Speaker: I shall not allow him to proceed like that. Now Bills to be introduced.

Shri Madhu Limaye: Two persons have died of starvation in my constituency one is a girl of 14 and the other a man of 52. The Minister says that they died of old age. Can a girl of 14 be termed an old person? Why a wrong statement is given? My Call Attention Notice has been rejected. Why don't you allow me to speak?

Mr. Speaker: Now, sit down. Bills to be introduced.

श्री मधु लिमये : **

अध्यक्ष महोदय : मैंने बार बार उनसे बैठने के लिये कहा है। अब वे बाहर चले जायें।

श्री मधु लिमये : **

(इसके पश्चात् श्री मधु लिमये सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Madhu Limaye then left the House.)

गोवा, दमण और दीव (अभिमत संग्रह) विधेयक

GOA, DAMAN AND DIU (OPINION POLL) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोवा, दमण और दीव की भावी संस्थिति के विषय में वहां के निर्वाचकों की इच्छा जानने के लिए अभिमत संग्रह तथा तत्संक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यह विधेयक पेश नहीं किया जाना चाहिये । ऐसा करना लोकतंत्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है । चुनावों के दौरान इन सब बातों के आधार पर लोगों से मत मांगे जा सकते हैं । फिर गोवा, दमण और दीव के मामले म इस तरह की भिन्न प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है ।

गोवा विधान सभा पहले ही निर्णय कर चुकी है और उससे सब अवगत हैं । उसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया है । वहां के लोगों पर इस तरह की प्रक्रिया नहीं थोपी जानी चाहिये ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सरकार सोच विचार करके इस निर्णय पर पहुंची है कि लोगों की राय जानने का यही सबसे अच्छा तरीका है । यह निर्णय किये जाने का कारण यह है कि चुनावों में प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होंगे । इसलिये यह विचार किया गया कि चुनावों में शायद इस प्रश्न के बारे में सही निर्णय प्राप्त न हो सके । इसी कारण यह विधेयक लाया गया है । दलों आदि का इसमें कोइ हस्तक्षेप नहीं होगा । अतः वहां के लोगों की राय जानने का यह सब से अच्छा उपाय है ।

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

> "कि गोवा, दमण और दीव की भावी संस्थिति के विषय में वहां के निर्वाचकों की इच्छा जानने के लिए अभिमत संग्रह तथा तत्संक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करते की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

निवारक निरोधक (जारी रहना) विधेयक के बारे में

RE. PREVENTIVE DETENTION (CONTINUANCE) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं आपने कुछ समय पहले निवारक निरोध अधिनियम के कार्यकरण के बारे में जानकारी देने वाले विवरण की प्रतियों के बारे में कुछ कहा था । लोक-सभा सचिवालय को 530 प्रतियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं और माननीय सदस्य उन्हें प्रकाशन काउंटर से ले सकते हैं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर): क्या इसका मतलब यह है कि इस विधेयक पर आज चर्चा की जायेगी ? उस हालत में हमें इस विवरण को पढ़ने के लिये समय दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है उसके लिये उन्हें दो घण्टे का समय दिया जायेगा ।

केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966

KERALA APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य का संचित निधि में

से वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966

KERALA APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"क 31 मार्च , 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक की पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966

KERALA APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

केरल विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1966

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 1966

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेय — — विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : पिछले चार वर्षों में मैंने ले रेलवे मंत्रालय को 268 पत्र लिखे हैं। हालांकि उन शिकायतों के बारे में मैंने ठोस तर्क दिये हैं परन्तु उन सबका एक ही घिसा-पिटा उत्तर दे दिया जाता है जिसे मैं पहले ही जानता हूं। मैं किसी भी शिकायत को, चाहे वह कर्मचारियों के बारे में हो या जनता के बारे में हो दूर कराने में सफल नहीं हुआ हूं।

मैंने राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के संदर्भ में कुछ पत्र भेजे थे। उन सुझावों के उपयोगकर्ता सलाहकार परिषद् के सामने रखे जाने से पहले मुझे संबंधित अधिकारियों से इस आशय के उत्तर प्राप्त हुए हैं कि वे स्वयं यह देखेंगे कि आया किसी विषय को परिषद् के सामने रखा जाये अथवा नहीं। मुझे इस पर बड़ी भारी आपत्ति है। ये अधिकारी निर्णय करने वाले कौन होते हैं ?

मैं ने पिछली बार भी माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया था कि रेलवे के वाणिज्यिक विभागों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों पर 2, 5 अथवा 10 रुपये के नुक्सान के पीछे 10,000, 20,000 और 46,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। यह जुर्माना बहुत ही अधिक है और विश्व में कहीं भी इस तरह की बात देखने अथवा सुनने को नहीं मिलेगी। मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि माननीय सदस्य उन्हें विस्तृत जानकारी देंगे तो वे अवश्य ही उस मामले की जांच करेंगे। मैंने उन्हें वह जानकारी दी। परन्तु उसका परिणाम क्या निकला ? मुझे उत्तर दिया गया कि अनुशासन तथा अपील नियमों के अन्तर्गत उन मामलों की उचित जांच की गई थी। मैं ने यह कभी नहीं कहा कि उनकी जांच नहीं की गई थी। मेरा उद्देश्य तो केवल यह था कि इतना अधिक जुर्माना करना सरासर अन्याय है।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

एक मामले में जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि संबंधित व्यक्ति दोषी नहीं था। जांच अधिकारी ने इस भाषा का प्रयोग किया था :

"इस व्यक्ति के खिलाफ कहानी गढ़ी (मेड अप) गई है ।" पांच वर्ष बाद अन्य कर्ल्क ने उसे "मेड आउट" पढ़ा और उस व्यक्ति को दण्ड दिया गया । वह अधिकारियों के पास गया और कहा "कि मैं ने कोई गलती नहीं की है। मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगाया गया है ।" उसे नौकरी से निकाल दिया गया । वह उच्च न्यायालय में मामला ले गया । परन्तु वहां भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। मैंने कितने ही रेलवे मंत्रियों को उस मामले के बारे में लिखा परन्तु उसकी जांच नहीं की गई । वही घिसापिटा उत्तर दे दिया जाता है ।

हम जो भी शिकायत रेलवे मंत्री को भेजते हैं इसका कोई आधार अवश्य ही होता है।

इसलिये मेरा उन से निवदन है कि सदस्यों द्वारा भेजी जाने वाली शिकायतों की उचित रूप से जांच कराई जाये और उन्हें सही उत्तर भेजा जाये।

श्री स० का० पाटिल : रेलवे बोर्ड में सदस्यों तथा अन्य लोगों से हजारों पत्र आते रहते हैं। उनकी जांच की जाती है । उनके द्वारा बताए गये कुछ मामलों की मुझे जानकारी नहीं है । वे इस सभा के प्रमुख सदस्य हैं और उन के द्वारा भेजे गये पत्रों की अच्छी तरह जांच होनी चाहिये। यदि ऐसी बात थी तो वे मेरे कार्यालय में आ सकते थे। यदि मुझे पता लगा कि कहीं कुछ गलती हुई है तो अवश्य ही न्याय किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

" कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमद सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1—3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1966

APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 4 BILL

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1—3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1966-67 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1963-64—जारी

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1966-67 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1963-64—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य), 1966-67, तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य), 1963,64 पर आगे चर्चा करेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री अपना भाषण जारी रखें ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): On the 7th November as also on the eve of the proposed National March by the students, Delhi was virtually converted into a military cantonment. It seems that Government have lost all confidence in the people and they want to rule over them by the use of force.

The people are in power now used to be welcomed by the people when they used to serve the people. But now the things have come to such a pass that Congress had to hold its session under police protection recently at Muzaffarnagar.

The Government will not be able to hold on for long if it wants to exist on the basis of giving advertisements to newspapers and thus buying their conscience. The Government if it wants to remain in power will have to do certain things which are in the interests of the people.

So far as the subversive activities are concerned no good person will support them. Regarding the incidents of 7th November any right thinking man can say that if all the persons who had gathered in Delhi had mischief in their minds, the things would have been far worse. It appears that certain undesirable elements had crept into the demonstration to vitiate the aim thereof.

The letter of ex-Home Minister, Shri Nanda has created a new situation. Why was the Home Secretary not transferred when the Home wanted him to be transferred. The matter is being hushed up in the name of sub-committee. But in the sub-committee there have to be Prime Minister, Home Minister and the Minister concerned. In this case the Home Minister was the Minister concerned and as such why shield this matter under the guise of sub-committee.

The very fact that an attempt was made to set the house of Congress President on fire is a fit matter for a judicial enquiry. But this is not being done.

The Prime Minister has dubbed the "ban cow slaughter agitation" as a political stunt. This is not proper for the woman who occupies the high office of the Prime Minister of India. If it is political stunt then why the Jagatguru Shankaracharya and Vinoba Bhave accepting it. They have nothing to do with elections.

About student agitation, I think if Government had acted wisely there would have been no cause for frustration for the students. At Gwalior the political stunt. This is not proper for the woman who occupies the high to lodge a report against a police driver who had smashed the wall of their college hostel. At Jammu too the police indulged in firing. At Meerut the police not only maltreated students and teachers but even beat the advocates in Bar room.

In these circumstances does the Government want to remain in power on the basis of lathi-charge and bullets.

Similarly the Government's decision not to let demonstrators come near Parliament House will put an end to democratic traditions.

The fact is that Government is losing control of the administration. The only remedy lies for the Government to rise above party politics and form a national government.

The decision to further vivisect Punjab was bad. Even after the vivisection, Sant Fateh Singh and Master Tara Singh are threatening the Government.

Nobody would object to the grant of Rs. 103 crores for helping the draught affected people of Bihar and M.P. But it is not understood as to why the General Secretary of Congress, Shri Manean has been kept in the committee which will distribute this money. On the eve of elections it is only election propaganda. I want the Government to entrust this work to some good body like the Ramakrishna Mission.

I hope Government will give thought to these suggestions.

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मेरा पहला प्रश्न तो श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये ज़ंज़ीबार से आयात किये लौंग के बारे में है । सभा को पता है कि 1963-64 में ज़ंज़ीबार में उपद्रव होने के कारण हमारे बहुत से नागरिकों को वहां से आना पड़ा । वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों ने यह निर्णय किया कि जितनी लौंग वह लोग वहां से बिना विदेशी मुद्रा दिये ला सकते हैं लानी दी जाये । यह कार्य अवैध नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है । यह बिल्कुल नियमित तथा कानूनी है । उन्हें राज्य व्यापार निगम को उस मूल्य पर बेच दिया गया जो वहां उतरते ही उसका मूल्य है । यह भी निर्णय किया गया कि स्वदेश वापिस आने वाले लोगों के पास 10,000 रु० के मूल्य की लौंग रहने दी जाये तथा बाकी को राज्य व्यापार निगम को बेचना होगा । यह बता दिया जाये कि लौंग का मूल्य यहां 200 से 300 गुना अधिक है और यदि इन चीजों की अनुमति दी जाये तो मुनाफखोरी आरंभ हो जायेगी । परन्तु फिर भी देश में वापिस आये लोग यह कहते रहे कि उनके साथ ज्यादती हुई है ।

[श्री मनुभाई शाह]

जब स्वदेश वापिस आये लोगों ने 1966 में एक और अभ्यावेदन दिया तो सरकार ने उन पर विचार किया और अब नई नीति की घोषणा कर दी है। उसके पश्चात कुछ आयात करने वाले उच्चतम न्यायालय में भी गये परन्तु उच्चतम न्यायालय ने सरकार की नीति को ठीक घोषित कर दिया है। अब भी यदि किसी को कोई कठिनाई है तो वह हमें लिख सकता है।

अब मैं गंधक के प्रश्न पर आता हूं। माननीय सदस्य ने कहा है कि क्योंकि गंधक का व्यापार राज्य व्यापार निगम एक ऐसी फर्म द्वारा करा रही है जिसे उसका कोई अनुभव नहीं है, इस कारण इसमें घाटा पड़ रहा है। यह ठीक नहीं है। यदि वह फर्म व्यापार की शर्त पूरी नहीं करेगी तो उसे दंड दिया जा सकता है। साथ ही जिस फर्म के साथ हमने बात की उनसे सम्बंध रखने वाले गंधक की खान रखते हैं। इसलिये वह वहां से उपलब्ध कर सकते हैं। देश में गंधक की जब कमी हुई तो उस समय सारे संसार में गंधक की कमी थी।

तीसरा प्रश्न मधुसूदन गोवर्धनदास के बारे में है जिसे सदस्य महोदय बार बार दोहरा रहे हैं। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने इस फर्म पर मुकदमा चला दिया है। यह मुकदमा बम्बई की अदालत में चलाया जा रहा है तथा वह अभी जारी है। यह मामला अब न्यायाधीन है। इस कम्पनी ने फाईबर की बजाय यार्न का आयात किया। हमने एक दम उसके सारे गट्ठों को पकड़ लिया। पुलिस ने मामले की जांच की और मुकदमा चलाया गया। यह कार्यवाही श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये इस प्रश्न से पहले ही कर ली गई थी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं इस कम्पनी जिसका नाम मधुसूदन गोवर्धनदास है को नहीं जानता तथा हम उसे किसी स्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस भी अधिकारी पर इस कार्य में उसकी सहायता का आरोप सिद्ध होगा उसे कानून के अनुसार सज़ा दी जायेगा।

इस प्रकार के आरोपों से देश की बदनामी होती है। इसलिये ऐसे मत कहो कि यहां भ्रष्टाचार है।

इसके अतिरिक्त सदस्य महोदय मेरे लिये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पास बहुत धन है। उस संदर्भ में मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। 1 नवम्बर, 1966 को मैं 51 वर्ष का हो गया हूं। हमें प्रति वर्ष प्रधान मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष तथा गृह कार्य मंत्री को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है और कोई भी उसे जाकर देख सकता है। मेरी कोई सम्पत्ति नहीं है। कहीं कोई शेयर नहीं है, सिवाय साधारण ज़ेवरों के कोई ज़ेवर नहीं है। मेरा 12 वर्ष के निजी जीवन तथा 18 वर्ष के सार्वजनिक जीवन के पश्चात बैंक में कुल 48,000 रु० जमा है जोई बचत सर्टिफिकेट तथा फिक्स्ड डिपाज़िट के रूप में है। मैं खुली चुनौती देता हूं कि इसके अतिरिक्त कोई और धन मेरे नाम पर सिद्ध कर दे।

मैं उद्योग तथा वाणिज्य में बहुत लोगों को जानता हूं परन्तु मैं चुनौती देता हूं कि मेरे विरुद्ध एक भी व्यक्ति पेश करे जो कहे कि मैंने उस से कोई धन अथवा कोई भेंट स्वीकार की हो।

मेरे विरुद्ध यह भी आरोप लगाया जाता है कि मेरा विदेशों में धन जमा है। परन्तु यह कहना बिल्कुल निराधार है। मेरा किसी विदेशी बैंक अथवा कम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं बचपन से गांधी जी तथा विशाल कांग्रेस संस्था से प्रभावित हुआ हूं और उसका एक साधारण सदस्य हूं। मझे विश्वास है कि मेरे इस व्यक्तिगत वक्तव्य से इस देश के सार्वजनिक जीवन को शक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी सदस्य महोदय को मेरे अथवा मेरे किसी अधि-

कारी के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो वह मुझे लिख सकता है। मैं उस पर सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम सार्वजनिक जीवन की उच्चतम प्रतिष्ठा को बनाये रखेंगे तथा देश की एकता, व्यापार, वाणिज्य और विकास को इस प्रकार बांटेंगे जिस से देश के करोड़ों लोगों को जहां तक संभव हो समान भाग मिले।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि एक सदस्य ने आरोप लगाया है तथा मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दिया है। ऐसे अवसर पर यदि आरोप लगाने वाला सदस्य गलत सिद्ध हो जाये तो क्या आप उस से क्षमा मांगने को कहेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): I want to rise on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुन रहा हूं।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I support the supplementary demands.

Famine conditions are prevailing in various parts of the country particularly in eastern parts of Uttar Pradesh and Bihar. It is a matter of grave concern. Assistance being given to these draught affected areas by the Centre and State Governments is not sufficient. Late Jawaharlal Nehru appointed a Patel Committee to see how the various districts of eastern U.P. can be developed. That Committee gave its recommendations. But now the recommendations of that Committee are not being implemented because Central Government have stopped giving aid. All the development works are now at standstill.

So far as traffic is concerned there is a need to construct many bridges in the various districts. Had the recommendations of the Patel Committee been implemented in full there would not have been such a serious situation as was prevailing now. These districts are very backward. Something significant should be done to improve the conditions. Much has not been done during the last three Five Year Plans. If separate zones are formed for separate States then the food situation in Uttar Pradesh will become more serious as they will not be able to get foodgrains from Punjab. Central Government should immediately sanction fifty crores of rupees and 25 lakh tons of foodgrains for Uttar Pradesh. Keeping in view the seriousness of the situation Government should consider the demands of Uttar Pradesh sympathetically.

Irrigation facilities are not available in these districts. If the facilities are provided, production can be increased. Some short-term and long-term arrangement should be made to provide irrigation facilities to these districts.

One reason of the backwardness of this area is that no industry has been established there. It is absolutely necessary to establish industries for promoting economic welfare. Electricity should also be made available so that industries could be established there.

Central Government should implement the recommendations of the Patel Committee and this work should not be left to the State Government.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : यह बताया गया है कि अवमूल्यन के पश्चात् संभावित बढ़े हुए निर्यातों के कारण, निर्यात शुल्क से 394 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। परन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल में अवमूल्यन से संभावित लाभ अथवा हानि के बारे में विभेद है। परन्तु इसके

[श्री अल्वारेस]

बावजूद मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि अवमूल्यन से निर्यात बढ़ाने के सिद्धान्त का भण्डाफोड़ हो चुका है। फिर भी हमारी सरकार अवमूल्यन के दबाव में आई जिसका परिणाम यह हुआ कि न तो निर्यात ही बढ़ा है और न ही सामान्यतया प्राप्त होने वाले लाभ ही हुए हैं। अब जो वक्तव्य जारी किया गया है उससे पता लगता है कि जुलाई के महीने में निर्यात में 49 करोड़ रुपये की कमी हुई है। जिस किसी क्षेत्र में भी सरकार को निर्यात बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी उन क्षेत्रों में अब भी निर्यात बढ़ाने की सम्भावना कम दिखाई देती है। ऐसी परिस्थितियों में मैं नहीं जानता कि सरकार किस प्रकार यह आशा करती है कि निर्यात शुल्क से अतिरिक्त व्यय की क्षतिपूर्ति होगी।

आंकड़ों से यह सिद्ध किया जा सकता है कि जिन देशों के ब्रिटिश के साथ व्यापारिक सम्बन्ध हैं उनको यूरोप के अन्य देशों के साथ निर्यात को भारी धक्का लगा है। इसलिये निर्यात को बढ़ाने के लिये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से व्यापारिक सम्बन्धों को समाप्त करना आवश्यक है अथवा कम से कम हमें यूरोपीय साझे बाजार में स्वतंत्र रूप से शामिल होना चाहिए ताकि स्वतंत्र व्यापार करने का लाभ हो सके।

मैंने पहले भी लोगों पर पर्याप्त मात्रा में कर लगाने तथा रक्षित सोना निकालने में सरकार की असमर्थता का उल्लेख किया था। भुगतान की देनदारियों के बकाया का केवल दो ही तरीकों से भुगतान किया जा सकता है। एक तो परिवर्तनीय मुद्रा से तथा निर्यात को बढ़ाकर। परन्तु विकास कर रहे देश उन देशों में अधिक मुद्रा नहीं अर्जित कर रहे क्योंकि विकसित देशों से उनका आयात अधिक होता है। इसलिये सरकार को परिवर्तनीय मुद्रा वाले क्षेत्रों को निर्यात करना चाहिए अथवा सरकार को स्वर्ण के निर्यात का प्रयत्न करना चाहिए। सोना देश में उपलब्ध है। स्वर्ण नियन्त्रण नियमों में ढील देने के बजाय यदि सरकार विदेशी मुद्रा के भुगतान के लिए केवल स्वर्ण के संसाधन जुटाती है तो मुझे विश्वास है कि हमारी कठिनाइयां इतना गम्भीर रूप धारण नहीं करतीं।

राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों के ओटावा के सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय रक्षित मुद्रा कोष की स्थापना का सुझाव दिया गया था ताकि विकास कर रहे देशों की अन्तर्राष्ट्रीय दिवालियेपन से सम्बन्धित समस्याओं को हल किया जा सके। यह समस्या विकासशील सभी देशों के समक्ष है। सभी विकासशील देशों को निर्यात से अधिक आयात करना पड़ रहा है। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय रक्षित मुद्रा कोष की स्थापना द्वारा मुद्रा सुधार के प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा भुगतान शेष के दायित्वों के भुगतान के लिये सरकार को साधन उपलब्ध होना कठिन है।

पिछले दिनों में देश में विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। हमने पहले कई बार चेतावनी दी थी और अब भी कहते हैं कि यदि कानून को उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। यह सब गड़बड़ी प्रधान मंत्री के चुनाव से आरम्भ हुई क्योंकि उनके चुनाव में संसद् सदस्यों और अधिक राज्यों के मुख्य मंत्रियों का हाथ था। मेरा सुझाव है कि आपात की स्थिति के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का मत जानने के लिए सरकार को एक उच्च अधिकार आयोग नियुक्त करना चाहिए जो देश में लोक-व्यवस्था के भंग होने के कारणों की जांच कर सके तथा सिफारिशों को जिससे लोक व्यवस्था के विषय को एक समवर्ती विषय बनाया जा सके ताकि आपातकाल में, जबकि राज्य कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफल रहे, केन्द्र हस्तक्षेप करके विधि व्यवस्था बनाये रखे।

श्रीमती रेणका राय (मालदा) : ऐसा कहा गया है कि बजट में जो राशि रखी गई है उसमें से 394 करोड़ रुपये निर्यात शुल्कों से प्राप्त किये जायेंगे। कुछ राज्यों में आपात की जो स्थिति उत्पन्न

हो गई है इसलिये 210 करोड़ रुपये बहुत ही आवश्यक हैं। इनम से 90 करोड़ रुपये मुख्यतया सूती कपड़े के मिलों तथा सरकारी उपक्रमों की सहायता के लिये दिये जायेंगे।

ब्रिटेन में अवमूल्यन को रोकने के लिये कार्यवाही की गई है। इससे उनको कुछ लाभ हुआ है। अवमूल्यन के समय कहा गया था कि भुगतान शेष की स्थिति में सुधार करने के लिये निर्यात बढ़ाकर तथा आयात को उदार कर हम अनेक कार्य करने वाले हैं। परन्तु आयात को उदार करने में पर्याप्त समय लग गया है परन्तु इस बारे में कोई नहीं जानता कि निर्यात में कब वृद्धि होगी। देश को आर्थिक संकट का सामना है इसलिये सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

राज्य सरकारों से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे व्यय में बचत करेंगी जब कि केन्द्रीय सरकार ने स्वयं इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। यह बड़ दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में भी हम बड़े बड़े भवनों के निर्माण पर रुपया खर्च कर रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना देखने से भी यही पता लगता है कि उसका आधा धन भवनों के निर्माण पर व्यय होगा हमें ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए जिससे भवनों तथा अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च कम हो और विकास कार्यों पर अधिक।

हमारे नेताओं महात्मा गांधी तथा पं० जवाहरलाल नेहरू ने हमें अन्धकार से निकाल कर आधुनिक संसार में ला खड़ा किया है। परन्तु हम फिर वही पिछड़ेपन की बातें कर रहे हैं। राज्यों तथा उनकी जनता की इच्छाओं के विपरीत हमें गोवध पर पूर्ण रोक नहीं लगानी चाहिए। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने तो कई बार अपने भाषण में कहा है कि आदिकाल में भारत में लोग गोमांस खाते थे अब भी जो लोग ऐसा करते हैं हमें उनको मना नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना है कि दूध देने वाली गायों का वध न हो। सरकार को 7 तारीख की घटनाओं की ओर देखकर विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहिए।

यह संतोष की बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल राज्य के कुछ भागों में सहायता के लिये कुछ धनराशि अलग रख दी गई है। कृषकों को कुओं आदि के लिये धन दिया जा रहा है। परन्तु इसको पाने के लिये एक लम्बी प्रक्रिया रखी गई है इससे किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक अधिक व्यावहारिक रवैया यह होगा कि यदि सरकार किसानों के लिए कुओं की व्यवस्था कर दे और फसल तैयार हो जाने पर उनसे अंशदान के लिए कहे।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): I want to say something about the family planning. This loop system which has been propagated so much, has been declared harmful for the health of women by many doctors. The whole planning is wrong. Government should not ask the people to use loop and should also not propagate it. On the other hand I would suggest that people above 45 years of age should be sterilized. It is impossible to check the growth in population with the present planning.

So far as food production is concerned, I would say that Government should pay more attention to the scientific use of indigenous organic manure which is available in the country in sufficient quantity instead of importing fertilizer from abroad. In this way we will also be able to save valuable foreign exchange.

So far as Home Ministry is concerned, it has failed miserably to maintain law and order in the country. Important M.P. are being arrested indiscriminately under Sections 107 and 151 and they are being asked to furnish bail for fifty thousand of rupees. Such things will not help in improving

[Shri Kashi Ram Gupta]

the situation. On the other hand more power is being given to State Chief Ministers. They have played significant role in the election of Prime Minister.

So far as demand of a ban on cow slaughter is concerned, it has no connection with the religion. In this regard there is a provision in the Constitution. It is a case of animal preservation. Congress rule is prevailing in all the States. So, they can be directed in this direction easily. I would request the Home Ministry to reconsider his policies.

श्री त्यागी (देहरादून): मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार पर यह जोर दुंगा कि वह व्यय में प्रभावशाली ढंग से कमी करे। यह सच है कि प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि हुई है परन्तु उसके साथ साथ सिविल व्यय भी बढ़ा है। हमें ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि जिस से कि हम व्यय में बचत कर सकें।

विदेशी ऋणों का बोझ बढ़ रहा है। जब मैं लोक लेखा समिति का सभापति था तो एकमत से यह सिफारिश की गई थी कि सरकार सभा की मंजूरी के बिना ऋण लेने की हकदार नहीं है। जब सरकार सभा की मंजूरी के बिना कर नहीं लगा सकती, एक पैसा व्यय नहीं कर सकती तो वह ऋण किस प्रकार ले सकती है। इसलिए भविष्य में विदेशों से ऋण लेने से पूर्व सरकार को सभा से मंजूरी लेनी चाहिए।

दैनिक व्यय में कमी करने के लिये सरकार को विरोधी दलों के नेताओं तथा अपने महत्वपूर्ण सदस्यों की एक बैठक बुलानी चाहिए। अवमूल्यन के पश्चात् ऐसा कहा गया था कि सरकार स्थिति का मुकाबला करने के लिए उपाय करेगी परन्तु सभा नहीं जानती कि क्या उपाय किये गये हैं।

समस्त कठिनाई उस समय शुरू हुई थी जब व्यय पर नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण किया गया था। हमारे साथी श्री देशमुख इसके पक्ष में नहीं थे। जब से व्यय पर नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण हुआ हैं तभी से अधिक व्यय भी होना शुरू हो गया है। मेरा सुझाव है कि हमें पुरानी प्रणाली अर्थात् व्यय पर नियंत्रण का केन्द्रीकरण कर देना चाहिये। और स्थायी वित्त समिति बनानी चाहिए।

चाय, पटसन, तथा कपास का निर्यात पर्याप्त मात्रा में कम हो रहा है। केवल पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात में 20 करोड़ रुपये की कमी हो चुकी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कच्चे माल के आयात के लिए लोगों को अधिक प्रेरणा दी जानी चाहिए ताकि वे माल तैयार कर के निर्यात को बढ़ा सकें।

एक वर्ष में सतर्कता आयोग पर 70 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। वहां हजारों अधिकारी तथा अन्य लोग प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं। इस प्रकार उन के वेतन में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार धन के मामले में विरोधी दल के भी अनुभवी सदस्यों को अपने विश्वास में ले ले।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों ने जो अनेक लाभदायक बातें कहीं उन के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उठाई गई सभी बातों का यहां इस समय उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है फिर भी उनको ध्यान में रखूंगा। श्री त्यागी ने वित्तीय नियंत्रण के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न उठाया है। ऐसा सभा तथा सभा से बाहर लोगों की ज़ोरदार मांग को देखते हुए किया गया था। श्री त्यागी ने कहा है कि हमें पुरानी

प्रणाली अपनानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका स्वागत करता हूं। यह आवश्यक है कि हम व्यय पर नियंत्रण रखें विशेषकर गैर-परियोजना व्यय पर, परन्तु ऐसा करना कोई आसान बात नहीं है ।

हमने कुछ उपाय किये हैं, सरकार ने चालू वर्ष के स्वीकृत आय व्ययक में 91 करोड़ रुपये की मितव्ययता की है । इस बारे में मंत्रालय-वार एक विवरण सभा के समक्ष पहले ही पेश किया जा चुका हैं । बचत करने के सम्बन्ध में हम ने अब तक जो कुछ भी किया है उस से हमें सन्तोष नहीं है। सरकार और अधिक मितव्ययता करना चाहती है । मितव्ययता तथा बचत करने की अत्यधिक आवश्यकता है और आवश्यक बचत करने के लिए सरकार को माननीय सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है।

बचत की उक्त राशि के अतिरिक्त मितव्ययता के सम्बन्ध में दीर्घकालीन उपायों से सम्बन्धित कुछ बातों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा हैं । उन में से कुछ उपायों का मैं इस समय उल्लेख करता हूं । कर्मचारी निरीक्षण एकक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अध्ययन क्षेत्र को और विस्तृत किया जायेगा तथा उनकी सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित किया जायेगा। आदेश जारी किये गये हैं कि उन पदों पर, जो कि छः महीने अथवा उस से अधिक अवधि से खाली पड़े हैं अथवा जो भविष्य में रिक्त होने वाले हैं, तब तक नियुक्तियां न की जायें, जब तक कि 3 प्रतिशत कमी का लक्ष्य पूरा न हो जाये। सरकार गोदामों, माल-भण्डारों, छात्रवृतियों तथा सिविल निर्माण-कार्यों पर होने वाले खर्च में भी कमी करने के उपायों पर विचार कर रही है। फर्नीचर, यात्रा भत्ते, आदि जैसे विविध प्रकार के व्यय को भी नियंत्रित किया जा रहा है । ऐसे क्षेत्रों पर जहां कि बचत संभव है, ध्यान दिया जा रहा है और आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की व्यवस्था करने तथा तत्सम्बन्धी प्रक्रिया के लिए स्थायी संगठन बना दिये गये हैं।

जुलाई, 1966 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिस में कुछ मुख्य-मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था जिन में से एक विषय राज्यों के व्यय में मितव्ययता करना भी था । उन्हें राजस्व के अन्तर्गत 3 प्रतिशत पूंजीगत व्यय में 5 प्रतिशत और सिविल निर्माण कार्यों में 15 प्रतिशत की बचत करने की सलाह दी गई है। जैसा कि मैंने 3 नवम्बर, 1966 को इस सभा में बताया था, 9 राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि उन्होंने 1966-67 में 37 करोड़ रुपये की बचत की है ।

जहां तक पांडीचेरी में प्रशासनिक खर्च का सम्बन्ध है, गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक को इस मामले में प्रतिवेदन देने को कहा गया था। उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और सरकार ने इस एकक के सुझावों को मान लिया है और स्थानीय प्रशासन से उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है । जहां तक मितव्ययता के सामान्य पहलुओं का सम्बन्ध है, श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा उठाये गये कुछ विशिष्ट मामलों के बारे में वित्त मंत्री एक वक्तव्य देने के लिए सहमत हो चुके हैं।

यह कहना ठीक नहीं है कि कृषकों की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी नहीं की जा रही हैं। कृषि के लिए सहकारी ऋण जो 1951 में 70 करोड़ रूपये था, वह 1964 में बढ़कर 510 करोड़ रुपये हो गया था । फसल ऋण प्रणाली, जिसके अन्तर्गत किसान को उसकी कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण दिया जाता है, की क्रियान्विति से सभी राज्यों में कृषकों को ऋण

[श्री ल० न० मिश्र]

की और अधिक सुविधाएं दी गई हैं और इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक ने विशेष ऋण सीमा की मंजूरी दी है। सरकार उन राज्यों में, जहां सहकारी ऋण व्यवस्था कमजोर है, कृषि ऋण निगमों की स्थापना करने का विचार कर रही है। इन उपायों से कृषकों की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair*)

श्री सरजू पाण्डेय ने कुओं से पानी निकालने के लिए विद्युत् शक्ति की सप्लाई करने की और अधिक अच्छी व्यवस्था करने का प्रश्न उठाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में यह एक वास्तविक समस्या है। भारत सरकार राज्यों को उनके ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए ऋण मंजूर करते आ रही है जो पहली पंचवर्षीय योजना से तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक 27 करोड़ से बढ़ कर 105 करोड़ रुपये तक हो गई है। सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए योजना में व्यवस्थित धन के अतिरिक्त तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में 11.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि अधिकाधिक कृषि पम्पों के लगाने के सम्बन्ध में नियत की गई थी। इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में 1966–67 के लिए 39.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ और पम्पों तथा नल कूपों को लगाने के लिए भी कुछ और अधिक धन नियत किया जायेगा। सूखाग्रस्त क्षेत्रों, विशेषत: पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में और अधिक पम्प लगाने के लिए क्रमश: 6 करोड़ तथा 3 करोड़ रुपये मंजूर करने का निर्णय किया जा चुका है।

श्री पैं० वैंकटासुब्बया ने नागार्जुन सागर परियोजना के लिए धन की कमी का प्रश्न उठाया है। नागार्जुन सागर परियोजना पर कुल खर्च 149.53 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस परियोजना के लिए योजना में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। 1964–65 के दौरान, , इस परियोजना पर तेजी से काम करने के विषय पर विचार किया गया था और 1964–65 और 1965–66 में क्रमश: 4 करोड़ तथा दस करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। 1966–67 के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य योजना में 8.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। अगस्त, 1966 में राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया कि चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता दी जाये, राज्य सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि चालू वर्ष में 4 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता दी जाये। यह सहायता उस 8.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त थी जिसकी इस परियोजना के लिए आरम्भ में व्यवस्था की गई थी। अत: यह शिकायत करना न्यायसंगत नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को सहायता नहीं दे रही है।

वित्त मंत्री के विरुद्ध श्री मधु लिमये ने जो आरोप लगाये हैं, वे . . .

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री की ओर से उप वित्त मंत्री उत्तर दे रहे हैं जो आपत्तिजनक है। श्री मधु लिमये सभा में नहीं हैं और वह इस सम्बन्ध में कुछ दस्तावेज पेश करना चाहते थे, अत: वित्त मंत्री को श्री मनुभाई शाह की भांति व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहिए जब श्री लिमये भी सभा में मौजूद हों।

Shri R. S. Pandey (Guna): Sir, on a point of order we see that charges against the Ministers are levelled now and then by the opposition which create misunderstanding and wrong impression in the public and spoil the image of the Government even after they are refuted as baseless and false.

In such cases, we should have some way out and procedure in the House to give protection and save the persons concerned from character assassination in cases where such baseless, false and malicious charges are made by the Members.

Mr. Speaker: The House has every right to take action against a Member who makes false, baseless and malicious charges against a Minister or any other Member in this House. In such cases, the Member concerned can be asked to produce documents in support of the allegations that he has levelled. These documents can be placed before the House after the Speaker has examined them. The House can, if it deems necessary, appoint a committee to go into the matter or it can give its decision if it so desires. The House can give stringent punishment to any Member who makes allegations without sufficient grounds therefor and in an irresponsible manner.

श्री ल० ना० मिश्र: अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा था कि वित्त मंत्री पर जो आरोप लगाये गये हैं वे निराधार और सरासर झूठे हैं। प्रवर्तन निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी मुदड़ा अथवा श्रीमती मुदड़ा के मकान पर छापा मारने या उसकी तलाशी लेने के लिये कोई अनुरोध नहीं किया गया था। यह आरोप भी सर्वथा गलत एवं झूठ है कि प्रवर्तन निदेशक की सेवावधि इसलिए नहीं बढ़ाई गई कि वह श्री तथा श्रीमती मुदड़ा के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करना चाहते थे और उन्होंने उनके (श्री तथा श्रीमती मूंदड़ा) के मकानों की तलाशी लेने का सुझाव दिया था।

प्रत्यक्ष करों के बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। ऐसा कहा गया है कि वह भ्रष्ट व्यक्ति है और उनके सेवा-काल की अवधि बढ़ाई जा रही है। यह नितान्त अनुचित है। ऐसी कोई बात नहीं है जिस से यह सिद्ध हो कि वह भ्रष्ट हैं; मैं केवल यही कह सकता हूं कि सदस्य, श्री मधु लिमये द्वारा लगाये गये आरोप किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966–67 के लिये सामान्य, आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for Supplementary Grants in respect of Budget (General) for 1966-67 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
2	विदेशी व्यापार . .	24,00,00,000
16	वैदेशिक कार्य	67,00,000
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	
41	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय .	5,60,000
52	दिल्ली	5,00,000
52-क	चन्डीगढ़	1,67,25,000
53	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . . .	24,25,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
72	श्रम और नियोजन	1,000
84	सम्भरण और निपटान	43,19,000
	परमाणु शक्ति विभाग	
99	परमाणु शक्ति गवेषणा	43,00,000
	लोक सभा	
110	लोक सभा का अन्य राजस्व व्यय	25,000
117	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	2,54,65,000
119	कोलार की सोने की खानों का पूंजी परिव्यय	28,47,000
123	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	1,07,00,00,000
125	अन्न की खरीद	2,09,56,00,000
126	खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,00,69,88,000
128	गृह मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,26,88,000
129	उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,000
133	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	4,43,41,000
144	परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	5,00,00,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1963–64 के लिये सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands for Excess Grants in respect of Budget (General) for 1963-64 were put and adopted!

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
4	कार्मशियल इन्टेलीजेंस तथा अंक संकलन	1,66,390
6	सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय	45,814
7	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता	1,22,890
9	रक्षा सेवायें—सक्रिय	4,44,24,363
21	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	4,253
26	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	13,00,578

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
28	स्टाम्प .	5,48,807
37	आयोजना आयोग . . .	28,124
42	कृषि	10,93,725
72	खानों का मुख्य निरीक्षक . . .	1,985
80	खान तथा ईंधन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1,02,26,244
82	पुरातत्व	58,271
92	केन्द्रीय सड़क निधि . .	2,69,449
93	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) . . .	15,82,479
96	उड्डयन . . .	48,32,006
97	समुद्रपारीय संचार सेवा . . .	31,457
102	लोक निर्माण कार्य . . .	66,66,188
124	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	9,344
139	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	70,17,185
145	दिल्ली पूंजी परिव्यय	12,74,701

निवारक निरोध (जारी रहना) विधेयक

PREVENTIVE DETENTION (CONTINUENCE) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि निवारक निरोध अधिनियम, 1950 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

निवारक निरोधक अधिनियम, को केवल कानून की एक रूपता के लिए ही नहीं अपितु कानून तथा व्यवस्था और अन्य आवश्यक हालातों को, जो कि लोकतंत्र में स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, बनाये रखने के लिए जारी रखना जरूरी है । निवारक निरोध का सिद्धान्त स्वतः संविधान में स्वीकार किया गया है क्योंकि उसके अनुच्छेद .22 में निश्चित रूप से इसका उल्लेख है और वास्तव में 1950 का यह अधिनियम देश के सामान्य कानून का एक अंग बन चुका है ।

इस अधिनियम की अवधि को समय-समय पर बढ़ाना व्यावहारतः एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है । पिछली बार इसे 1963 में संशोधित किया गया था और उस समय इस सभा ने इसकी अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई थी । तीन वर्ष की अवधि इस वर्ष के अन्त में समाप्त

हो जाती है और इसलिए, प्रस्तुत विधेयक द्वारा इस अधिनियम की अवधि को अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने की व्यवस्था है। प्रस्तावित इस अवधि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया है।

चालू वर्ष के आरम्भ में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि भारत सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग पहले की भांति आगे हर किसी जगह नहीं किया जायेगा परन्तु यदि किसी स्थिति में निवारक निरोध अधिनियम को लागू करना आवश्यक हो जाये, तो सरकार ऐसा करेगी। अतः इस कानून को बनाये रखना बहुत जरूरी है।

जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, निवारक निरोध के सिद्धान्त को स्वतः संविधान में स्वीकार किया गया है और इसकी केवल आपात की स्थितियों में ही नहीं अपितु सामान्य स्थितियों में भी आवश्यकता पड़ती है। अतः यह देश के सामान्य कानून का एक अंग है। 'इस कारण मैं सिफारिश करता हूं :—कि सभा प्रस्तुत विधेयक को स्वीकार करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि निवारक निरोध अधिनियम, 1950 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को, उस पर 30 नवम्बर, 1966 तक जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

श्री विश्वनाथ पाण्डेय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को, उस पर 2 दिसम्बर, 1966 तक जनमत जानने के लिए, परिचालित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : ये संशोधन अब सभा के सामने हैं।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं अपने दल की ओर से प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं।

हमारे लोकतंत्र में कुछ दोषों के बावजूद भी, पड़ोसी देशों की जिन परिस्थितियों के असर से हम गुजरते हैं, उसे देखते हुए हम महसूस करते हैं कि बहुत हद तक हमरा प्रयत्न बुरा नहीं रहा। हम तानाशाही प्रणालियों से घिरे हुए हैं। फिर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के मामले में हमारा रिकार्ड अन्य कई देशों की अपेक्षा कहीं अच्छा है। किन्तु हमारे यहां जो दोष मौजूद हैं, उनमें सबसे बड़ा दोष निवारक निरोध अधिनियम है और इसका जारी रहना एक स्थायी कलंक है।

ऐसा अधिनियम किसी लोकतंत्र का एक सामान्य अंग नहीं बन सकता। इस अधिनयम की पृष्ठभूमि बहुत स्पष्ट है। यह अधिनियम 25 फरवरी, 1950 को अत्यधिक असामान्य

परिस्थितियों में केवल एक साल के लिए परिनियम पुस्तक (स्टैट्यूट-बुक) में रखा गया था और तथ्य यह है कि सरदार पटेल ने उस अवसर पर यह स्वीकार किया था कि यह कानून जल्दी में बनाया गया है और असामान्य है तथा हमारे संवैधानिक कानून का सामान्य अंग नहीं है। उक्त अधिनियम पर चर्चा के दौरान मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उद्देश्य उल्लेख करते हुए वह इस बात की जांच करने के लिए सहमत हो गए थे कि क्या इसके स्थान पर कोई अधिक स्थायी तथा व्यावहारिक कानून बनाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश सरदार पटेल के अच्छे इरादों के बावजूद भी यह असामान्य कानून आज सामान्य बन गया है जो हमारे लोकतंत्र तथा सरकार पर एक कलंक है।

सरकार ने इस अधिनियम का बहुत ही दुरुपयोग किया है । इस कानून का प्रयोग वहां भी धड़ाके से किया गया जहां कि छोटे-मोटे कानूनों का उल्लंघन हुआ है। छोटे-छोटे मामलों को भी इस कानून की परिधि में लाया गया है। इस अधिनियम का ऐसे बहुत से उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया है जिनका इसके मूल उद्देश्य अर्थात साम्यवादियों से हमारे लोकतंत्र को खतरे का मुकाबला करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन बातों के लिए हमारे देश के सामान्य कानून का ही प्रयोग किया जाना चाहिये, जैसा कि स्वतंत्र विश्व में होता है, उन्हें अब विशेष बताया जा रहा है । यदि लोकतंत्र में सामान्यतया का यही अर्थ है, जैसा कि गृह-कार्य मंत्री ने बताया है, तो फिर हमारे लोकतंत्र का भविष्य खतरे में है।

यदि देश के भीतर कहीं से कोई वास्तविक खतरा है, तो हमें उसका खुलकर तथा ईमानदारी से मुकाबला करना चाहिए। ऐसा करने के तरीके हैं।

चीन के आक्रमण के बाद अधिकतर विरोधी दलों ने सरकार से भारतीय साम्यवादी दल पर रोक लगाने को कहा था, किन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया। वामपंथी साम्यवादियों को, जिन्हें चीन के खतरे के कारण गिरफ्तार किया गया था, अब रिहा कर दिया गया है। क्या चीन से अब कोई खतरा नहीं रहा है?

वर्तमान सरकार लोकतंत्र की वास्तव में रक्षा नहीं कर रही है। वह विनाशकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध नहीं लड़ रही है; वह तो केवल अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए लड़ रही है और इस दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य के लिए निवारक निरोध अधिनियम उसके पास एक हथियार है ।

ऐसे देश हैं जहां पूर्णतः लोकतंत्रीय तरीके से कार्यवाही की गई है ।

श्री इ० एफ० एम० हार्बिन ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि समाजवादी लोकतंत्र में फैसिस्टों और साम्यवादी दलों को रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे लोग अवसर मिलते ही लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे । हिंसात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने का वह लोकतंत्रात्मक तरीका है न कि यह जिससे देश भक्त नेता गिरफ्तार किये जाते हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी मास्टर तारा सिंह आदि देश भक्त भारतीय गिरफ्तार किये गये थे। हमारे कुछ सहयोगी जैसे श्री त्रिवेदी, श्री नाथपाई तथा डा० लोहिया आदि आदि भी उसी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे । देश भक्तों को देश द्रोहियों की तरह गिरफ्तार किया जाता है।

[श्री मी० रु० मसानी]

इसलिए हम इस कानून को जारी रखने का विरोध करते हैं । इसमें दो बुराइयां हैं। इस में एक बुराई तो यह है कि कुछ लोगों को अपराधी होने के कारण प्रत्येक देशभक्त भारतीय की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो गया है और इसमें दूसरी बुराई यह है कि यह एक बहुत बुरा पूर्वोदाहरण होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : हमारे नये गृह-कार्य मंत्री ने बलत तरीके से यह बताने का प्रयत्न किया है कि निवारक निरोध अधिनियम एक आपात-कालिक कानून नहीं है बल्कि देश के सामान्य कानून का ही भाग है ।

पिछला रिकार्ड देखने से पता चलता है कि स्व० पंडित गोविन्द वल्लभ पंत तथा श्री नन्दा ने साफ शब्दों में बार-बार कहा था कि यह कानून आपातकाल के लिये ही बनाया गया है यह कानून अस्थायी है । पिछली बार दिसम्बर 1963 में जब इस कानून को तीन वर्षों की अवधि बढ़ाने के लिये सभा में लाया गया था तो श्री नन्दा ने कहा था कि शायद इस कानून को तीन वर्षों से पहले ही हमें समाप्त करना पड़े । परन्तु आज हम देख रहे हैं कि इस कानून की तीन वर्षों की और अवधि बढ़ाने के लिये सभा की अनुमति मांगी जा रही है । जो सत्तारूढ़ दल के बहुसंख्या में होने के कारण मिल ही जायेगी ।

जिन-जिन वर्षों में भारत सुरक्षा नियमों का पूर्णरूपेण से प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जा रही थी उस समय इस नियम को रिजर्व में रखा गया था । इस कानून को शायद इसलिये रिजर्व में रक्खा गया था कि जब कभी भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग करना उचित न हो तो इस का प्रयोग किया जा सके । अब चूंकि सरकार को भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग सीमित करना पड़ा है क्योंकि जनता इसके बहुत खिलाफ थी इसलिये वह इस विधिहीन कानून को ले आई है ।

श्री नन्दा ने 17 और 18 दिसम्बर 1963 को इस सभा में भाषण देते हुए कहा था कि केवल जासूसों डाकुओं साम्प्रदायिकतावाद को बढ़ावा देने वाले लोगों पर ही इस कानून का प्रयोग किया जाता है । इससे निस्सन्देह उन्होंने यह बात लोगों की कल्पना पर छोड़ दी कि सरकार जिसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहेगी भारत सुरक्षा अधिनियम तथा निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कर सकेगी ।

मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि यह बात रिकार्ड में है कि श्री नन्दा ने यह स्वीकार किया था कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो अत्यावश्यक वस्तुओं में मुनाफा खोरी जमाखोरी आदि कर रहे थे उचित कार्यवाही नहीं की गई थी और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में ऐसी कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

30 सितम्बर 1966 को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत 676 व्यक्ति गिरफ्तार थे । उनकी गिरफ्तारी के कारणों को तो विस्तार से बताया नहीं गया है केवल दो कारण बताये गये हैं :—हिन्सात्मक कार्यवाहियों तथा गुंडागर्दी । परन्तु मेरी समझ में नहीं आया कि उनको इन कारणों से सामान्य कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है । देश में इस समय जो आन्दोलन हो रहे हैं उन्हें हिंसात्मक कार्यवाहियों की संज्ञा दी जा रही है । तथा आन्दोलनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कीं जा रही है ।

मैं निवारक निरोध के विरुद्ध हूं क्योंकि देश में और बहुत से सामान्य कानून हैं। फिर भी मैं यह बताऊंगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों में भी सरकार किस प्रकार भेदभाव करती है। यह खेदजनक बात है कि सरकार भिन्न-भिन्न प्रकार की हिंसा में भेदभाव करती है। उन्हें एक प्रकार की हिंसा से आपत्ति होती है और दूसरी प्रकार की हिंसा से नहीं।

हमारे देश के लाखों लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं। बड़े-बड़े आन्दोलन तथा संघर्ष हो रहे हैं। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पुलिस की हिंसात्मक कार्यवाहियों से कैद करने से या गोली चलाने से उन्हें दबाया नहीं जा सकता है। जब तक सरकार गलत नीतियां जारी रखेगी तब तक ये आन्दोलन भी चलते ही रहेंगे।

सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम का मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों के विरुद्ध अधिकतर प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार पकड़े गये लोगों की संख्या बहुत कम है। सारे देश से केवल 50 अथवा 60 व्यक्ति ही इस प्रकार पकड़े गये हैं। सरकार ने जिस प्रकार से इस अधिनियम का भदभावपूर्ण तरीके से उपयोग किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ है। यह स्पष्ट ही है कि दंड प्रक्रिया संहिता में निहित उपबन्ध के होते हुए सरकार इस आपातकालिक कानून का प्रयोग जनता के आन्दोलनों को दबाने के लिये कर रही है।

देश में असन्तोष आर्थिक संकट के कारण है। क्या सरकार समझती है कि उसे निवारक निरोध अधिनियम से दबाया जा सकता है ? सरकार इस समस्या की जड़ को नहीं देखती है क्योंकि उसका अर्थ होगा कि पुरानी नीतियों को त्याग दिया जाये और नई नीतियां अपनाई जायें। सरकार उन पुरानी नीतियों को इस लिये त्यागना नहीं चाहेगी क्योंकि नई नीतियों से जनता को तो चाहे लाभ हो परन्तु मुनाफाखोरों को नहीं होगा। सरकार उनके हित को पहले देखेगी। इसलिये वह ऐसे कानून का आश्रय लेना चाहेगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि ज्यन्ती शिपिंग कम्पनी के मि० तेजा को विदेश जाने से रोकने के लिये इस कानून का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। जब परिवहन मंत्रालय उस के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता था तो गृह-कार्य मंत्रालय ने कहा कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं हैं जिसके आधार पर हम उसे रोक सकते हैं। अतः तब उसे रोका नहीं जा सका अब उसे वापिस नहीं बुलाया जा सकता है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इन हजारों व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है उनके विरुद्ध कौन से साक्ष्य हैं।

बर्ड एण्ड कम्पनी के विरुद्ध विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में कई मुकदमें चल रहे हैं परन्तु मुझे पता लगा है कि उस कम्पनी के वर्तमान चेयरमैन को धनबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये कांग्रेस का टिकट दिया जा रहा है। एसी परिस्थितियों में हमारी सरकार निवारक निरोध अधिनियम के बिना कैसे चल सकती है क्योंकि लोग एसे शासन को अब बिल्कुल सहन नहीं करेंगे।

मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। ऐसे कानून का होना देश के लिये अपमानजनक है।

श्री खाडिलकर (खेड) : आज हम बड़ी गम्भीर स्थिति से गुजर रहे हैं। लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। विरोधी दल देश में प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये आपस में मिल कर काम कर रहे हैं। श्री मसानी बाहर से वामपंथी साम्यवादियों का चाहे समर्थन करने को तैयार न हों, परन्तु वह उन साम्यवादियों समेत सभी दलों के साथ चुनाव सम्बन्धी समझौता करने को तैयार हो जायेंगे। जितने भी सदस्य हम इस सभा में हैं चाहे हम आर्थिक कार्यक्रमों से सहमत होते हैं अथवा नहीं, चाहे हम विदेश नीति से सहमत होते हैं या नहीं, परंतु हमें लोकतंत्र के प्रति अवश्य निष्ठा रखनी चाहिये। जिस लोकतंत्र

[श्री खाडिलकर]

को हम ने पिछले 18 वर्षों से बनाये रखा है उसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। लोकतंत्र को बनाये रखने के लिये धर्मनिरपेक्षता को बनाये रखना आवश्यक है। यह एक बात है।

दूसरी बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये हम कभी हिंसात्मक कार्यवाहियां करना नहीं चाहते थे। गत 18 वर्षों में कांग्रेस दल तथा उसके नेताओं ने शान्तिपूर्ण ढंग से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने बल का कम से कम प्रयोग किया है। श्री मसानी ने भारत प्रतिरक्षा नियमों का उल्लेख किया था। परन्तु उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, वे तो केवल कागज में ही हैं। साम्यवादी देशों में, जब उन्हें समाज को, जो दिन-प्रतिदिन बदलता रहता था, नियंत्रण में रखना होता था, तो अधिक दमनशील उपायों का प्रयोग किया गया है जिन के बारे में हमने इस देश में कभी सोचा भी नहीं है। अतः साम्यवादी लोग निवारक निरोध अधिनियम की आलोचना कैसे कर सकते हैं।

मैं महसूस करता हूं और मुझे आशा है कि सरकार भी यह महसूस करती है कि सामान्य अर्थों में देश का आन्दोलन केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। कोई भी गृह-कार्य मंत्री, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लोकतंत्र को तब तक कायम नहीं रख सकता जब तक कि देश की आर्थिक नीतियां सामाजिक लक्ष्य के अनुरूप न हों। आन्दोलन का कारण भारी आर्थिक संकट है। पाश्चात्य पश्चिमी देश आज भी इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के उद्देश्य से हिंसात्मक वातावरण पैदा करना चाहते हैं। क्या हम उनका शिकार बन जायें, यह हमारी समस्या है।

मेरा यह अनुमान है कि विरोधी दलों में प्रसोपा तथा साम्यवादी दल जैसे कुछ दल ऐसे हैं जो हिंसात्मक ढंगों से समाज में परिवर्तन लाने में विश्वास नहीं करते हैं। परन्तु डा० लोहिया का दल यह प्रचार करता है कि कांग्रेस के शासन से अराजकता कहीं अच्छी है। इस दल से हमारे लोकतंत्र को अधिक खतरा है। सरकार को लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के विरोधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार को समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध तथा साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध, जिनसे लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है, निवारक निरोध अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये। जहां कहीं भी हिंसात्मक कार्यवाहियां हों उनको कुचलने के लिये सरकार को इन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये। समाज-विरोधी कार्यवाहियों को दबा दिया जाना चाहिये। लोकतंत्र की अवश्य ही रक्षा की जानी चाहिये।

Shri R. S. Pandey (Guna): This P.D. Act is very essential to meet the internal danger of the country. There are some powers in this country which are creating an atmosphere of violence in order to destroy democracy. The country should be protected from such powers. This is the first and foremost duty of the Government to maintain law and order in the country.

Left Communists do not have faith in democracy. They are indulging in anti-national activities. But had such persons been in China and had they indulged in anti-national activities there, the Government of China should have taken them to task.

There is another fascist-oriented party which wants to creat an atmosphere where there is hatred, violence etc. They want to put the framework

of our democracy into danger by maligning the President, the Speaker and the Prime Minister.

I declare in this House that I am in favour of ban on cow slaughter. I want that cows should be protected. But it is very strange that this movement has gained momentum just before general election. It becomes quite evident from this how the supporters of this movement are serious and what are their intentions.

In case the opposite parties believe in democracy then they should declare that they will do their best to strengthen it and will not let it down. But I have my own doubt, that the opposite parties will ever do like that. There is a party which is known as P.S.P. and whose member no doubt make bitterest criticism, but when they speak, we feel that they are telling us to search our hearts. There is an hon. Member, Shri Kripalani, who criticises Government on every point, but who never uses offensive, abusive and provocative language. When we hear him, we feel as if he is pointing out our shortcomings. His criticism is real criticism and by doing so, he is furthering the cause of democracy.

But there is another party, which preaches violence, hatered and subversion. They call upon the people for an armed rebellion and impress upon then to indulge in looting, arson and all other destructive activities. They tell them to burn the buses, remove the fish-plates of the railway line and destroy public property. Destruction of public property is the gravest sin and subversive activities bring about a lot of harm to innocent people. For example, derailment due to sabotage results in loss of hundreds of innocent lives. If a person commits murder he is sentenced for dealth under Section 302. Then who is responsible for this mass killing. I charge those parties for this crime who have no faith in democracy and who want to jeopardise democracy by their anti-social deed. I would request the Home Minister to deal with those parties, who are responsible for such impious deeds with firm hand. I have full faith in him and hope that he will be successful.

If the opposition parties believe in democracy, let them declare that they will strengthen democracy in the country and not destroy it. They should not indulge in violence, hatred, sabotage and subversion, but on the other hand they should work in such a way that if Congress is defeated they are able to run the Government smoothly. We are not opposed to their coming into power, but we are opposed to their subversive and destructive activities.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): The two hon. Members, one who preceded me and the other who preceded him have shown their foolishness in their speeches. I am not going to reply foolishness with foolishness. The question is as to what extent the Preventive Detention Act is justified? They have given us many abuses but I am not going to abuse them.

Mr. Speaker: I would like to point out that calling a person fool is not less than abusing him. The hon. Member should pay attention to it and he should not address another hon. Member in this way. An intelligent person like you should not say these words. You are at liberty to use the strongest language, but these words should not be uttered.

Shri U. M. Trivedi: If a person says something without thinking and abuses others under the heat of emotion. Then what he should be called? I could not find out exactly as to what he should be called and that is why I have been compelled to say so.

[Shri U. M. Trivedi]

In our Constitution fundamental rights have been incorporated to safeguard the liberty of our countrymen. But since the insertion of Article 22 Government has usurped all the fundamental rights. The Government seems to think that the fundamenal rights were made for the use of Government and not for the benefit of public. Indiscriminate arrests are being made by Government.

This act was put on the statute book for the first time in 1952 and since then it has been misused a number of times. In 1953 my party demanded that Jammu and Kashmir should be treated as an integral part of India and there should be only one Prime Minister and one flag for the entire country. The result was that 54 persons of my party were arrested and put into jail under this act. I want to tell you those persons who were arrested had done nothing illegal except that they demanded the integration of Jammu and Kashmir. Likewise once the real nephew of the then Chief Justice of India, Shri Mehar Chand Mahajan, who was the resident of Jammu, was arrested and put into jail under this Act. He was charged to have called upon the people in Pathankot to bring their guns, pistols and swords and kill the Congressmen. When this case was brought before the court of law, then it was revealed that he was not at all in Pathankot on the said day, rather he was in Delhi with his uncle and as such the charge that he had called upon the people in Pathankot to bring their guns and pistols etc. was baseless. There are a number of such cases when this act has been misused. The Preventive Detention Act is a black Act. It is a slur on the fair name of democracy. It is most undemocratic to detain a person without giving him an opportunity to defend himself.

The Government has furnished a statement of those persons, who had been arrested under this act. First of all a doubt that this statement is factual and if it is factual then according to this statement only five persons had been arrested in Gujarat, four in Madhya Pradesh and ten in Maharashtra. We are a nation of 43 crores of people and it is not justified to make an act to deal with such a handful number of persons. There are other laws to deal with them. It is very shameful that a law should be enacted to deal with a handful of persons out of 43 crores.

Shri Khadilkar is a very learned and intelligent Member. He has given a very long speech in support of this Bill. But his speech contained not such argument, which may justify the enactment of this Bill. I think he was not speaking from his heart but he was speaking on behalf of his party. The ruling party and the Government should have gone through the past history before bringing forth this black legislation in this House. They should have thought as to why Jallianwala massacre took place.

The ruling party accuses us that we are threatening them to use bullets to throw them out of power. I want to tell Shri Pandey that it is absolutely wrong. We are determined to get Congress out of power by ballot and not by bullet. It is the ruling party which is using bullets and not the opposition. They have used bullets against us in Indore, Gwalior, Bhilwara and so many other places. I want to tell them that those who live in glass houses should not throw stones on others. Had Government worked honestly and faithfully the present situation of law and order would have not been in the country. I have told many a times that there is no law and order in the country. The Government has been incapable of maintaining law and order. By arresting innocent persons law and order cannot be maintained.

It is shameful for the Government and it is shameful for the nation to

have such a black law because the world will think that India requires such a black law under which any one can be arrested without hearing him and giving him the opportunity to defend himself. This Government is creating a police state, which is not deprecable. I oppose this Bill.

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : यह बड़े दुःख की बात है कि कांग्रेस सदस्यों ने एक ऐसे असाधारण विधेयक का समर्थन किया है, जो सरदार पटेल के समय में केवल एक वर्ष की अवधि के लिये पारित किया गया था। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि निवारक निरोध अधिनियम लोकतंत्र के प्रतिकल है और वह अधिनायकशाही शासन की याद दिलाता है। ऐसे असाधारण अधिनियम की, जिस से हमारा लोकतंत्र नष्ट होता है, कोई आवश्यकता नहीं है? प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिये भारतीय दंड संहिता पहले ही मौजूद है। भारतीय दंड संहिता 19वीं सदी में बनाई गई थी, जब भारत एक विदेशी शक्ति के पराधीन था। अतः इसमें छोटे छोटे अपराधों के लिये भी कठोर दंड की व्यवस्था की गई है, जो किसी आधुनिक प्रजातंत्र में होनी शोभनीय नहीं है। यह एक अनहोनी बात है कि एक एसी संहिता के होते हुए भी जिसके अन्तर्गत हम हर प्रकार के अपराधी को दंड दे सकते हैं, हमें एक अन्य ऐसे असाधारण अधिनियम की आवश्यकता पड़े जिसके विरुद्ध हम न्यायालय में भी न जा सके और जो प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध हो।

इस महीने 7 तारीख को कुछ उपद्रव हुये थे। यदि उचित सावधानी बरती गई होती तो वे उपद्रव नहीं हुए होते। 18 तारीख को छात्रों के मोर्चे के मामले में उचित कार्यवाही की गई थी और इसी कारण से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। डा० लोहिया तथा कुछ अन्य संसद् सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यदि उचित कार्यवाही होती तो उन्हें गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सरकार को भीड़ पर गोली चलाने का भी अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करके बार बार गोली चलवाई जाती है। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सरकार को यह भी अधिकार है कि वह निजी पत्रों को खोल सकती है। मेरे पास एक पत्र है जोकि हांककांग से मेरी पत्नी के नाम भजा गया था। इस पर डाकघर की मुहर लगी हुई है और उस मुहर पर गोंद चिपका रखा है, जिस से यह सिद्ध होता है कि इस पत्र को खोला गया है। भूतपूर्व मंत्री श्री नन्दा ने हमें बताया था कि हमारे पत्रों की छान बीन नहीं की जायेगी। फिर भी यह बड़े दुःख की बात है कि मेरी पत्नी के नाम, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, एक पत्र आया था, जिसे खोला गया है। क्या पुलिस यह समझती है कि एक सब से बड़ राज्य की मुख्य मंत्री भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले किसी विदेशी राष्ट्र के साथ पत्र-व्यवहार कर रही है। इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

यदि सरकार इस अधिनियम का प्रयोग करना चाहती है, तो इसका निष्पक्ष रूप से प्रयोग किया जाना चाहिये। मुझ ज्ञात है कि सरकार ने भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत एक देश भक्त महिला को नजरबन्द कर रखा है, जोकि गांधी जी की साथी थी, जवाहरलाल जी की साथी थी तथा इस समय विनोबा जी की शांति सेना में है। उस महिला का नाम मृदुला साराबाई है। मेरा पूरा विश्वास है कि वह इतनी ही देश भक्त है, जितने कि हम। इस का यदि कुछ अपराध था तो यह कि उसने काश्मीर की सरकारों के भ्रष्टाचार का परदाफास किया तथा और जो कुछ उस ने लिखा था, उसका पाकिस्तान ने उल्लेख किया था। परन्तु संसद् में दिये गये हमारे भाषणों का भी तो पाकिस्तान द्वारा उल्लेख किया जाता है। यदि आप भारतीय रक्षा नियमों का प्रयोग निष्पक्ष रूप से करते हैं तो आपने महाराष्ट्र तथा मैसूर के मुख्य मंत्रियों तथा वहां के कांग्रेस जनों क विरुद्ध इन का पालन क्यों नहीं किया? मैसूर तथा महाराष्ट्र में सब से अधिक उपद्रव हुये हैं और उस के जिम्मेदार थे—महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, मैसूर के मुख्य मंत्री तथा वहां के कांग्रेस जन। आन्ध्र प्रदेश में जो आन्दोलन हुआ उसके परिणामस्वरूप आप ने उस आन्दोलन के जिम्मेदार आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध ये नियम

[श्री जी० भ० कृपालानी]

प्रयोग क्यों नहीं किये। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश में सब से अधिक गड़बड़ कांग्रेसियों द्वारा करायी जा रही है। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि छात्र आन्दोलन को भी कांग्रेसियों द्वारा परोत्साहन दिया जा रहा है और वे ही उसके लिये धन दे रहे हैं।

निवारक निरोध अधिनियम एक काला अधिनियम है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे गुण्डों तथा चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहते हों, तो इस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता के विरुद्ध उन्हें सजा दी जा सकती है। इस अधिनियम से प्रजातंत्र के नाम पर कलंक लगता है। अतः आप को प्रजातंत्र के महत्व को नीचे नहीं गिराना चाहिये। आप को याद होगा कि रोवल्ट एक्ट काला कानून था और हालांकि उस का कभी प्रयोग नहीं किया गया, तो भी स्वतंत्रता संग्राम उसी के कारण आरम्भ हुआ था। सत्ता मिल जाने क कारण आप को अपने आदर्शों को नहीं भूलना चाहिये।

इस सभा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है तथा मुझे ज्ञात है कि इस विधेयक को पास किया जायेगा। परन्तु मैं नये प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उस मामले पर फिर विचार करें तथा ऐसे विधिहीन विधेयक को पारित न किया जाये।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : निवारक निरोध अधिनियम के अधीन की गई गिरफ्तारियों का जो विवरण मंत्री महोदय ने परिचालित किया है, उससे ज्ञात होता है कि उस अधिनियम के अन्तर्गत केवल 600 से कुछ अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, उन में से अधिकतर हिंसा तथा गुण्डागर्दी की कार्यवाहियों के कारण पकड़े गये हैं। इस विवरण से यह भी दिखाई पड़ता है कि यह संकट देशव्यापी नहीं है, अपितु बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल आदि कुछ राज्यों तक ही सीमित है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह संकट देशव्यापी नहीं अपितु स्थानीय है और इसलिये स्थानीय रूप से ही इस का मुकाबला किया जाना चाहिये। केवल यही तथ्य कि बहुत कम व्यक्ति विरुद्ध किये गये हैं और देश की सामान्य विधियों के अधीन उन का फैसला किया जायेगा, उसके लिये पर्याप्त आधार है कि इस अधिनियम को जिस से जनता का व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सीमित हो जाता है, समाप्त कर दिया जाये।

गत पन्द्रह वर्षों में यह अधिनियम समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है और इन वर्षों में इस को केवल एक दिन के लिये भी समाप्त नहीं किया गया है। यह बहुत गंभीर बात है। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि इन पन्द्रह वर्षों में निरन्तर ही ऐसी परिस्थितियां बनी रहीं कि यह अधिनियम आवश्यक था। इन वर्षों में ऐसा समय भी आया है, जब पूर्ण शांति रही है। उस समय श्री नेहरू हमारे नायक थे और वह जनता का पथप्रदर्शन करने तथा हर स्थिति पर नियंत्रण करने में सक्षम थे। परन्तु फिर भी शांति के समय भी यह अधिनियम एक दिन के लिये भी नहीं हटाया गया! ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन यह नहीं चाहता कि इस अधिनियम को समाप्त किया जाये, क्योंकि इसके होते हुए वह आसानी से अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकता है। दूसरी ओर भारत की जनता भी एक साधारण बात की तरह इस के प्रति अभ्यस्त होती जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान भी मैंने इस का उल्लेख किया था परन्तु मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि विरोधी दल के किसी सदस्य ने इस अधिनियम का विरोध नहीं किया हालांकि वे अब जब कि इस विधेयक पर बहस हो रही है तथा निर्वाचन सन्निकट है, इस विधेयक की कटु आलोचना कर रहे हैं।

साथ ही मैं यह मानता हूं कि वर्तमान स्थिति कठिन है। देश में हिंसा के वातावरण को रोकना होगा। इसके लिये सख्त तथा अप्रिय कार्यवाही की आवश्यकता भी पड़ सकती है। कठिन खाद्य स्थिति सामने है जिससे उपद्रव होने हैं और देश में हिंसा का वातावरण उत्पन्न होना है। बढ़ती हुई कीमतें भी इस उपद्रव को बढ़ाने में सहायक हैं। इसलिये एक ऐसे साधन की आवश्यकता है जो प्रभावोत्पादक हो तथा जिस से शीघ्र परिणाम प्राप्त हों। ऐसी हालत में हमें एक साल तक अर्थात मार्च, 1967 के अन्त तक इस कानून की अवधि को बढ़ा देना चाहिये। हो सकता है इसके उपरान्त स्थिति में सुधार हो जाये और कीमतों में भी सुधार हो जाये। निर्वाचन भी इस अवधि में समाप्त हो जायेंगे। यदि इस की अवधि केवल एक वर्ष के लिये बढ़ाई जाती है, तो नई सरकार इस पर नये सिरे से निर्णय कर सकेगी। अत: मैं गृह-कार्य मंत्री से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें और इस अधिनियम की अवधि को केवल एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाये।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): The Preventive Detention (Continuance) Bill is a black Bill. It is against the spirit of democracy and it should be withdrawn.

The hon. Members—Sarvashri R. S. Pandey and Khadilkar have drawn quite a good picture of democracy in their speeches. I say that India is the poorest country of the world. There is so much disparity here between the rich and the poor, which cannot be found even in capitalistic countries, what to talk of socialistic countries. I fail to understand what do they mean by this democracy. There is no democracy in this country, because equality is the first prerequisite for democracy. Unless and until there is equality, there cannot be democracy. Democracy without equality is hypocracy and there is only hypocracy in this country.

It is strange that Shri Khadilkar has advocated for secularism and law and order. I want to draw the attention of the House that though Congress preaches secularism, it is not a secular party. Had Congress been a secular party, then why it entered into an agreement with Muslim League in 1955 in Kerala, which is a communal party. Congress tells the people that it is a progressive party, but I deny it. Had it been a progressive party then why it entered into an agreement with Gantantar Parisad in Orissa, which is a party of Rajas.

I want to make it clear that S.S.P. does not believe in violence. We believe in non-violence, socialism and democracy. I want to tell Mr. Khadilkar that had he been honest in his statement, he should have first of all condemned the Congress Government because this Government is responsible for so many firing cases, as did not happen during the entire British regime. This Government has resorted to firing in Banda, Bastar, Lucknow, Delhi and at so many other places. It is shameful for the Government to preach non-violence and play with the lives of the people. In democracy opposition has got the right to hold public meetings, arrange demonstrations and resort to satyagraha. It is shameful that this Government is condemning satyagraha and public meetings. They are curbing peaceful demonstrations by imposing Section 144. The way in which the students march was curbed clearly shows that this Government does not at all believe in democracy, but it believes in highhandedness. I want to warn the Government that public feelings cannot be curbed with bullets.

[Shri Ram Sewak Yadav]

It has been blamed that S.S.P. believes in violence. But I want to know who was responsible for the rioting on the question of bifurcation of Bombay and Gujarat. I want to know which party is spreading violence in Andhra Pradesh on the question of setting up the fifth steel plant. The country to day is in the grip of violence and opposition is blamed for this. But the fact is that the Congress was responsible for the rioting in Bombay and Gujarat and the Congress is responsible for the violence in Andhra Pradesh. The demands of S.S.P. are quite justified. Our demands are equality and bread and butter for all. But it is unfortunate that whenever we demand bread for the people Government feels annoyed and imposes Sections 107 and 117. Many people are arrested under Defence of India Rules. There are many problems like hunger, drought, unequality, rising prices and students problems which the country is facing today. But unfortunately the Government is not trying to understand its root causes.

There are no proper arrangements for the education of the children of the poor. On one hand we see that there are public schools in which the children of the rich are given proper education. There is a wide gap between the salaries of the teachers who are teaching in public schools and those who are teaching in other school. The teachers who are teaching in public schools are getting fat salaries, while on the other hand the teachers of other schools are well paid. I want to point out that this disparity between the poor students and rich students and the teachers teaching in public schools and other schools is the root cause of all unrest. The Government may curb public movements for a year or two, but by doing so these problems cannot be solved. I would like to say that the unrest and revolting tendency of the people should not be termed simply as a law and order problem. The present situation in the country has not been created at the instance of a political party, but it has been created by the widespread unsatisfaction among the people. The Preventive Detention Act cannot check this unsatisfaction. It has been proved that huge agitations and struggles which are taking place in the country cannot be supressed even by the most ruthless use of police violence by shooting down people or imprisoning them.

There is no rule of law in the country. The people are being arrested on baseless allegations. It seems that the Government has no control over their officers and they are working as they like. My arrest is the clear example of the fact that baseless arrests are being made. The Preventive Detention Act helps the officers to have their own way. It is a black act and its life should not be extended. It should be withdrawn immediately.

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : इस कानून का समर्थन करने से पहले मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से, जो हमेशा ही बहुत अच्छी तरह से काम करते आ रहे हैं, कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए / Shri Sonavane in the chair]

हमारे लिये यह बहुत आवश्यक है कि हम देश की वर्तमान स्थिति को देखें । हमें यह देखना चाहिये कि हमारे देश की स्थिति आजकल कैसी है । उस स्थिति को देखते हुए मैं यह महसूस करता हूं

कि इस कानून को बनाये रखना आवश्यक है। देश में आज भी ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों से प्रोत्साहन और मार्गदर्शन लेकर उनके आदेशों को कार्यान्वित करना चाहते हैं। हमारे देश में ऐसे भी तत्व हैं जो भुखमरी, बेरोजगारी तथा अनावृष्टि से उत्पन्न हुई स्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और अन्य लोगों को हिंसात्मक कार्यवाहियां करने के लिये उकसा रहे हैं। अब मैं 7 नवम्बर की घटना को ही लेता हूं। यह बात गलत है कि साधु लोग यहां पर असद्भावना से आये थे। मेरा बहुत से मठों से सम्बन्ध है और मैं यह बताना चाहता हूं कि साधु इसके लिये उत्तरदायी नहीं थे। कुल लोगों ने उनका शोषण किया। अतः हमें ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिये।

लगभग दो महीने पहले जब गो हत्या को बन्द करने की बात दूसरे तरीके से उमड़ रही थी तो मुझे बाराहोटी में भाषण देने के लिये बुलाया गया था। वहां बहुत लोग इकट्ठे हुए थे जिन में साधु भी थे। वहां मैं ने इस बात को स्वीकार किया था कि गो-हत्या को बन्द किया जाना चाहिये परन्तु मैं ने उन्हें यह कहा था कि इसकी आवाज एक जाति अथवा समुदाय से ही नहीं उठाई जानी चाहिये। इसकी आवाज अल्प संख्यक समुदायों विशेषकर मुसलमानों द्वारा उठाई जानी चाहिये। उन्हें मैंने यह भी बताया था कि काश्मीर में, जहां 90 प्रतिशत लोग मुसलमान हैं, वहां गोहत्या पर सैंकड़ों वर्षों से प्रतिबन्ध है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि उस घटना के लिये कुछ समाज-विरोधी तत्व उत्तर-दायी थे जिन्हें अवश्य सजा दी जानी चाहिये।

मैं गृह-कार्य मंत्री को यह बात बताना चाहता हूं कि मैं काश्मीर से आज इसलिये आया हूं ताकि मैं इस वाद-विवाद में भाग ले सकूं। हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने हमारे देश की रक्षा के लिये बहुत कुछ किया है। उसके लिये वे प्रसन्नता के पात्र हैं। परन्तु इसके बावजूद भी काश्मीर में सिविल प्रशासन असफल रहा है। ऐसे अनेक लोग जो पिछले वर्ष पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़े थे अब निवारक निरोध अधिनियम के अधीन जेलों में पड़े हुए हैं। श्री हबीब उल्ला तथा श्री मालवी अली शाह जो अपने क्षेत्र में अकेले ही लड़े थे, आज जेल में हैं। वे देशभक्त व्यक्ति हैं और उनका एकमात्र दोष यह है कि वे नेशनल कांफ्रेंस में शामिल हैं। यह न केवल जम्मू काश्मीर राज्य बल्कि सारे देश के हित में है कि नैशनल कान्फ्रेंस को, जोकि एक देशभक्त संगठन है, लोकतंत्रीय ढंग से कार्य करने दिया जाये। अन्य राजनीतिक दलों की तरह इसको भी कार्य करने दिया जाना चाहिये।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) विधेयक पर बोलने से पहले मैं आचार्य कृपलानी द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे विचार से आचार्य कृपलानी ने वृद्धावस्था तथा स्नेह के कारण अपनी पत्नी के उद्देश्य को हानि पहुंचाई है। मुख्य मंत्री की किसी भी शिकायत को गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री के पास भेज दिया जाना चाहिये था। उन्होंने मृदुला साराभाई के निर्दोष होने का उल्लेख भी किया था परन्तु मेरे विचार से उन्हें गलत जानकारी मिली है। तथ्य तो यह है कि वह बराबर शेख अब्दुल्ला के साथ रही हैं और अभी भी उनका मुख्य काम यह है कि शेख अब्दुल्ला के उद्देश्यों का समर्थन हो।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध अधिनियम की स्पष्ट परिकल्पना की गई है। इसका अर्थ यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि निवारक निरोध अधिनियम लोकतंत्रात्मक नहीं है। केवल यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या देश में इस समय ऐसी असामान्य परिस्थितियां हैं जिनके कारण इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना आवश्यक है। तथ्य यह है कि हमें पड़ौसी देशों जैसे चीन और पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है। कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। समाज-विरोधी तत्व तथा राष्ट्र-विरोधी तत्वों से नागरिकों का जान-व-माल खतरे में है तथा उनका कड़ाई से दमन किया जाना चाहिये।

[श्र गो० ना० दीक्षित]

विरोधी दलों में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वे हैं जो देशभक्त नहीं हैं। वे हमेशा चीन के साथ मित्रता रखते हैं। ऐसे लोगों को लोकतंत्रात्मक देश में सहन नहीं किया जाना चाहिये। दूसरे वे लोग हैं जो देशभक्त तो हैं परन्तु उस कालीदास की तरह हैं जो उसी पेड़ की जड़ काट रहा था जिस पर वह स्वयं बैठ रहा था। इसी तरह ये लोग भी लोकतंत्र की बात तो करते हैं परन्तु वे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिनसे लोकतंत्र को हानि पहुंचती है। मैं ऐसे लोगों से भी कहूंगा कि वे भी इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचें। अतः ऐसे तत्वों का कड़ाई से मुकाबला करने के लिये इस कानून की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे कानून के अभाव में ऐसे तत्व और फले फुलेंगे और देश को नुकसान पहुंचायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : हमें आशा थी कि नये गृह-कार्य मंत्री श्री चव्हाण स्थिति में कुछ सुधार करेंगे। यह कानून हमारी सरकार पर एक लांछन है। मुझे याद है कि जब सरदार पटेल ने यह विधेयक आरंभ में प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं यह विधेयक बहुत दुख के साथ ला रहा हूं। यह कानून लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। हम एक स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं। परन्तु यह कानून व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की हत्या करने वाला है। इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के नजरबन्द किया जा सकता है।

मैंने अपना पूरा जीवन वकालत में बिताया है। मैं इस कानून को गैर कानूनी कानून समझता हूं। उच्चतम न्यायालय ने बहुत से कानूनों को गैर-कानूनी ठहराया है। मुझे प्रथम राष्ट्रमंडलीय कानूनी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने वहां बड़े गर्व से कहा था कि हमने अपने संविधान में नागरिकों को सम्पूर्ण मूल अधिकार दिये हैं।

मुझे खेद है कि इन अधिकारों पर इस विधेयक द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। आज सरकार के साथ बहुत बड़ा बहुमत है। अतः वह इस कानून को पारित करा लेगी परन्तु यह नागरिकों के मूल अधिकारों पर कुठाराघात है। जब यह कानून बनाया गया था उस समय देश एक संकट की स्थिति में था लाखों की संख्या में विस्थापित पाकिस्तान से आ रहे थे। ऐसे समय विदेशों के जासूसों से निबटने के लिये यह कानून बनाना आवश्यक था। परन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है। इस कानून से हमारे देश की मानहानि होगी। अन्य देशों में इस प्रकार के कानूनों को समाप्त किया जा रहा है। इस कानून के विरोध में स्वर्गीय डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी ने भी आवाज उठाई थी। मैं यह बात मानने को तैयार नहीं कि आज भी स्थिति ऐसी है कि यह कानून आवश्यक हो गया है। हमारे देश का सामान्य कानून आज की स्थिति में व्यवस्था बनाये रखने के लिये पर्याप्त है। अंग्रेजों ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया था। मैं समझता हूं कि इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 22(4) का उल्लेख करना संगत नहीं है क्योंकि नजरबन्द किये गये व्यक्ति को बताया ही नहीं जाता कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को नहीं लाया जाना चाहिये था।

**खोपरे का आयात

**IMPORT OF COPRA

श्री वासुदेन नायर (अम्बलपुजा) : मैंने यह चर्चा देश के कई राज्यों में लाखों करोड़ों किसानों की चिंता और भावनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये उठाई है।

**आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour Discussion.

प्रसन्नता है कि अब यह विषय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन आ गया है। मेरे 4 नवम्बर के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया था कि 1966-67 में 6 करोड़ रुपये के मूल्य के खोपरा और नारियल के तेल का अधिक आयात किया जायेगा। सरकार ने बताया था कि इससे देशी नारियल के दाम भी कम हो जायेंगे। चूंकि नारियल के दाम कुछ बढ़े थे, अतः उत्पादकों को कुछ राहत महसूस हुई थी।

केरल के प्रायः सभी परिवारों को नारियल की खेती बढ़ने में रुचि है। वहां देश भी नारियल की कुल पैदावार में से 65 प्रतिशत नारियल होता है। आज सात आठ राज्यों में नारियल उगता है। मद्रास में भी खेती बहुत होती है। परन्तु यह देश की आवश्यकता के लिये पर्याप्त नहीं है। इसी कारण हमें अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। इस वर्ष इसके आयात में उदारता बर्तने का सरकार का इरादा था।

खोपरा के मूल्य में थोड़ी वृद्धि होने से खेती को बढ़ावा मिला था। परन्तु वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े सही नहीं हैं। आयात के कारण देसी नारियल के मूल्यों में काफी कमी हुई जिसके कारण किसानों को नुकसान हुआ। इससे तो सारी अर्थ व्यवस्था बिगड़ जायेगी।

सरकार की नीति पर निहित-स्वार्थ लोगों का प्रभाव है जिससे लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है। सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। सरकार भले ही आयात करे; परन्तु उसे यह भी देखना चाहिये कि देसी किसान को न्यूनतम लाभदायक कीमत तो अपनी उपज की अवश्य ही मिलनी चाहिये। अनेक वस्तुओं के मामले में ऐसी व्यवस्था की जाती है। जब सब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो थोड़ा लाभ किसान को भी होना चाहिये। इसके लिये किये जाने वाले उपायों का विचार सरकार को करना चाहिये।

नारियल का उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। केन्द्रीय नारियल समिति भी तोड़ दी गई है। नारियल परिषद् सर्वथा निरर्थक संस्था है। उसके पास कोई शक्तियां नहीं है। चाय बोर्ड की तरह का एक संविहित नारियल बोर्ड बनाया जाये, जिसके पास पर्याप्त शक्तियां और धन हो। हमें उत्पादन में आत्म निर्भरता का लक्ष्य रखना चाहिये। इसके लिये हमें कई समस्याओं को हल करना होगा। नारियल को लगाने वाली बीमारी के कारण बड़ी फसल नष्ट हो जाती है। इसकी रोक थाम के लिये सफल कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण हमारे देश में प्रति पेड़ 30 नारियल उगते हैं। जबकि फिलिपाइंस में 200 नारियल प्रति पेड़ उगते हैं, किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाये और इस बीमारी के सम्बन्ध में शोधकार्य किया जाये।

सरकार को स्थिति का संतुलित रूप से विचार करना चाहिये। साबुन निर्माताओं के कहने पर सरकार के नारियल और खोपरा का आयात बढ़ाया है और उन्होंने साबुन के दाम बढ़ा दिये हैं। उन्हें तो लाभ से मतलब है न कि उपभोक्ताओं से। अतः सरकार को अपनी नीति नहीं बदलनी चाहिये और इस फसल की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मा० सदस्य ने चार बातें उठाई हैं और सभी विवाद रहित हैं। प्रश्न यह है कि उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं वे सही हैं या नहीं। उसकी यह सूचना सही नहीं है कि हाल ही में विदेशों से अधिक नारियल का आयात करने का प्रबंध किया गया है। आयात के आंकड़े 61–62 से 65–66 में क्रमशः 9.42 करोड़ रुपये, 9.97 करोड़ रुपये और 8.79 करोड़, 6.44 करोड़ और 6.26 करोड़ रुपये के हैं।

अवमूल्यन के तुरन्त पश्चात् सरकार ने बड़ी मात्रा में आयात किया परन्तु निर्माताओं के दबाव के कारण नहीं। 1963–64 में 7.89 करोड़ रुपये के 88,000 टन के मुकाबले में 1965–66 में

[श्री गोविन्द मेनन]

6.26 करोड़ रुपये के मूल्य के 49,000 टन का आयात किया गया। 1966-67 के लिये राज्य व्यापार निगम को 1 करोड़ रुपये के नारियल के आयात का लाइसेंस दिया गया और बाद में 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नियतम किया गया, जिसकी सिफारिश एक समिति द्वारा की गई थी। उसमें से भी निगम 2 करोड़ का खोपरा और 1 करोड़ का खजूर का तेल मंगवायेगा। 3 करोड़ के बारे में दिसम्बर में पुनर्विचार किया जायेगा। यह आयात पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत कम होगा।

यह आयात साबुन निर्माताओं या कच्चे माल की मांग के लिये मंजूर नहीं किया गया। अवमूल्यन के बाद खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। अतः खोपरा का आयात करना पड़ा था।

आयात के कारण कीमतें काफी गिर गई थीं, यह बात भी ठीक नहीं। अवमूल्यन से तीन चार महीने पहले नारियल के तेल का मूल्य सूचकांक अवश्य बढ़ा था। परन्तु अवमूल्यन के बाद पिछले वर्षों की तुलना में कोई अन्तर नहीं हुआ। वास्तव में कीमतें कम नहीं हुई थीं। कुछ स्थानों या कुछ खास किस्म के नारियल की कीमतें चाहे कम हो गई हों, परन्तु औसतन ऐसा नहीं हुआ।

सरकार न्यूनतम मूल्य के प्रश्न पर विचार करेगी, जब कीमतें काफी गिरती दिखाई देंगी। अभी ऐसा विचार करने का समय नहीं है।

वर्ष के प्रारम्भ में कीमतें अवश्य अधिक थीं अर्थात अवमूल्यन से पहले। देश की ऐसी आर्थिक प्रवृत्ति के कारण ही अवमूल्यन की आवश्यकता हुई थी। अतः चिंता की कोई बात नहीं है।

सरकार उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव करती है। उसके लिये प्रयत्न जारी है। चौथी योजना में नारियल की खेती के विकास के लिये 8.76 करोड़ रुपये की व्यवस्था है और 5,000 टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है।

मध्य केरल के किसानों को फसल की बीमारी के कारण कठिनाइयां उठानी पड़ रहीं हैं। इसकी रोक थाम और कारण जानने के लिये एक अनुसंधान केन्द्र कायमकुलमा में खोला गया है। परन्तु जड़ के रोग के कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है।

पत्तों की बीमारी के संबंध में फुंगिसाई छिड़कने का प्रबंध कारगर सिद्ध हुआ है। अन्य बीमारियों के संबंध मेंशोधकार्य जारी है।

इस वर्ष के प्रारम्भ में फैसला किया गया कि केन्द्रीय नारियल समिति के स्थान पर केन्द्रीय विकास परिषद् बनाई जाए और इतनी जल्दी इसके प्रभावी होने या न होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिकास सम्बन्धी बातों की ओर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं। यदि यह व्यवस्था प्रभावी सिद्ध न हुई तो सरकार इस प्रश्न भी विचार करेगी।

अतः यह महत्वपूर्ण है कि नारियल उत्पादन को लाभदायक कीमत मिले। कीमतों के गिरने की कोई संभावना नहीं। बहुत ही कम कमी हुई थी।

यह बात भी गलत है कि सरकार की नीति के कारण आयात बढ़ा है। वास्तव में आयात तो कम किया गया। जो आयात हुआ है उससे साबुन निर्माताओं को लाभ है। और मुझे पता नहीं साबुन निर्माताओं ने साबुन के दाम क्यों बढ़ाये हैं। उपभोक्ताओं के लाभार्थ ही आयात की मंजूरी दी गई थी न कि साबुन निर्माताओं के प्रभाव में आकर।

नारियल का दाम नारियल के तेल के दामों पर नारियल के तेल का दाम खाद्य तेलों के दामों से संबंधित है। केरल में भी तीन प्रकार के लोग हैं। एक वर्ग कीमतें बढ़ाना चाहता है उपभोक्ता कम

करना चाहते हैं और निर्माता आयात करना चाहते हैं। अतः इन सब में तालमेल करने की जरूरत है। अतः केरल में और अन्यत्र भी कीमतों का एक निश्चित स्तर बनाये रखने की जरूरत है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 22 नवम्बर 1966 / 1 अग्रहायण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 22nd November, 1966/1 Agrahayana, 1888 (Saka).

GMGIPND—L S III—2383 (ai) L S— 25-8-67—600.